



उत्तराखण्ड



उत्तराखण्ड शासन

लोक निर्माण विभाग

सिविल वृत्त लो.नि.वि., रुद्रप्रयाग,

निर्माण खण्ड, लोक निर्माण विभाग,
ऊखीमठ—रुद्रप्रयाग

वन भूमि
हस्तान्तरण पत्रावली

विषय:— जनपद रुद्रप्रयाग में राज्य योजना के अन्तर्गत नागजगई-फेगू-बरम्वाड़ी मोटर मार्ग का विस्तार सेतु सहित निर्माण हेतु वन भूमि का लो०नि०वि को हस्तान्तरण।

ग्राम:—	नागजगई, टेमरिया, गिवांड़ीगाँव (परकण्डी)
राजस्व उ.नि.क्षेत्र:—	भीरी
तहसील:—	ऊखीमठ
जनपद :—	रुद्रप्रयाग
क्षेत्रफल:—	राज्य वनभूमि 1.138 है० मोटर मार्ग हेतु राज्य भूमि 0.313 है० मक इम्पिंग हेतु कुल वनभूमि = 1.451 है०

आवश्यक प्रपत्रों की सूची (चैक लिस्ट)

क्र० सं०	प्रपत्र का विषय	प्रष्ठ संख्या	संलग्न है/नहीं	संलग्न न होने का कारण
1	सक्षम अधिकारी/ऑन-लाईन प्रस्ताव प्रेषित करने हेतु नामित अधिकारी का प्रमाण-पत्र।	8	संलग्न है	-
2	भारत सरकार द्वारा निर्धारित प्रपत्र भाग-1, 2 तथा भाग-3.	9-13	संलग्न है	-
3	परियोजना की द्वितीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति।	14-17	संलग्न है	-
4	सम्बन्धित विभागों द्वारा फील्ड में सम्पन्न संयुक्त निरीक्षण रिपोर्ट	18	संलग्न है	-
5	भारत सरकार द्वारा निर्धारित प्रपत्र पर प्रभागीय वनाधिकारी की स्थलीय निरीक्षण रिपोर्ट (Site Inspection Report)	19	संलग्न है	-
6	1:50,000 पैमाने का टोपोग्राफी का मानचित्र जिसमें प्रस्तावित भूमि को अलग-अलग रंगों से दर्शाया गया हो।	20	संलग्न है	-
7	डिजिटल मैप व सी0डी0 में प्रस्तावित क्षेत्र को जी0पी0एस0 रिडिंग के साथ दर्शाया गया हो।	21	संलग्न है	-
8	गूगल मानचित्र जिसमें प्रस्तावित कार्य का पूर्ण विवरण दर्शाया गया हो।	22	संलग्न है	-
9	प्रस्तावित कार्य हेतु वन भूमि के मांग का पूर्ण औचित्य को दर्शाते हुए एक विस्तृत आख्या।	22-A	संलग्न है	-
10	गूगल मानचित्र जिसमें प्रस्तावित कार्य का पूर्ण विवरण अंकित हो तथा वैकल्पिक संरक्षण एवं प्रस्तावित भूमि को पूर्ण रूप से दर्शाया गया हो।	21-22	संलग्न है	-
11	वैकल्पिक संरक्षण तलाशें जाने एवं उन्हें निरस्त किये जाने का कारण का तुलनात्मक विवरण।	23-32	संलग्न है	-
12	वैकल्पिक भूमि उपलब्ध न होने तथा वन भूमि की मांग न्यूनतम होने का प्रमाण-पत्र।	33	संलग्न है	-
13	प्रभावित भूमि का लैण्ड शैड्यूल।	35-36	संलग्न है	-
14	परियोजना की लम्बाई एवं चौड़ाई।	37	संलग्न है	-
15	बार-घाट।	38	संलग्न है	-
16	कार्य आरम्भ न किये जाने का प्रमाण-पत्र।	39	संलग्न है	-
17	प्रभावित होने वाले वृक्षों का प्रजातिवार/ व्यासवार विवरण।	40-47	संलग्न है	-
18	प्रभावित होने वाले वृक्षों का मूल्योपेक्षा/सारांश।	49-51	संलग्न है	-
19	वास्तविक रूप से काटे जाने वाले वृक्षों का विवरण।	48	संलग्न है	-
20	बौज प्रजाति के वृक्ष प्रभावित होने की दशा में सम्बन्धित वन संरक्षक की संस्तुति आख्या एवं प्रमाण-पत्र।	52	संलग्न है	-
21	वृक्ष प्रभावित न होने सम्बन्धी प्रमाण-पत्र।	लागू नहीं है	संलग्न नहीं है	प्रस्तावित परियोजना में वृक्ष प्रभावित हो रहे हैं।
22	न्यूनतम वृक्षों के पातन किये जाने का प्रमाण-पत्र।	54	संलग्न है	-
23	परियोजना स्थल का राष्ट्रीय पार्क/वन्य जीव अभ्यारण्य का हिस्सा न होने एवं हवाई दृश्य का प्रमाण-पत्र।	55-56	संलग्न है	-
24	मुख्य वन्य जीव प्रतिपालक का अनापत्ति प्रमाण-पत्र। (वन्य जीव क्षेत्रों के लिये)	57	संलग्न है	-
25	राष्ट्रीय पार्क/वन्य जीव अभ्यारण्य में प्रस्तावित कार्य करने से पूर्व मा0 उच्चतम न्यायालय एवं भारतीय वन्य जीव परिषद की अनुमति।	लागू नहीं है	संलग्न नहीं है	प्रस्तावित परियोजना राष्ट्रीय पार्क/वन्य जीव अभ्यारण्य का हिस्सा नहीं है।
26	प्रभावित ग्रामों की आम सभाओं का अनापत्ति प्रमाण-पत्र।	58-60	संलग्न है	-
27	लागत लाभ विश्लेषण (5 हे० से अधिक क्षेत्रफल के प्रकरणों में लागू)	लागू नहीं है	संलग्न नहीं है	प्रस्तावित परियोजना 5 हे० से कम है।
28	वन अधिकार अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत अनापत्ति प्रमाणपत्र	61-67	संलग्न है	-

29	परियोजना के विभिन्न घटकों का मदवार विवरण। (केवल जल विद्युत परियोजनाओं हेतु)	लागू नहीं है	संलग्न नहीं है	प्रस्तावित कार्य जल विद्युत परियोजना नहीं है।
30	भवन निर्माण आदि प्रकरणों में ले-आउट प्लान।	लागू नहीं है	संलग्न नहीं है	प्रस्तावित परियोजना भवन निर्माण सम्बन्धित नहीं है।
31	परियोजना के निर्माण हेतु भू-वैज्ञानिक की आख्या।	68-70	संलग्न है	-
32	भू-वैज्ञानिक के सुझावों का अनुपालन किये जाने का प्रमाण पत्र।	71	संलग्न है	-
33	पर्वतीय क्षेत्रों में टैस्कोफोर्स की संस्तुतियों मान्य होने का प्रमाणपत्र	72-73	संलग्न है	-
34	मानक शर्तें मान्य होने का प्रमाण-पत्र।	74-75	संलग्न है	-
35	प्रस्तावित स्थल धार्मिक/पौराणिक/एतिहासिक महत्व का होने अथवा न होने का प्रमाण-पत्र।	76	संलग्न है	-
36	वन्य जीवों एवं वनस्पतियों को क्षति न पहुँचाये जाने का प्रमाणपत्र	77	संलग्न है	-
37	परियोजना के निर्माण में कार्यरत श्रमिकों को मिट्टी का तेल/कुकिंग गैस उपलब्ध कराये जाने का प्रमाण-पत्र।	78	संलग्न है	-
38	लाभान्वित होने वाले ग्रामों/जनसंख्या/ परिवारों के विवरण का प्रमाण-पत्र।	79	संलग्न है	-
39	जिलाधिकारी द्वारा निर्धारित वन भूमि का वर्तमान मूल्य/लीज रेंट का प्रमाण-पत्र।	80	संलग्न है	-
40	क्षतिपूरक वृक्षारोपण की 10 वर्षीय योजना का प्राक्कलन मय मानचित्र। (1 हे० से अधिक क्षेत्रफल के प्रकरणों में लागू)	85-87	संलग्न है	-
41	क्षतिपूरक वृक्षारोपण स्थल की उपयुक्तता का प्रमाण-पत्र।	88	संलग्न है	-
42	1:50,000 पैमाने का टोपोग्राफी का मानचित्र जिसमें क्षतिपूरक वृक्षारोपण स्थल को दर्शाया गया हो।	81-82	संलग्न है	-
43	रंगीन गूगल मानचित्र जिसमें क्षतिपूरक वृक्षारोपण स्थल को दर्शाया गया हो।	83-84	संलग्न है	-
44	रिक्त स्थानों पर वृक्षारोपण/पथ वृक्षारोपण/दस गुना/बौनी प्रजातियों/100 वृक्षों के वृक्षारोपण का प्राक्कलन।		संलग्न है	-
45	यदि गैर वन भूमि अथवा राजस्व भूमि की आवश्यकता हो तो भूमिधर का अनापत्ति प्रमाण-पत्र एवं भूमि धरों का भूमि धर होना का प्रमाण-पत्र।	लागू नहीं है	संलग्न नहीं है	-
46	भूमिधर एवं प्रस्तावक विभाग के मध्य हुये अनुबन्ध ।	लागू नहीं है	संलग्न नहीं है	-
47	मक डिस्पोजल की विस्तृत योजना, मानचित्र व उपचार कार्य का प्राक्कलन।	89-92	संलग्न है	-
48	भारत सरकार के निर्देशानुसार देय एन०पी०वी० की धनराशि का आकलन।	93	संलग्न है	-
49	एन०पी०वी० की वर्तमान दरों में वृद्धि होने पर बढ़ी हुई धनराशि का वन विभाग को भुगतान किये जाने का प्रमाण-पत्र।	94	संलग्न है	-
50	प्रत्यावर्तित वन भूमि का सीमा स्तम्भों द्वारा सीमांकन किये जाने का प्राक्कलन।	95	संलग्न है	-
51	लीज अवधि का प्रमाण-पत्र। (वन भूमि लीज पर दिये जाने/लीज नवीनीकरण के प्रकरणों में)	96	संलग्न है	-
52	वन संरक्षण अधिनियम, 1980 के उल्लंघन न होने का ना होने का प्रमाण पत्र और होने की दशा में विवरण।	97	संलग्न है	-
53	जल विद्युत परियोजना हेतु कैंट प्लान (यदि लागू हो) व कैंट प्लान की धनराशि जमा कराये जाने का प्रमाण-पत्र।	लागू नहीं है	संलग्न नहीं है	प्रस्तावित कार्य जल विद्युत परियोजना नहीं है।
54	भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय की पर्यावरणीय स्वीकृति। (यदि लागू हो)	लागू नहीं है	संलग्न नहीं है	लागू नहीं है
57	कालातीत लीजों के नवीनीकरण हेतु प्रपत्र।	लागू नहीं है	संलग्न नहीं है	लागू नहीं है

फैक्ट सीट

1-परियोजना का नाम:- जनपद रुद्रप्रयाग में राज्य योजना के अन्तर्गत नागजगई-फेगू-बरम्वाड़ी मोटर मार्ग का विस्तार सेतु सहित निर्माण हेतु वन भूमि का लो०नि०वि० को हस्तान्तरण।

2-प्रस्तावित भूमि का वैधानिक स्थिति के अनुसार क्षेत्रफल (है० में)

आरक्षित वन भूमि	शून्य
राज्य भूमि	1.138 मोटर मार्ग हेतु + 0.313 मक इम्पिंग हेतु = 1.451
नाप भूमि	2.498
वन पंचायत भूमि	शून्य
योग	3.949

3-प्रस्तावक विभाग का नाम -

निर्माण खण्ड लोक निर्माण विभाग ऊखीमठ

4-वन प्रभाग का नाम -

रुद्रप्रयाग वन प्रभाग रुद्रप्रयाग

5-प्रस्ताव बांडिंग किया गया है-

हाँ/नहीं

6-प्रस्ताव में विषय सूची भरी गयी है -

हाँ/नहीं

7-क्या भारत सरकार के प्रारूप के भाग-1,2, व 3 के सभी

बिन्दुओं की सूचना भरी गई है -

हाँ/नहीं

8- क्या प्रारूप में वांछित स्थानों पर दिनांक व स्थान भरा गया है-

हाँ/नहीं

9-प्रस्तावित क्षेत्र की हरियाली का घनत्व दर्शाया गया है-

हाँ/नहीं

10- प्रस्तावित होने वाले वृक्षों की संख्या की सूची /प्रमाण-पत्र संलग्न है-

हाँ/नहीं

11-बाँज प्रजातियों के वृक्षों के प्रभावित होने की दशा में संबन्धित वन संरक्षक का स्थलीय निरीक्षण प्रमाण-पत्र संलग्न है-

हाँ/नहीं

12- प्रभावित होने वाले वृक्षों की संख्या यदि अत्याधिक है तो प्रस्तावक विभाग द्वारा उन्हें कम करने का प्रयास किया गया है-

हाँ/नहीं

- 13-समरेखण में आने वाले कुल वृक्षों की संख्या व वास्तविक रूप से काटे जाने वाले वृक्षों की सूची संलग्न है - हाँ / नहीं
- 14-क्या वृक्षों की संख्या के अनुसार हरियाली का घनत्व सही है- हाँ / नहीं
- 15-क्या क्षतिपूरक वृक्षारोपण की विस्तृत योजना मय स्थल उपयुक्तता प्रमाण-पत्र सहित प्रस्ताव में संलग्न है - हाँ / नहीं
- 16-क्या मानचित्र में क्षतिपूरक वृक्षारोपण स्थल को दर्शाया गया है- हाँ / नहीं
- 17-प्रस्तावित मार्ग के दोनों ओर/परियोजना के आसपास रिक्त पड़े स्थानों की वृक्षारोपण योजना संलग्न है- हाँ / नहीं
- 18-क्या परियोजना क्षेत्र वन्य जीवों के संरक्षण की दृष्टि से महत्वपूर्ण हैं- हाँ / नहीं
- 19-प्रस्तावित क्षेत्र हाथी कोरीडोर का हिस्सा है- हाँ / नहीं
यदि हाँ तो मुख्य वन्य जीव प्रतिपालक का प्रमाण-पत्र संलग्न है - हाँ / नहीं
- 20-क्या प्रस्ताव का क्षेत्रफल सभी प्रपत्रों में सही भरा गया है हाँ / नहीं
- 21-प्रस्तावित मार्ग नया प्रस्तावित है अथवा पूर्व निर्मित मार्ग से आगे निर्माण किया जाना है-
(यदि पूर्व निर्मित मार्ग से आगे बनाया जाना है तो पूर्व में जारी तो भारत सरकार की स्वीकृति की प्रति संलग्न करें)
- 22-क्या मानचित्र में प्रभावित विभिन्न प्रकार की भूमि को अलग-अलग रंगों से भरा गया है - हाँ / नहीं
- 23-यदि सड़क का आरम्भिक बिन्दु किसी मार्ग से निकलता है तो उस मार्ग को मानचित्र पर दर्शाया गया है - हाँ / नहीं
- 24-क्या प्रस्तावित परियोजना में वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 का उल्लंघन हुआ है - हाँ / नहीं
- 25-यदि उल्लंघन हुआ है तो पूर्ण स्थिति वर्णित करते हुये दोषी अधिकारियों/कर्मचारियों के नाम एवं उनके विरुद्ध की गई कार्यवाही का विवरण संलग्न किया जाय।
- 26-सड़क निर्माण हेतु तलाशी गई अन्य सम्भावनायें/वैकल्पिक समरेखण मानचित्र पर दर्शाये गये हैं- हाँ / नहीं
- 27-वैकल्पिक समरेखणों को निरस्त करने का कारण (एक विस्तृत नोट संलग्न किया जाय)।

28-लागत लाभ विश्लेषण मात्रात्मक रूप में प्रस्तुत है

(5.00 है.से अधिक के प्रकरणों में लागू होगा)

हाँ/नहीं

29-मानचित्र व वारचार्ट में एकरूपता है

हाँ/नहीं

30-मलवे के निस्तारण की योजना मय मानचित्र सहित संलग्न है

हाँ/नहीं

अथवा

मलवे के निस्तारण के सम्बन्ध में प्रमाण-पत्र संलग्न है

हाँ/नहीं

31-राज्य सरकार द्वारा लगाई जाने वाली शर्तों का प्रमाण-पत्र प्रस्ताव के

साथ संलग्न है

हाँ/नहीं

32-क्या प्रस्ताव में संलग्न प्रमाण-पत्रों की फोटो प्रतियां मूल में संलग्न है

यदि छायाप्रतियाँ संलग्न की गई है तो क्या वे सत्यापित हैं-

हाँ/नहीं

33-यदि वन भूमि लीज पर दी जानी है तो लीज अवधि का प्रमाण-पत्र संलग्न है-

हाँ/नहीं

34-वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति संलग्न है-

हाँ/नहीं

35-क्या प्रस्ताव के सभी प्रमाण-पत्रों में परियोजना का नाम अंकित है-

हाँ/नहीं

36-क्या चैक लिस्ट के अनुसार सभी प्रमाण-पत्र संलग्न है-

हाँ/नहीं

प्रमाणित किया जाता है कि प्रस्ताव उक्त फैक्ट शीट एवं चैक लिस्ट के अनुसार गठित किया गया है व समस्त प्रमाण-पत्र / सूचनाएँ संलग्न कर दी गई हैं।


कनिष्ठ अभियन्ता
निर्माण खण्ड, लो.नि.वि.
ऊखीमठ, (रुद्रप्रयाग)


सहायक अभियन्ता
निर्माण खण्ड, लो.नि.वि.
ऊखीमठ, (रुद्रप्रयाग)


अधिसूची अभियन्ता
निर्माण खण्ड, लो.नि.वि.
ऊखीमठ, (रुद्रप्रयाग)


अधीक्षक, गुप्तकाशी
यूनिट प्रशासिका


उपप्रभारी वनाधिकारी
जखली उप वन प्रभाग
रुद्रप्रयाग


उप प्रभारी वन प्रभाग
रुद्रप्रयाग

प्रपत्र-1

प्रतिवेदन

परियोजना का नाम:- जनपद रुद्रप्रयाग में राज्य योजना के अन्तर्गत नागजगई-फेगू-बरम्वाड़ी मोटर मार्ग का विस्तार सेतु सहित निर्माण हेतु वन भूमि का लो0नि0वि0 को हस्तान्तरण।

इस परियोजना की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति शासनादेश सं0 2555 / III (2) / 06-41(प्रा0आ0) / 06 दिनांक 26/09/2006 के द्वारा राज्य योजना के अन्तर्गत ग्रामीण असंयोजित वसावतों को बारहमासी सम्पर्क मार्गों से संयोजित करने हेतु उक्त मोटर मार्ग 4.00 कि०मी० लम्बाई में स्वीकृत है तथा वास्तविक लम्बाई 4.400 कि०मी० है, जिसकी धनराशी रू० 289.50 है। उक्त मोटर मार्ग के समरेखण में पड़ने वाली वन भूमि का विवरण निम्नवत् है।

क्र०सं०	भूमि की श्रेणी	लम्बाई (मी० में)	चौड़ाई (मी० में)	कुल क्षेत्रफल (हे०में)
1	आरक्षित वन भूमि	शून्य	शून्य	शून्य
2	राज्य भूमि (I) मोटर मार्ग निर्माण हेतु (II) मक इम्पिंग हेतु	1625	7	1.138 + 0.313 = 1.451
3	वन पंचायत भूमि	शून्य	शून्य	शून्य
	वनभूमि का योग:-	1625	7	1.138 + 0.313 = 1.451
4	नाप भूमि	2775	9	2.498
	कुल योग:-	4400	-	3.949

अतः वन भूमि प्रस्ताव गठित कर स्वीकृति हेतु प्रेषित किये जा रहे हैं, ताकि वन भूमि हस्तान्तरण के पश्चात् मार्ग निर्माण कार्य प्रारम्भ किया जा सके।


अमीन,
निर्माण खण्ड, लो०नि०वि०
ऊखीमठ, (रुद्रप्रयाग)


कनिष्ठ अभियन्ता,
निर्माण खण्ड, लो०नि०वि०
ऊखीमठ, (रुद्रप्रयाग)


सहायक अभियन्ता,
निर्माण खण्ड, लो०नि०वि०
ऊखीमठ, (रुद्रप्रयाग)


अधिशासी अभियन्ता,
निर्माण खण्ड, लो०नि०वि०
ऊखीमठ, (रुद्रप्रयाग)

Authrity Letter

Er. Andeep Rana, Assistant Engineer son of Sh. D. S. Rana is hereby authorised to upload the Land Transfer Proposal regarding Roads and Bridges of Construction Division, P.W.D. Ukhimath (Agency name) on the Government of India portal www.forestclearance.nic.in on behalf of Er. Manoj Das, Executive Engineer (head of the Instituion name /designation)



(Manoj Das)

Executive Engineer,
C.D, P.W.D. Ukhimath

प्रपत्र-2

परिशिष्ट
(देखिए नियम -6)
फार्म- 'क'

1. सरकारों तथा अन्य प्राधिकारियों द्वारा प्रस्तावों की धारा-2 के अन्तर्गत पूर्व अनुमति लेने का फार्म
भाग-1

(प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा भरे जाने के लिए)

परियोजना विवरण

- | | | | |
|-------|---|----|--|
| (i) | अपेक्षित वन भूमि के लिए प्रस्ताव/परियोजना/स्कीम का संक्षिप्त विवरण | :- | जनपद रुद्रप्रयाग में राज्य योजना के अन्तर्गत नागजगई-फेमू-बरम्वाड़ी मोटर मार्ग का विस्तार सेतु सहित निर्माण हेतु 1.451 हे० राज्य भूमि का लो०नि०वि० को हस्तान्तरण। |
| (ii) | 1:50000 स्केल मैप पर वन भूमि और उसके आस पास के वनों की सीमाओं को दर्शाने वाला डिजिटल मैप। | :- | संलग्न |
| (iii) | परियोजना लागत। | :- | 289.50 लाख |
| (iv) | वन क्षेत्र में परियोजना स्थापित करने का आविर्भाव। | :- | ग्राम नागजगई, टेमरिया, गिवांडीगाँव (परकण्डी) एवं उसके नजदीकी गाँवों को यातायात आवगमन की सुविधा देना। |
| (v) | लागत लाभ विश्लेषण (संलग्न किए जाने के लिए)। | :- | लागू नहीं है। |
| (vi) | रोजगार जिनके पैदा होने की संभावना है | :- | 25200 मानव दिवस |
| 2- | कुल अपेक्षित भूमि का उद्देश्यवार विवरण | :- | मोटर मार्ग निर्माण हेतु 1.451 हे० राज्य वन भूमि की आवश्यकता है। |
| 3- | परियोजना के कारण लोगों का हटाने का विवरण, यदि कोई है | :- | शून्य |
| | (i) परिवारों की संख्या। | :- | शून्य |
| | (ii) अनुसूचित जाति/जनजाति के परिवारों की संख्या। | :- | शून्य |
| | (iii) पुनर्वास योजना (संलग्न किए जाने लिए)। | :- | शून्य |
| 4- | क्या पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के अन्तर्गत मंजूरी आवश्यक है? (हां/नहीं) | :- | मार्ग कार्य निर्माण प्रारम्भ नहीं किया गया है राज्य वन भूमि हस्तान्तरण स्वीकृति आवश्यक है। |
| 5- | प्रतिपूरक वनीकरण करने तथा उसके अनुरक्षण और/या दण्डसवरूप प्रतिपूरक वनीकरण की लागत के साथ-साथ राज्य सरकार द्वारा तैयार की गई योजना के अनुसार संरक्षण लागत और सुरक्षा क्षेत्र आदि में पुनः वनीकरण की वचनबद्धता (वचनबद्धता संलग्न की जाए) | :- | संलग्न |
| 6 | निर्देशों के अनुसार संलग्न अपेक्षित प्रमाणपत्रों /दस्तावेजों का व्यौरा। | :- | विषय सूची के अनुसार संलग्न है |

तिथि... 3/8/15
स्थान... उरबीमड


(मनोज दास)

अधिशाली अभियन्ता
निर्माण खण्ड, लो.नि.वि.
ऊखीमठ, (रुद्रप्रयाग)

प्रस्ताव की राज्य क्रम संख्या
(प्राप्ति की तारीख के साथ नोडल अधिकारी द्वारा भरा जाना है)

प्रपत्र-3

भाग-2

(सम्बन्धित उप वन संरक्षक द्वारा भरा जाना है।)

प्रस्ताव की राज्य क्रम संख्या.....

7. परियोजना/स्कीम का स्थान

- (i) राज्य/संघ शासित क्षेत्र।
(ii) थल
(iii) वन प्रभाग
(iv) वनेतर प्रयोग के लिए प्रस्तावित वन भूमि का क्षेत्र (हेक्टे.में)
(v) वन की कानूनी स्थिति
(vi) हरियाली का घनत्व
(vii) प्रजाति-वार (वैज्ञानिक नाम) और परिधि श्रेणीवार वृक्षों की परिगणना (संलग्न की जाए)। सिंचाई/जलीय परियोजनाओं के सम्बन्ध में एफ.आर.एल., एफ.आर.एल.-2 मीटर पर परिगणना और एफ.आर.एल. -4 मीटर भी संलग्न किए जाए।
(viii) भूक्षरण के लिए वन क्षेत्र की संवेदनशीलता पर संक्षिप्त टिप्पणी।
(viii) वनेत्तर प्रयोग के लिए प्रस्तावित स्थल की वन की सीमा से अनुमानित दूरी
(x) क्या फार्म राष्ट्रीय उद्यान, वन्यजीव अभयारण, जैवमण्डल रिजर्व, बाघ रिजर्व, हाथी कोरीडोर आदि का भाग है। (यदि हां, क्षेत्र का व्यास और प्रमुख वन्यजीव वार्डन की टिप्पणी अनुबद्धित की जाए)
(xi) क्या क्षेत्र में वनस्पति और प्राणिजात की दुर्लभ/संकटापन्न विशिष्ट प्रजातियां पाई जाती हैं। यदि हां/ तो तत्सम्बन्धी व्यास दें।
(xii) क्या कोई सुरक्षित पुरातत्तीय/पारस्परिक स्थल/रक्षा प्रतिष्ठान और कोई अन्य महत्वपूर्ण स्मारक क्षेत्र में स्थित है। यदि हां, तो तत्सम्बन्धी व्यास सक्षम प्राधिकरण से अनापत्ति प्रमाणपत्र के साथ यदि अपेक्षित हो दें।
- 8- प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा भाग-1 कालम 2 में प्रस्तावित वन भूमि की आवश्यकता परियोजना के लिए अपरिहार्य और न्यूनतम है यदि नहीं तो जांचे गये विकल्पों के व्यासों के साथ मदवार संस्तुति क्षेत्र क्या है।
- 9- क्या अधिनियम के उल्लंघन में कोई कार्य किया गया है। (हां/नहीं) यदि हां, तो कार्य की अवधि, दोषी अधिकारियों पर की गई कार्रवाई सहित कार्य का व्यास दे क्या उल्लंघन सम्बन्धी कार्य अभी भी चल रहे हैं।
- 10- प्रतिपूरक वनीकरण स्कीम का व्यास
- (i) प्रतिपूरक वनीकरण के लिए अभिनिर्धारित वनेतर क्षेत्र/अवक्रमित वन क्षेत्र आस-पास के वन से इसकी दूरी, भू-खण्डों की संख्या प्रत्येक

- जनपद रुद्रप्रयाग में राज्य योजना के अन्तर्गत नागजगई-फेगू-बरम्वाड़ी मोटर मार्ग का विस्तार सेतु सहित निर्माण हेतु 1.451 है० राज्य भूमि का लो०नि०वि० को हस्तान्तरण।
उत्तराखण्ड
रुद्रप्रयाग
रुद्रप्रयाग वन प्रभाग।
1.451 है.
राज्य भूमि
0.20
सूची संलग्न है।
भूक्षरण की सम्भावना नहीं है।
3.5 Km.
नहीं
नहीं
नहीं
प्रस्तावित भूमि न्यूनतम है व प्रमाण पत्र संलग्न है।
मार्ग निर्माण कार्य अभी प्रारम्भ नहीं किया गया है। अतः कोई उल्लंघन नहीं है।
संलग्न
संलग्न

- (ii) प्रतिपूरक वनीकरण के लिए अभिनिर्धारित वनेतर / अवक्रमित वन क्षेत्र और आस-पास की वन सीमाओं को दर्शाता मैप। :- संलग्न
- (iii) रोपित की जाने वाली प्रजाति सहित प्रतिपूरक वनीकरण स्कीम के विवरण कार्यान्वयन एजेंसी, समय अनुसूची लागत ढांचा आदि। :- संलग्न
- (iv) प्रतिपूरक वनीकरण स्कीम के लिए कुल वित्तीय परिव्यय। :- 4,76,517 = 00
- (v) प्रतिपूरक वनीकरण के लिए अभिनिर्धारित क्षेत्र की उपयुक्तता के बारे में और प्रबन्धकीय दृष्टिकोण से सक्षम प्राधिकरण से प्रमाण पत्र (सम्बन्धी उप वन संरक्षक द्वारा हस्ताक्षरित किया जाए) :- संलग्न
11. जिला वन संरक्षक की स्थल निरीक्षण रिपोर्ट विशेषतः उपर्युक्त कालम 7 (xi,xii) 8 और 9 में पूछे गए तथ्यों को दर्शाते हुए (संलग्न करें) :- संलग्न
12. प्रभाग / जिला प्रोफाइल :- रुद्रप्रभाग वन प्रभाग / रुद्रप्रभाग
- (i) जिले का वन क्षेत्र :- 1984 वर्ग किमी.
- (ii) मामलों की संख्या सहित 1980 से वनेतर प्रयोग में लाया गया कुल वन क्षेत्र :- 1796.995 वर्ग किमी.
- (iii) 1980 से जिला / प्रभाग में निर्धारित कुल प्रतिपूरक वनीकरण :- 578.991 hae - 151 case
- (d) दण्ड के रूप में प्रतिपूरक वनीकरण सहित वन भूमि :- 1129.614 hae
- ([k) वनेत्तर भूमि पर :- X
- (v) 2015 तक प्रतिपूरक वनीकरण में हुई प्रगति :-
- (d) वन भूमि पर :- 1129.614 hae
- ([k) वनेत्तर भूमि पर :-
13. प्रस्ताव को स्वीकृत करने अथवा प्रस्ताव को अन्यथा लेने के सम्बन्ध में उप वन संरक्षक की विशेष सिफारिश। :- परियोजना विकास कार्य से सम्बन्धित है. सिफारिश की जाती है.


यूनिट अधिकारी, गुप्तकाशी
यूनिट गुप्तकाशी

दिनांक :-
स्थान:-


उप वन संरक्षक
रुद्रप्रभाग वन प्रभाग
प्रभागिय तृतीय कारी
रुद्रप्रभाग

भाग III

(सम्बन्धित वन संरक्षक द्वारा भरा जाना है)

- स्थल, जहाँ की वन भूमि शामिल की गई है क्या :-
 इसका सम्बन्धित वन संरक्षक ने निरीक्षण किया है
 14. (हां/नहीं) यदि हां तो निरीक्षण की तारीख और किए
 गए प्रश्नों को, निरीक्षण नोट के रूप में संलग्न
 करें।
 15. क्या सम्बन्धित वन संरक्षक भाग ख में दी गई सूचना :-
 और उप वन संरक्षक के सुझावों से सहमत हैं।
 16. प्रस्ताव को स्वीकृति या अन्यथा के बारे में संबन्धित :-
 वन संरक्षक की विस्तृत कारणों के साथ विशेष
 सिफारिशें।

हस्ताक्षर

दिनांक:-

नाम:-

स्थान:-

सरकारी मोहर

भाग IV

(नोडल अधिकारी अथवा प्रधान मुख्य वन संरक्षक अथवा अध्यक्ष वन विभाग द्वारा भरे जाने के लिए)

- टिप्पणी के साथ प्रस्ताव वन स्वीकार करने या :-
 अन्यथा के लिए राज्य वन विभाग की विस्तृत राय
 और निर्दिष्ट सिफारिशें।
 (राय देते समय, सम्बन्धित वन संरक्षक अथवा उप :-
 वन संरक्षक की प्रतिकूल टिप्पणियों की सुस्पष्ट
 समीक्षा की जाए और विवेकात्मक टिप्पणी दी जाए।)

हस्ताक्षर

दिनांक:-

नाम:-

स्थान:-

सरकारी मोहर

प्रपत्र-4

भाग V

(वन विभाग के प्रभारी सचिव अथवा राज्य सरकार के किसी अन्य प्राधिकृत अधिकारी जो अपर सचिव के पद के नीचे का अधिकारी न हो द्वारा भरा जाना है)

18. राज्य सरकार सिफारिश। :-

(उपर्युक्त भाग II या भाग III या भाग IV में किसी अधिकारी या प्राधिकारी द्वारा की गई प्रतिकूल टिप्पणियों पर विशिष्ट टिप्पणी की जाय) :-

हस्ताक्षर

दिनांक:-

नाम:-

स्थान:-

सरकारी मोहर

प्रपत्र- 5

परियोजना का नाम:- जनपद रुद्रप्रयाग में राज्य योजना के अन्तर्गत नागजगई-
फेगू-बरम्वाड़ी मोटर मार्ग का विस्तार सेतु सहित निर्माण
हेतु वन भूमि का लो०नि०वि० को हस्तान्तरण।

प्रस्तावित परियोजना की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति

परियोजना के निर्माण हेतु शासन / विभागध्यक्ष द्वारा निर्गत प्रशासनिक
तथा वित्तीय स्वीकृति के आदेश की प्रमाणित प्रति प्रस्ताव के साथ संलग्न है।



कनिष्ठ अभियन्ता,
निर्माण खण्ड, लो०नि०वि०
ऊखीमठ (रुद्रप्रयाग)



सहायक अभियन्ता,
निर्माण खण्ड, लो०नि०वि०
ऊखीमठ (रुद्रप्रयाग)



अधिशासी अभियन्ता,
निर्माण खण्ड, लो०नि०वि०
ऊखीमठ (रुद्रप्रयाग)

12-47

01372 252173

संख्या-2555/111-2/06-41(प्र.आ.)/06

प्रेषक,

डी० के० पन्त,
संयुक्त सचिव,
उत्तरांचल शासन।

शेका

मुख्य अभियन्ता स्तर-1,
लोक निर्माण विभाग, देहरादून।

लोक निर्माण अनुभाग-2

विषय:- वित्तीय वर्ष 2006-07 में 132(एक सौ बत्तीस) कार्यों की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति तथा व्यय की स्वीकृति।

महोदय,

उपरोक्त विषय के संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि आपके द्वारा उपलब्ध कराये गये 132 कार्यों के रुपये 15401.63 लाख की लागत के आगणनों पर टी.ए.सी. द्वारा परीक्षणोपरान्त औचित्यपूर्ण पायी गयी धनराशि रुपये 14550.29 लाख (रुपये एक सौ पैंतालीस करोड़ पचास लाख उनतीस हजार मात्र) की धनराशि की लागत के आगणन की उनके सम्मुख अंकित संलग्न विवरणानुसार प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुए कार्य प्रारम्भ करने हेतु प्रत्येक कार्य के लिये उनके सम्मुख कालम-06 में अंकित विवरणानुसार कुल रु० 1.32 लाख (एक लाख बत्तीस हजार मात्र) की धनराशि की वर्तमान वित्तीय वर्ष 2006-07 में व्यय की भी श्री राज्यपाल महोदय निम्नलिखित शर्तों के अधीन सहमति स्वीकृति प्रदान करते हैं।

1. आगणन में उल्लिखित दरों का विश्लेषण विभाग के अधीक्षण अभियन्ता द्वारा स्वीकृत/अनुमोदित दरों को जो दरें शिड्यूल ऑफ रेट में स्वीकृत नहीं है, अथवा बाजार भाव से ली गई हो, की स्वीकृति नियमानुसार अधीक्षण अभियन्ता का अनुमोदन आवश्यक होगा। कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व इन भूमि एवं निजी भूमि आदि की कार्यवाही की जाय, तथा भूमि का भुगतान नियमानुसार प्रथम वरीयता के आधार पर किया जाय एवं भूमि की उपलब्धता सुनिश्चित कर कब्जा प्राप्त करने के उपरान्त ही कार्य प्रारम्भ किया जाय।
2. कार्य कराने से पूर्व विस्तृत आगणन/मानचित्र गठित कर नियमानुसार सक्षम प्राधिकारी से प्राविधिक स्वीकृति प्राप्त करनी होगी, बिना प्राविधिक स्वीकृति के कार्य प्रारम्भ न किया जाय।
3. कार्य पर उतना ही व्यय किया जाय जितना की स्वीकृत नार्म है, स्वीकृत नार्म से अधिक व्यय कदापि न किया जाय।
4. कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व तब विभाग की स्वीकृति जिन कार्यों में आवश्यक हो, प्राप्त करके ही धनराशि का आहरण किया जायेगा।
5. एकमुश्त प्राविधान को कार्य करने से पूर्व विस्तृत आगणन गठित कर नियमानुसार सक्षम प्राधिकारी से स्वीकृति प्राप्त करना आवश्यक होगा।
6. कार्य कराने से पूर्व समस्त औपचारिकताएं तकनीकी दृष्टि के मध्य नजर रखते हुए एवं लोक निर्माण विभाग द्वारा प्रचलित दरों/विशिष्टियों के अनुरूप ही कार्यों को सम्पादित कराते समय पालन करना सुनिश्चित करें।
7. कार्य कराने से पूर्व स्थल का भली भाँति निरीक्षण उच्चाधिकारियों एवं पूर्ववर्ती के साथ अवश्य करा जाय।
8. निरीक्षण के पश्चात स्थल आवश्यकतानुसार निर्देशों तथा निरीक्षण रिपोर्टों के अनुरूप कार्य किया जाय।
9. आगणन में जिन मदों हेतु जो राशि स्वीकृत की गई है व्यय उसी मद में किया जाय, एक मद का दूसरी मद में व्यय कदापि न किया जाय।
10. निर्माण सामग्री को प्रयोग में लाने से पूर्व किसी प्रयोगशाला से टेस्टिंग करा ली जाय, तथा उपयुक्त पायी जाने वाला सामग्री को प्रयोग में लाया जाय।
11. कार्यदायी संध्याओं का निर्धारण वित्त अनुभाग-1 द्वारा निर्गत शासन-452/XXVII(1)/2005 दिनांक 05 अप्रैल 2005 एवं उनके द्वारा समय-2 निर्गत आदेशों के अनुसार ही किया जायेगा।

11. कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व सभी योजनाओं हेतु भूमि का अंशों कर को जमा लेने का धनराशि का आहरण किया जायेगा और यदि कब्जा प्राप्त नहीं होता है तो उस योजना हेतु धनराशि का आहरण नहीं किया जायेगा।

12. यदि उक्त कार्यों में से किसी कार्य हेतु लोक निर्माण विभाग के बजट से अथवा अन्य वित्तीय बजट से कोई धनराशि स्वीकृत की जा चुकी है तो उस योजना हेतु इस शासनादेश द्वारा स्वीकृत की जा रही धनराशि का आहरण न करके धनराशि शासन को समर्पित कर दी जायेगी।

13. व्यय करने से पूर्व जिन नामलों में बजट मेनुअल, वित्तीय हस्तापुरितका के नियमों तथा अन्य स्थायी आदेशों के अन्तर्गत शासकीय अथवा अन्य सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति की आवश्यकता हो उनमें व्यय करने से पूर्व प्रत्येक कार्य के आगणनों/पुनरीक्षित आगणनों पर प्रशासकीय एवं वित्तीय अनुमोदन के साथ-साथ विस्तृत आगणनों पर सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति भी प्राप्त कर ली जाये। स्वीकृत की जा रही धनराशि का दिनांक-31.03.2007 तक उपयोग सुनिश्चित कर लिया जाय। कार्य कराने समय टेण्डर विषयक नियमों का भी अनुपालन किया जाय। यदि टेण्डर करने में कार्य प्रशासकीय स्वीकृति की लागत से कम लागत पर पूर्ण होता है तो ऐसे समस्त बचतों को प्रचलित वित्तीय नियमों का अनुपालन कर राजकीय कोष में जमा कर दिया जायेगा।

14. आगामी किस्त तब ही अवमुक्त की जायेगी जब स्वीकृत की जा रही धनराशि का पूर्ण उपयोग कर कार्य की वित्तीय/भौतिक प्रगति विवरण एवं उपयोगिता प्रमाण पत्र प्रस्तुत कर दिया जाय। उक्त धनराशि के पूर्ण उपयोग के उपरान्त ही आगामी किस्त अवमुक्त की जायेगी।

15. कार्य की गुणवत्ता एवं समयबद्धता हेतु संबंधित अधिशासी अनियन्ता पूर्ण रूप से उत्तरदायी होंगे।

16. इस संबंध में होने वाला व्यय वर्तमान वित्तीय वर्ष 2006-07 के अधीन व्यय में लोक निर्माण विभाग के अनुदान संख्या-22 लेखाशीर्षक-5054 सड़कों तथा सेतुओं पर पूंजीगत परिव्यय -04 जिला तथा अन्य सड़कें-आयोजनागत-800-अन्य व्यय -03 राज्य सेक्टर -02 नया निर्माण कार्य-24 कृता निर्माण कार्य के नाम आता जायेगा।

17. यह आदेश वित्त अनुभाग-2 के अशासकीय संख्या-यू.ओ.-621/XXVII(2)/2006 दिनांक 22 सितम्बर, 2006 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।
संलग्नक:- 132 कार्यों की सूची।

महेश्वर

(टी० के० पन्ना,
संयुक्त सचिव।

संख्या-255(1)/III-2/06, तद्विनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यजारी हेतु प्रेषित -

1. मुख्य सचिव, उत्तरांचल शासन।
2. महालेखाकार (लेखा प्रधान), आंबराय भोटस विट्ठिन, नाजद, देहरादून।
3. आयुक्त गढ़वाल/कुनायू मण्डल, पौड़ी/नैनीताल।
4. समस्त जिलाधिकारी/कोषाधिकारी उत्तरांचल।
5. मुख्य अनियन्ता, कुनायू/गढ़वाल क्षेत्र, लो.नि.वि. अल्मोड़ा/पौड़ी।
6. वरिष्ठ कोषाधिकारी, देहरादून।
7. निदेशक, राष्ट्रीय सूचना केन्द्र, उत्तरांचल, देहरादून।
8. वित्त अनुभाग-2/वित्त नियोजन प्रकोष्ठ उत्तरांचल शासन।
9. लोक निर्माण अनुभाग-1/3 उत्तरांचल शासन।
10. गार्ड फ़ाइल।

महेश्वर प्रती प्रमाणित
सहायक अभियन्ता
निर्माण एवं लो० नि० वि०
अल्मोड़ा (गढ़वाल)

आज्ञा से।

(टी० के० पन्ना,
संयुक्त सचिव।

109.	सीरी-सतलुणा-नैल-खारकर मोटर मार्ग का विस्तार	3.00	53.70	50.40	0.01
110.	दिवालीखाल-मराडे-सिंग का डामरीकरण	4.00	81.60	81.60	0.01
111.	मसतुरा से दिलमी-कसोली मार्ग निर्माण	4.00	57.60	57.60	0.01
112.	नागजाई फेगु बरबाडी मोटर मार्ग का विस्तार सेतु सहित	4.00	289.50	289.50	0.01
113.	त्रिभुनी-नाशायण-तीसी मार्ग निर्माण सेतु सहित	6.00	148.80	148.80	0.01
114.	द्वाराहाट में गंगास नदी पर सिलिंग सेतु (दयाफेरा) नामक स्थान पर झुला पुल	50मी०	72.00	72.00	0.01
115.	द्वाराहाट में गंगास नदी पर सांगडी (गमरेत) नामक स्थान पर आर.सी.सी. पैदल पुल	20मी०	25.00	25.00	0.01
116.	कोलागढ़ मसन्दवाला मोटर मार्ग का पुनः निर्माण एवं सुधार		90.50	90.00	0.01
117.	नगरपालिका काशीपुर क्षेत्र के अन्तर्गत विभिन्न भागों में नाली व सड़क निर्माण (नगमपनोपमो)		106.04	105.00	0.01
118.	चौर-कनद-पढाई-बासतोली मोटर मार्ग का निर्माण सेतु सहित	12.00	310.40	258.96	0.01
119.	घायखान से धारखोला मोटर मार्ग का नव निर्माण द्वितीय चरण	3.00	70.96	51.23	0.01
120.	धुर्मा से कुण्डी मोटर मार्ग एवं मोक्ष नदी पर सेतु निर्माण सेतु सहित	4.00+ 36मी०	122.10	122.10	0.01
121.	ज्वारना से बंगियाला मोटर मार्ग का अवशेष भाग का निर्माण	17.00	294.48	294.48	0.01
122.	जंगलचट्टी से सिराणा तक मार्ग निर्माण सेतु सहित	6.00+ 15मी०	120.50	120.50	0.01
123.	बंजारवाल में मधुरविहार की गलियों का पक्कीकरण		14.52	14.50	0.01
124.	असनाली-अणी-खण्डाह मोटर मार्ग का कोठार तक विस्तार	7.00	120.75	120.75	0.01
125.	नगरंज से हरिनन्दा मंदिर तक मोटर मार्ग का घीनखोला तक विस्तार	2.00	35.60	35.60	0.01
126.	देवस्थल कन्नालीछीना मोटर मार्ग के किमी० 4 से 13 तक पुनः निर्माण एवं सुधार		176.00	176.00	0.01
127.	विद्यासभा कॉम्प्लेक्स मार्ग से दून विश्वविद्यालय परिसर मार्ग तक		37.40	36.00	0.01
128.	बदायुन काठगोदाम में कलरिया नाले के ऊपर पैदल सेतु एवं तन्मर्ग मार्ग	20मी०	26.70	23.75	0.01
129.	हरजोली झोला में आर.सी. सी	15 मी०	21.20	21.00	0.01
130.	इकबालपुर में विभिन्न भागों का सी.सी. में परिवर्तन		235.80	235.80	0.01
131.	देहरादून में घन्टदनी में सेवलाकला-नजारा को मुख्य मार्ग से जोड़ने हेतु मार्ग निर्माण		2.47	2.45	0.01
132.	दुनस्थारी के भदतकोट में बसन्त कोट ग्राम के निकट गौरी नदी पर झुला पुल का सुस्थात्कृतक कार्य		3.95	3.13	0.01
कुल योग			15401.63	14570.29	1.32

जोये प्रती प्रमाणित

(रुपये एक लाख बत्तीस हजार मात्र)

सहायक अभियन्ता
निर्माण खण्ड लो० वि० वि०
ऊखीमठ (ऊदप्रयाग)

(हस्ताक्षर/पन्त)
सुयुक्ता राधिव।

प्रपत्र- 6

परियोजना का नाम:- जनपद रुद्रप्रयाग में राज्य योजना के अन्तर्गत नागजगई-फेगू-बरम्वाड़ी मोटर मार्ग का विस्तार सेतु सहित निर्माण हेतु वन भूमि का लो०नि०वि० को हस्तान्तरण।

संयुक्त निरीक्षण रिपोर्ट (प्रमाण पत्र)

प्रमाणित किया जाता है कि आज दिनांक 2/04/2015 को प्रश्नगत प्रयोजन हेतु राज्य वन भूमि प्रत्यावर्तन प्रस्ताव तैयार करने हेतु संयुक्त निरीक्षण किया गया। संयुक्त निरीक्षण के समय वन विभाग की ओर से श्री भरत सिंह राणा (वन दरोगा) एवं राजस्व विभाग की ओर से श्री हर्षनाथ वर्मा (रा.उ.नि.) एवं लो०नि०वि० की ओर से श्री मानसिंह (कनिष्ठ अभियन्ता), श्री विष्णुदत्त नौटियाल (अमीन) द्वारा संयुक्त निरीक्षण में भाग लिया गया। संयुक्त निरीक्षण के समय पाया गया कि उपरोक्त प्रयोजन हेतु निम्नानुसार राज्य वन भूमि / नाप भूमि प्रभावित हो रही है। राज्य वन भूमि 1.451 है, व नाप भूमि 2.498 है प्रभावित हो रही है। परियोजना के निर्माण हेतु आवेदित राज्य वनभूमि के अतिरिक्त अन्य कोई वैकल्पिक भूमि उपलब्ध नहीं है। आवेदित राज्य वन भूमि की मांग यूनतम है। परियोजना के निर्माण हेतु लो०नि०वि० द्वारा सुझाये गये अन्य विकल्पों पर भी विचार किया गया व वर्तमान विकल्प/संरक्षण को सर्वदा उपयुक्त पाया गया। प्रश्नगत कार्य जनहित में किया जाना है व इस परियोजना के निर्माण से 2 गाँव व 512 जनसंख्या लाभविन्त होगी।

आवेदित राज्य वन भूमि में 159 वृक्षों व नाप भूमि पर शून्य वृक्षों का पातन निहित है जिसकी प्रजातिवार / व्यासवार सूची प्रस्ताव में संलग्न है।


अमीन
निर्माण खण्ड, लो.नि.वि.
ऊखीमठ, (रुद्रप्रयाग)


कनिष्ठ अभियन्ता
निर्माण खण्ड, लो.नि.वि.
ऊखीमठ, (रुद्रप्रयाग)


सहायक अभियन्ता
निर्माण खण्ड, लो.नि.वि.
ऊखीमठ, (रुद्रप्रयाग)


अधिसासी अभियन्ता,
निर्माण खण्ड, लो.नि.वि.
ऊखीमठ, (रुद्रप्रयाग)


A. P. S. I. Wary
R.S.I.
Sarcile.....
Tinaesheel.....


सहास्रभार
ऊखीमठ, (रुद्रप्रयाग)
जनपद रुद्रप्रयाग


उपजिलाधिकारी,
ऊखीमठ, (रुद्रप्रयाग)
जनपद रुद्रप्रयाग


वन अधिकारी
यूनिट गुप्तकाशी

प्रभागीय वनाधिकारी
वन प्रभाग रुद्रप्रयाग


उपप्रभाग वनाधिकारी
जखाली उप वन प्रभाग
रुद्रप्रयाग


उपप्रभाग वनाधिकारी
रुद्रप्रयाग वन प्रभाग
रुद्रप्रयाग
14


उपप्रभाग वनाधिकारी
रुद्रप्रयाग

**SITE INSPECTION REPORT- NOT BELOW THE RANK OF DCF
(for the forest land to be diverted under FCA)**

A proposal has been received by this office from **Executive Engineer Construction Division P.W.D. Ukhimath** (for diversion under FCA-1980) of **1.451 hac.** of forest land for non-forestry purpose. The project envisages the use of forest land for construction of **Nagjagai-Fegu-Barmwadi Motor Road with Bridge**. The site inspection of the land involved in the proposal has been done by me on dated **23-05-2016**.

On inspection of the site, it is found that the land required by the user agency is a RF / PF / un-classed / Other forests measuring **1.451 hac.** (~~Civil Land~~) (**REVENUE FOREST LAND**)

The requirement of forest land as proposed by the user agency in Col.2 part-I is unavoidable and is barest minimum required for the project. **Yes**

Whether any rare /endangered /unique species of flora and fauna found in the area, If, so the details there of :- **No**

Whether any protected archeological /heritage site/defense establishment or any other important monument is located in the area, if, so the details thereof with NOC from competent authority, if required.- **No**

a) The user agency has not violated the provisions of forest (Conservation), Act 1980 and no work has been started without proper sanction. **Yes**

b) It has been found that the user agency has violated (Conservation), Act, and 1980 provisions. A details report as per para 1.9 of chapter 1, Para C of Hand book of forest (Conservation) Act, 1980 attached. **No**

Specific recommendation for acceptance or otherwise of the proposal.

Recommended in the Public Interest.

(Signature)

Place:- **Rudraprayag**

Name - (Rajiv Dhiman)
Designation - D.C.F

Date... **23-05-2016**

Office Seal **रुद्रप्रयाग**

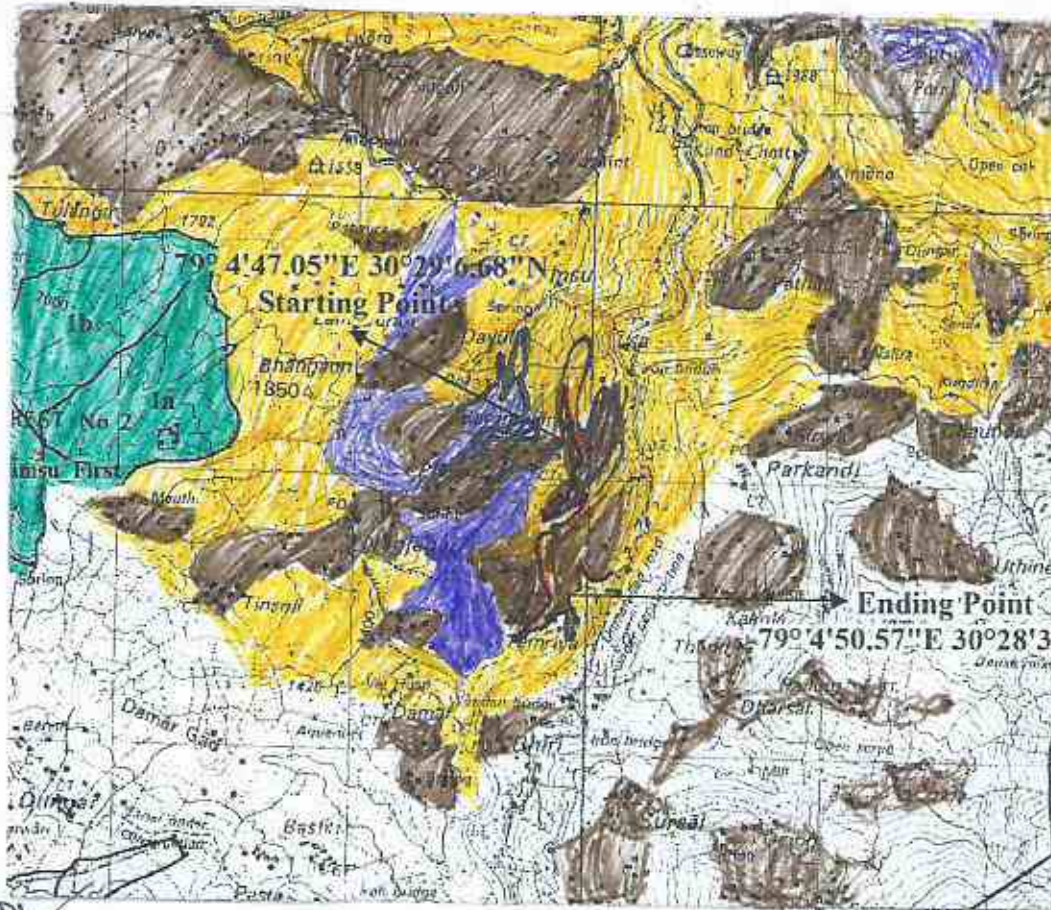
N.B. x State the purpose for which the forest land is proposed to be diverted.
xx Out of(a) and (b) tick the option which is applicable and cross the option which is not applicable.

As per letter number 2-2/2000 FC dated 16-10-2000 from ministry of Environment & Forest, Government of India for proposal involving less than 40 hectares of forest land, the site inspection report from DCF is required and for proposal involving more the 40 hectares of forest land site inspection report from the conservation of forests is required.

प्रपत्र-8

परियोजना का नाम:- जनपद रुद्रप्रयाग में राज्य योजना के अन्तर्गत नागजगई-फेगू-बरम्वाड़ी मोटर मार्ग का विस्तार सेतु सहित निर्माण हेतु वन भूमि का लो०नि०वि० को हस्तान्तरण।

प्रस्तावित परियोजना का स्थल मानचित्र 1:50,000



Ameen
Ameen
C.D. Pw. D. Ukhimath

J.E
J.E

Sunil
सुनील अभियन्ता
निर्माण खण्ड लो० नि० वि०
ऊखीमठ (रुद्रप्रयाग)

(A. S. Farwal)
(A. S. Farwal)
R.S.I.

Sarsika I. 700
Sarsika I. 700
Thaeshel.....

ER
अधिसासी अभियन्ता
निर्माण खण्ड, लो० नि० वि०
ऊखीमठ (रुद्रप्रयाग)

वहनीसिद्धा
वहनीसिद्धा
ऊखीमठ
जनपद रुद्रप्रयाग

हम
उपनिर्वाहकारी
ऊखीमठ
जनपद रुद्रप्रयाग

10
यूनिट अधिकारी, गुप्तकाशी
यूनिट गुप्तकाशी

lagher
जिला अधिकारी
रुद्रप्रयाग

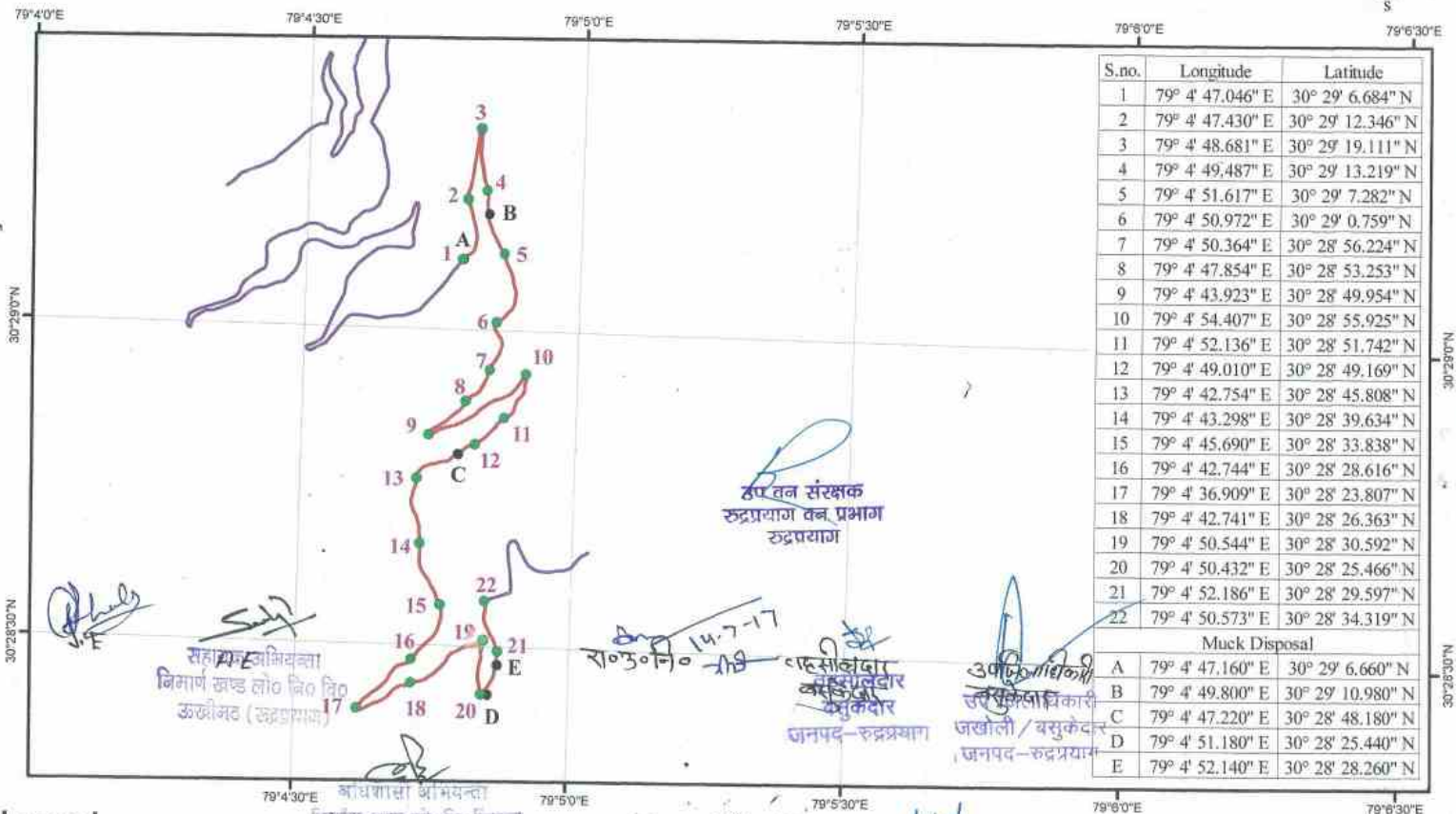
उपप्रभागिय वनीधिकारी
उपप्रभागिय वनीधिकारी
जखाली उपवन प्रभाग

1. प्रस्तावित मोटर मार्ग -
2. वैकल्पिक संरेखण -
3. मुख्य मोटर मार्ग -
4. आरक्षित वन भूमि -
5. पंचायती वन भूमि -
6. राज्य भूमि -
7. नाप भूमि -
8. आबादी क्षेत्र -
9. नदी एवं नाला -

उप वनीकरण अधिकारी
उप वनीकरण अधिकारी
रुद्रप्रयाग वन प्रभाग
रुद्रप्रयाग

जियोरेफरेन्स मैप - जनपद रुद्रप्रयाग में राज्य योजना के अन्तर्गत नागजगई
- फेगू - बरम्वाड़ी मोटर मार्ग का विस्तार सेतु सहित निर्माण हेतु

0 0.5 1.0 2.0 Km
Scale - 1:15,000



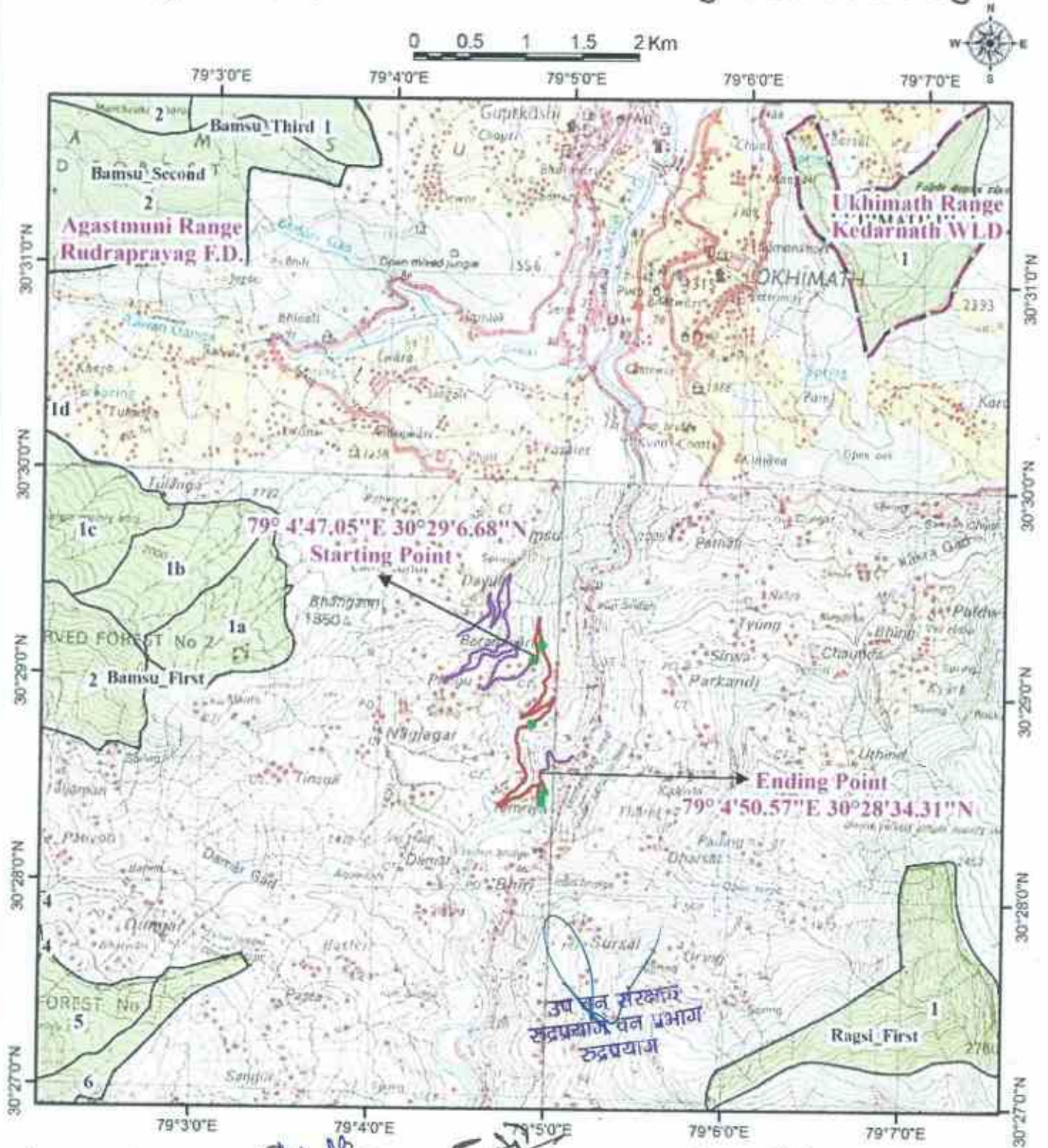
S.no.	Longitude	Latitude
1	79° 4' 47.046" E	30° 29' 6.684" N
2	79° 4' 47.430" E	30° 29' 12.346" N
3	79° 4' 48.681" E	30° 29' 19.111" N
4	79° 4' 49.487" E	30° 29' 13.219" N
5	79° 4' 51.617" E	30° 29' 7.282" N
6	79° 4' 50.972" E	30° 29' 0.759" N
7	79° 4' 50.364" E	30° 28' 56.224" N
8	79° 4' 47.854" E	30° 28' 53.253" N
9	79° 4' 43.923" E	30° 28' 49.954" N
10	79° 4' 54.407" E	30° 28' 55.925" N
11	79° 4' 52.136" E	30° 28' 51.742" N
12	79° 4' 49.010" E	30° 28' 49.169" N
13	79° 4' 42.754" E	30° 28' 45.808" N
14	79° 4' 43.298" E	30° 28' 39.634" N
15	79° 4' 45.690" E	30° 28' 33.838" N
16	79° 4' 42.744" E	30° 28' 28.616" N
17	79° 4' 36.909" E	30° 28' 23.807" N
18	79° 4' 42.741" E	30° 28' 26.363" N
19	79° 4' 50.544" E	30° 28' 30.592" N
20	79° 4' 50.432" E	30° 28' 25.466" N
21	79° 4' 52.186" E	30° 28' 29.597" N
22	79° 4' 50.573" E	30° 28' 34.319" N
Muck Disposal		
A	79° 4' 47.160" E	30° 29' 6.660" N
B	79° 4' 49.800" E	30° 29' 10.980" N
C	79° 4' 47.220" E	30° 28' 48.180" N
D	79° 4' 51.180" E	30° 28' 25.440" N
E	79° 4' 52.140" E	30° 28' 28.260" N

Legend

- Muck Disposal Point
- GPS Coordinates
- Proposed Road

जिला अधिकारी
रुद्रप्रयाग

डिजिटल मैप – जनपद रुद्रप्रयाग में राज्य योजना के अन्तर्गत नागजगई – फेगू – बरम्वाड़ी मोटर मार्ग का विस्तार सेतु सहित निर्माण हेतु



Legend

- Muck Disposal
- Proposed_Road
- Existing Road
- Reserve Forest Boundary
- Reserve Forest
- Forest Division Boundary

सहायक अभियन्ता
निर्माण खण्ड १०० मि० वि०
ऊखीमठ (रुद्रप्रयाग)

उपनिर्देशिका
उप निरीक्षिका
जखल/बसुकेदार
जनपद-रुद्रप्रयाग

अधिकारी अभियन्ता
निर्माण खण्ड १०० मि० वि०
ऊखीमठ (रुद्रप्रयाग)

जनपद-रुद्रप्रयाग

विभागाध्यक्ष

परियोजना का नाम:— जनपद रुद्रप्रयाग में राज्य योजना के अन्तर्गत नागजगई-फेगू-बरम्वाड़ी मोटर मार्ग का विस्तार सेतु सहित निर्माण हेतु वन भूमि का लो०नि०वि० को हस्तान्तरण।

वन भूमि की माँग का औचित्य

प्रस्तावित मोटर मार्ग मयाली-गुप्तकाशी मोटर मार्ग के कि०मी० 10.00 से प्रारम्भ होता है। इस क्षेत्र में ग्राम बरम्वाड़ी, टेमरिया पल्ला व टेमरिया वल्ला की राज्य व नाप भूमि स्थित है। ग्राम बरम्वाड़ी, टेमरिया पल्ला व टेमरिया वल्ला मोटर मार्ग से दूर होने के कारण स्थानीय जनता को पैदल चलना पड़ता है। तथा इस मोटर मार्ग के निर्माण से बरम्वाड़ी, टेमरिया पल्ला व टेमरिया वल्ला जो वर्तमान में मोटर मार्ग से वंचित है राष्ट्रीय राजमार्ग 107 से प्रत्यक्ष रूप से जुड़ जायेगा।

अतः संमरेखण चयन करते समय इस बात का विशेष ध्यान रखा गया है कि वनभूमि न्यूनतम प्रभावित हो तथा कम से कम वृक्षों का पातन की आवश्यकता हो तथा उक्त संमरेखण तकनीकी दृष्टि से भी सर्वदा उपयुक्त है।


अमीन
निर्माण खण्ड, लो.नि.वि.
ऊखीमठ, (रुद्रप्रयाग)


कनिष्ठ अभियन्ता
निर्माण खण्ड, लो.नि.वि.
ऊखीमठ, (रुद्रप्रयाग)


सहायक अभियन्ता
निर्माण खण्ड, लो.नि.वि.
ऊखीमठ, (रुद्रप्रयाग)


अधिसासी अभियन्ता
निर्माण खण्ड, लो.नि.वि.
ऊखीमठ, (रुद्रप्रयाग)

वैकल्पिक समरेखणों को निरस्त किये जाने का प्रमाण-पत्र।

परियोजना का नाम:- जनपद रुद्रप्रयाग में राज्य योजना के अन्तर्गत नागजगई-फेगू-बरम्वाड़ी मोटर मार्ग का विस्तार सेतु सहित निर्माण हेतु वन भूमि का लो०नि०वि० को हस्तान्तरण।

प्रमाणित किया जाता है कि प्रस्तावित परियोजना हेतु विभिन्न उपलब्ध विकल्पों पर विचार किया गया व वर्तमान विकल्प को सर्वदा उपयुक्त पाया गया।


कनिष्ठ अभियन्ता,
निर्माण खण्ड, लो. नि. वि.,
ऊखीमठ (रुद्रप्रयाग)


सहायक अभियन्ता,
निर्माण खण्ड, लो. नि. वि.,
ऊखीमठ (रुद्रप्रयाग)


अधिशाली अभियन्ता,
निर्माण खण्ड, लो. नि. वि.,
ऊखीमठ (रुद्रप्रयाग)


यूनिट अधिकारी, गुप्तकाशी
यूनिट गुप्तकाशी


उपप्रधान वनाधिकारी
जखाली वन प्रभाग
रुद्रप्रयाग


उपवन संरक्षक
रुद्रप्रयाग वन प्रभाग
रुद्रप्रयाग

प्रभागीय वनाधिकारी
रुद्रप्रयाग।

वैकल्पिक समरेखणों को निरस्त किये जाने का प्रमाण-पत्र।

परियोजना का नाम:- जनपद रुद्रप्रयाग में राज्य योजना के अन्तर्गत नागजगई-फेगू-बरम्वाड़ी मोटर मार्ग का विस्तार सेतु सहित निर्माण हेतु वन भूमि का लो०नि०वि० को हस्तान्तरण।

प्रमाणित किया जाता है कि प्रस्तावित परियोजना हेतु विभिन्न उपलब्ध विकल्पों पर विचार किया गया व वर्तमान विकल्प को सर्वदा उपयुक्त पाया गया।


कनिष्ठ अभियन्ता,
निर्माण खण्ड, लो. नि. वि.,
ऊखीमठ (रुद्रप्रयाग)


सहायक अभियन्ता,
निर्माण खण्ड, लो. नि. वि.,
ऊखीमठ (रुद्रप्रयाग)


अधिशाली अभियन्ता,
निर्माण खण्ड, लो. नि. वि.,
ऊखीमठ (रुद्रप्रयाग)


यूनिट अधिकारी, गुप्तकाशी
यूनिट गुप्तकाशी


उपप्रधान वनाधिकारी
जखाली वन प्रभाग
रुद्रप्रयाग


उप वन संरक्षक
रुद्रप्रयाग वन प्रभाग
रुद्रप्रयाग

प्रभागीय वनाधिकारी
रुद्रप्रयाग।

संरेखण आख्या

कार्य का नाम:- जनपद रुद्रप्रयाग में राज्य योजना के अन्तर्गत नागजगई-फेगु-बरमाडी मोटर मार्ग का विस्तार सेतु सहित।

मार्ग की स्वीकृति:- शासनादेशसंख्या 2555/III (2) /06-41 (प्रा.आ.)/06 दिनांक 26-09-2006।

स्वीकृत लम्बाई:- 4.00 कि.मी. सेतु सहित।

वास्तविक लम्बाई:- 4.400 कि.मी.

लागत :- रु. 289.50 लाख।

संरेखण की उपयोगिता:- जनपद रुद्रप्रयाग में राज्य योजना के अन्तर्गत नागजगई-फेगु-बरमाडी मोटर मार्ग मयाली-गुप्तकाशी के कि.मी. 10.00 है. कि.मी. 4-6 से प्रस्तावित है। यह मार्ग पूर्व में ही 4.00 कि.मी. लम्बाई में निर्मित है। उक्त मार्ग का समरेखण कि.मी. 4.5 से आगे प्रारम्भ होता है। उक्त मार्ग का समरेखण पूर्व के पत्रांक शासनादेश संख्या 6391/68 याता.-07/ दिनांक 08.09.2007 द्वारा 5.435 कि.मी. लम्बाई हेतु स्वीकृत था। उक्त समरेखण पर वन भूमि प्रस्ताव भारत सरकार द्वारा निरस्त कर दिया गया है। पुनः उक्त मार्ग का सर्वेक्षण कार्य कर समरेखण प्रस्ताव 4.40 कि.मी. लम्बाई हेतु गठित किया गया है। यह समरेखण पूर्व निर्मित मार्ग से आगे प्रारम्भ होकर टिमरिया-पल्ला-बल्ला को जोड़ते हुए मन्दाकिनी नदी पर निर्मित सेतु को जोड़ता है। ~~दुनों वन विभाग के निदेशों के अन्तर्गत वन भूमि प्रस्ताव नहीं मान्य है।~~
उक्त समरेखण निर्मित पुल के बाई ओर से किया गया है क्योंकि दाई ओर भूमि धसांव भाग होने से मार्ग सुरक्षित नहीं। उक्त मार्ग का निर्माण कार्य सेतु की ओर से प्रारम्भ किया जा सकता है क्योंकि सेतु से टिमरिया तक लगभग 2 कि.मी. तक नाप भूमि पडती है तथा ग्राम बरमाडी वासी नापभूमि देने में सहमत है तथा मार्ग निर्माण से निर्मित सेतु का भी सदुपयोग किया जा सकेगा तथा टिमरिया-पल्ला व टिमरिया बल्ला ग्राम एन. एच.-107 से जुड़ जायेगा तथा मार्ग में निर्मित सेतु का भी सदुपयोग किया जा सकेगा। उक्त समरेखण का भू-वैज्ञानिक द्वारा सर्वेक्षण सन्तोषजनक प्राप्त होने पर निर्माण किया गया है।

अतः मार्ग का संरेखण तकनीकी दृष्टिकोण एवं स्थानीय ग्रामवासियों की सहमति के आधार पर गठित कर पुनरीक्षित समरेखण अनुमोदन हेतु प्रेषित है।

संरेखण का विवरण:- इस प्रकार सर्वे आफ इण्डिया के कन्टूर, मानचित्र पर प्रस्तावित समरेखण क्रमशः लाल एवं हरे रंग से दर्शाया गया है। जिसमें लाल रंग प्रस्तावित संरेखण से क्षेत्र की जनता सन्तुष्ट है तथा तुलनात्मक विवरण के अनुसार प्रस्तावित संरेखण (1) ही उचित है।

अतः प्रस्तावित संरेखण जो कि लाल रंग से अंकित है संस्तुति सहित अनुमोदन हेतु प्रेषित।

अधिसूची अंतर्गत
निर्माण एवं लो. वि.

संरेखण आख्या

कार्य का नाम:- जनपद रुद्रप्रयाग में राज्य योजना के अन्तर्गत नागजगई-फेगु-बरमाडी मोटर मार्ग का विस्तार सेतु सहित।

मार्ग की स्वीकृति:- शासनादेशसंख्या 2555/III (2) /06-41 (प्रा.आ.)/06 दिनांक 26-09-2006।

स्वीकृत लम्बाई:- 4.00 कि.मी. सेतु सहित।

वास्तविक लम्बाई:- 4.400 कि.मी.

लागत :- रु 289.50 लाख।

संरेखण की उपयोगिता:- जनपद रुद्रप्रयाग में राज्य योजना के अन्तर्गत नागजगई-फेगु-बरमाडी मोटर मार्ग मयाली-गुप्तकाशी के कि.मी. 10.00 है. कि.मी. 4-6 से प्रस्तावित है। यह मार्ग पूर्व में ही 4.00 कि.मी. लम्बाई में निर्मित है। उक्त मार्ग का समरेखण कि.मी. 4.5 से आगे प्रारम्भ होता है। उक्त मार्ग का समरेखण पूर्व के पत्रांक शासनादेश संख्या 6391/68 याता.-07/ दिनांक 08.09.2007 द्वारा 5.435 कि.मी. लम्बाई हेतु स्वीकृत था। उक्त समरेखण पर वन भूमि प्रस्ताव भारत सरकार द्वारा निरस्त कर दिया गया है। पुनः उक्त मार्ग का सर्वेक्षण कार्य कर समरेखण प्रस्ताव 4.40 कि.मी. लम्बाई हेतु गठित किया गया है। यह समरेखण पूर्व निर्मित मार्ग से आगे प्रारम्भ होकर टिमरिया-पल्ला-बल्ला को जोड़ते हुए मन्दाकिनी नदी पर निर्मित सेतु को जोड़ता है। ~~दुनों वन विभाग के निदेशों के अन्तर्गत वन भूमि प्रस्ताव नहीं मान्य है।~~
उक्त समरेखण निर्मित पुल के बाई ओर से किया गया है क्योंकि दायाँ ओर भूमि धसांव भाग होने से मार्ग सुरक्षित नहीं। उक्त मार्ग का निर्माण कार्य सेतु की ओर से प्रारम्भ किया जा सकता है क्योंकि सेतु से टिमरिया तक लगभग 2 कि.मी. तक नाप भूमि पडती है तथा ग्राम बरमाडी वासी नापभूमि देने में सहमत है तथा मार्ग निर्माण से निर्मित सेतु का भी सदुपयोग किया जा सकेगा तथा टिमरिया-पल्ला व टिमरिया बल्ला ग्राम एन. एच.-107 से जुड़ जायेगा तथा मार्ग में निर्मित सेतु का भी सदुपयोग किया जा सकेगा। उक्त समरेखण का भू-वैज्ञानिक द्वारा सर्वेक्षण सन्तोषजनक प्राप्त होने पर निर्माण किया गया है।

अतः मार्ग का संरेखण तकनीकी दृष्टिकोण एवं स्थानीय ग्रामवासियों की सहमति के आधार पर गठित कर पुनरीक्षित समरेखण अनुमोदन हेतु प्रेषित है।

संरेखण का विवरण:- इस प्रकार सर्वे आफ इण्डिया के कन्टूर, मानचित्र पर प्रस्तावित समरेखण क्रमशः लाल एवं हरे रंग से दर्शाया गया है। जिसमें लाल रंग प्रस्तावित संरेखण से क्षेत्र की जनता सन्तुष्ट है तथा तुलनात्मक विवरण के अनुसार प्रस्तावित संरेखण (1) ही उचित है।

अतः प्रस्तावित संरेखण जो कि लाल रंग से अंकित है संस्तुति सहित अनुमोदन हेतु प्रेषित।

अधिसूची अन्तर्गत
निर्माण एवं लो. वि.

तुलनात्मक विवरण

क्र.सं.	मद का नाम	समरेखण (1) लाल रंग में	समरेखण (2) हरा रंग में
1.	मुख्य विशेषताएँ एवं विवरण	यह मार्ग पूर्व में ही 4.00 कि.मी. लम्बाई में निर्मित है। उक्त मार्ग का समरेखण कि.मी. 4.5 से आगे प्रारम्भ होता है उक्त मार्ग का समरेखण पूर्व के पत्रांक शासनादेश संख्या 6391/68 याता-07/ दिनांक 08.09.2007 द्वारा 5.435 कि.मी. लम्बाई हेतु स्वीकृत था। उक्त समरेखण पर वन भूमि प्रस्ताव भारत सरकार द्वारा निरस्त कर दिया गया है पुनः उक्त मार्ग का सर्वेक्षण कार्य कर समरेखण प्रस्ताव 4.40 कि.मी. लम्बाई हेतु गठित किया गया है यह समरेखण पूर्व निर्मित मार्ग से आगे प्रारम्भ होकर टिमरिया-पल्ला-वल्ला को जोड़ते हुए मदाकिनी नदी पर निर्मित सेतु को जोड़ता है उक्त समरेखण निर्मित पुल के बाईं ओर से किया गया है क्योंकि दायाँ ओर भूमि धसाव भाग होने से मार्ग सुरक्षित नहीं उक्त मार्ग का निर्माण कार्य सेतु की ओर से प्रारम्भ किया जा सकता है क्योंकि सेतु से टिमरिया तक लगभग 2 कि.मी. तक नाप भूमि पड़ती है तथा ग्राम बरमाडी वासी नापभूमि देने में सहमत है तथा मार्ग निर्माण से निर्मित सेतु का भी सदुपयोग किया जा सकेगा तथा टिमरिया-पल्ला व टिमरिया वल्ला ग्राम एन. एच.-107 से जुड़ जायेगा तथा मार्ग में निर्मित सेतु का भी सदुपयोग किया जा सकेगा	समरेखण नं. 1 के अनुसार सेतु के दायाँ ओर से लम्बाई 5.435 कि.मी.।
2.	प्रास्तवित दृष्टिकोण से समरेखण की लम्बाई	4.40 किमी.	5.435 किमी.
3.	वर्तमान यातायात के साधन	पैदल मार्ग	पैदल मार्ग

तुलनात्मक विवरण

क्र.सं.	मद का नाम	समरेखण (1) लाल रंग में	समरेखण (2) हरा रंग में
1.	मुख्य विशेषताएँ एवं विवरण	यह मार्ग पूर्व में ही 4.00 कि.मी. लम्बाई में निर्मित है। उक्त मार्ग का समरेखण कि.मी. 4.5 से आगे प्रारम्भ होता है उक्त मार्ग का समरेखण पूर्व के पत्रांक शासनादेश संख्या 6391/68 याता-07/ दिनांक 08.09.2007 द्वारा 5.435 कि.मी. लम्बाई हेतु स्वीकृत था। उक्त समरेखण पर वन भूमि प्रस्ताव भारत सरकार द्वारा निरस्त कर दिया गया है पुनः उक्त मार्ग का सर्वेक्षण कार्य कर समरेखण प्रस्ताव 4.40 कि.मी. लम्बाई हेतु गठित किया गया है यह समरेखण पूर्व निर्मित मार्ग से आगे प्रारम्भ होकर टिमरिया-पल्ला-वल्ला को जोड़ते हुए मदाकिनी नदी पर निर्मित सेतु को जोड़ता है उक्त समरेखण निर्मित पुल के बाईं ओर से किया गया है क्योंकि दायाँ ओर भूमि धसाव भाग होने से मार्ग सुरक्षित नहीं उक्त मार्ग का निर्माण कार्य सेतु की ओर से प्रारम्भ किया जा सकता है क्योंकि सेतु से टिमरिया तक लगभग 2 कि.मी. तक नाप भूमि पड़ती है तथा ग्राम बरमाडी वासी नापभूमि देने में सहमत है तथा मार्ग निर्माण से निर्मित सेतु का भी सदुपयोग किया जा सकेगा तथा टिमरिया-पल्ला व टिमरिया वल्ला ग्राम एन. एच.-107 से जुड़ जायेगा तथा मार्ग में निर्मित सेतु का भी सदुपयोग किया जा सकेगा	समरेखण नं. 1 के अनुसार सेतु के दायाँ ओर से लम्बाई 5.435 कि.मी.।
2.	प्रास्तवित दृष्टिकोण से समरेखण की लम्बाई	4.40 किमी.	5.435 किमी.
3.	वर्तमान यातायात के साधन	पैदल मार्ग	पैदल मार्ग

4.	भूमि (अ) सिविल भूमि (ब) कृषि योग्य भूमि 5. सिंचित 6. असिंचित	शून्य 2.60 1.80 किमी.	शून्य 1.20 4.235 किमी.
5.	सूर्य प्रकाशित भूभाग	सम्पूर्ण लम्बाई में	सम्पूर्ण लम्बाई में
6.	भूस्खलन	शून्य	शून्य
7.	भूमि	मिट्टी, पत्थर, कठोर चट्टान आदि	मिट्टी, पत्थर, अत्यधिक कठोर चट्टान आदि
8.	वनस्पति	पेड़ पौधे व गैर इमारती	पेड़ पौधे व इमारती
9.	मार्ग का ढाल	समतल	समतल
10.	अनुप्रस्थ ढाल-1. सामान्य ढाल 2. तीव्र ढाल	4.400 किमी. शून्य	5435 किमी. शून्य
11.	भू-भाग 1. कठोर चट्टान 2. कोमल चट्टान	1.00 किमी. 3.40 किमी.	1.000 किमी. 4.43500 किमी.
12.	अस्थिर भूमि की लम्बाई	शून्य	शून्य

4.	भूमि (अ) सिविल भूमि (ब) कृषि योग्य भूमि 5. सिंचित 6. असिंचित	शून्य 2.60 1.80 किमी.	शून्य 1.20 4.235 किमी.
5.	सूर्य प्रकाशित भूभाग	सम्पूर्ण लम्बाई में	सम्पूर्ण लम्बाई में
6.	भूस्खलन	शून्य	शून्य
7.	भूमि	मिट्टी, पत्थर, कठोर चट्टान आदि	मिट्टी, पत्थर, अत्यधिक कठोर चट्टान आदि
8.	वनस्पति	पेड़ पौधे व गैर इमारती	पेड़ पौधे व इमारती
9.	मार्ग का ढाल	समतल	समतल
10.	अनुप्रस्थ ढाल-1. सामान्य ढाल 2. तीव्र ढाल	4.400 किमी. शून्य	5435 किमी. शून्य
11.	भू-भाग 1. कठोर चट्टान 2. कोमल चट्टान	1.00 किमी. 3.40 किमी.	1.000 किमी. 4.43500 किमी.
12.	अस्थिर भूमि की लम्बाई	शून्य	शून्य

क्र.सं.	मार्ग का नाम	समरेखण (1) लाल रंग में	समरेखण (2) हरा रंग में
1	2	3	4
13.	साधन 1. लकड़ी 2. पत्थर 3. मजदूर	स्थानीय उपलब्धता स्थानीय उपलब्धता स्थानीय उपलब्धता	स्थानीय उपलब्धता स्थानीय उपलब्धता स्थानीय उपलब्धता
14.	पानी का निकास (अ) छोटे पुल संख्या व विस्तार (अ) बड़े पुल संख्या व विस्तार	1 स्पान 12 मी. 1 निर्मित	1 स्पान 15 मी. 1 निर्मित
15.	वर्षा एवं जलवायु की दशा	मार्ग सर्व ऋतु योग्य रहेगा। ठंडी जलवायु	समरेखण नं. 1 अनुसार
16.	लाभाविन्त ग्रामों की संख्या (अ) प्रत्यक्ष रूप से (ब) अप्रत्यक्ष रूप से	ग्राम का नाम कोड सं. जनसंख्या एस.सी. बरमाडी 00209700 431 टेमरिया पल्ला 00209800 81	समरेखण नं. 1 अनुसार —
17.	वर्तमान मार्ग से प्रस्तावित मार्ग का सम्बन्ध	यह मार्ग पूर्व में ही 4.500 कि.मी. लम्बाई में निर्मित है। उक्त मार्ग का समरेखण कि.मी. 4 से आगे प्रारम्भ होता है उक्त मार्ग का समरेखण पूर्व के पत्रांक शासनादेश संख्या 6391/68 याता.-07/ दिनांक 08.09.2007 द्वारा 5.435 कि.मी. लम्बाई हेतु स्वीकृत था। उक्त समरेखण पर वन भूमि प्रस्ताव भारत सरकार द्वारा निरस्त कर दिया गया है पुनः उक्त मार्ग का सर्वेक्षण कार्य कर समरेखण प्रस्ताव 4.40 कि.मी. लम्बाई हेतु गठित किया गया है यह समरेखण पूर्व निर्मित मार्ग से आगे प्रारम्भ होकर टिमरिया-पल्ला-वल्ला को जोड़ते हुये मदाकिनी नदी पर निर्मित सेतु को जोड़ता है उक्त समरेखण निर्मित पुल के बाई ओर से किया गया है क्योंकि दांयी ओर भूमि धसाव भाग होने से	समरेखण नं. 1 अनुसार

क्र.सं.	मार्ग का नाम	समरेखण (1) लाल रंग में	समरेखण (2) हरा रंग में
1	2	3	4
13.	साधन 1. लकड़ी 2. पत्थर 3. मजदूर	स्थानीय उपलब्धता स्थानीय उपलब्धता स्थानीय उपलब्धता	स्थानीय उपलब्धता स्थानीय उपलब्धता स्थानीय उपलब्धता
14.	पानी का निकास (अ) छोटे पुल संख्या व विस्तार (अ) बड़े पुल संख्या व विस्तार	1 स्पान 12 मी. 1 निर्मित	1 स्पान 15 मी. 1 निर्मित
15.	वर्षा एवं जलवायु की दशा	मार्ग सर्व ऋतु योग्य रहेगा। ठंडी जलवायु	समरेखण नं. 1 अनुसार
16.	लाभाविन्त ग्रामों की संख्या (अ) प्रत्यक्ष रूप से (ब) अप्रत्यक्ष रूप से	ग्राम का नाम कोड सं. जनसंख्या एस.सी. बरमाडी 00209700 431 टेमरिया पल्ला 00209800 81	समरेखण नं. 1 अनुसार —
17.	वर्तमान मार्ग से प्रस्तावित मार्ग का सम्बन्ध	यह मार्ग पूर्व में ही 4.500 कि.मी. लम्बाई में निर्मित है। उक्त मार्ग का समरेखण कि.मी. 4 से आगे प्रारम्भ होता है उक्त मार्ग का समरेखण पूर्व के पत्रांक शासनादेश संख्या 6391/68 याता.-07/ दिनांक 08.09.2007 द्वारा 5.435 कि.मी. लम्बाई हेतु स्वीकृत था। उक्त समरेखण पर वन भूमि प्रस्ताव भारत सरकार द्वारा निरस्त कर दिया गया है पुनः उक्त मार्ग का सर्वेक्षण कार्य कर समरेखण प्रस्ताव 4.40 कि.मी. लम्बाई हेतु गठित किया गया है यह समरेखण पूर्व निर्मित मार्ग से आगे प्रारम्भ होकर टिमरिया-पल्ला-वल्ला को जोड़ते हुये मदाकिनी नदी पर निर्मित सेतु को जोड़ता है उक्त समरेखण निर्मित पुल के बाई ओर से किया गया है क्योंकि दांयी ओर भूमि धसाव भाग होने से	समरेखण नं. 1 अनुसार

		मार्ग सुरक्षित नहीं उक्त मार्ग का निर्माण कार्य सेतु की ओर से प्रारम्भ किया जा सकता है क्योंकि सेतु से टिमरिया तक लगभग 2 कि.मी. तक नाप भूमि पड़ती है तथा ग्राम वरमाडी बासी नापभूमि देने में सहमत है तथा मार्ग विभाग से निर्मित सेतु का भी सदुपयोग किया जा सकेगा तथा टिमरिया-पल्ला व टिमरिया बल्ला ग्राम एन. एच.-107 से जुड़ जायेगा तथा मार्ग में निर्मित सेतु का भी सदुपयोग किया जा सकेगा।	
18.	सामरिक महत्व	मुख्य मार्ग से जुड़ जाने के कारण मार्ग का संचार सम्बन्धी महत्व होगा।	समरेखण नं. 1 अनुसार
19	हेयर पिन बैंड	6 नं.	7 नं.
20	कृषि एवं फल की दृष्टि से महत्व	क्षेत्र की मुख्य पैदावार जैसे आलू,माल्टा, नीबू, नारंगी व, दालो आदि का दुलान स्थानीय बाजार में आसानी से पहुँचने के कारण बाजार की सुविधा मिलेगी।	समरेखण नं. 1 अनुसार

		मार्ग सुरक्षित नहीं उक्त मार्ग का निर्माण कार्य सेतु की ओर से प्रारम्भ किया जा सकता है क्योंकि सेतु से टिमरिया तक लगभग 2 कि.मी. तक नाप भूमि पड़ती है तथा ग्राम वरमाडी बासी नापभूमि देने में सहमत है तथा मार्ग विभाग से निर्मित सेतु का भी सदुपयोग किया जा सकेगा तथा टिमरिया-पल्ला व टिमरिया बल्ला ग्राम एन. एच.-107 से जुड़ जायेगा तथा मार्ग में निर्मित सेतु का भी सदुपयोग किया जा सकेगा।	
18.	सामरिक महत्व	मुख्य मार्ग से जुड़ जाने के कारण मार्ग का संचार सम्बन्धी महत्व होगा।	समरेखण नं. 1 अनुसार
19	हेयर पिन बैंड	6 नं.	7 नं.
20	कृषि एवं फल की दृष्टि से महत्व	क्षेत्र की मुख्य पैदावार जैसे आलू,माल्टा, नीबू, नारंगी व, दालो आदि का दुलान स्थानीय बाजार में आसानी से पहुँचने के कारण बाजार की सुविधा मिलेगी।	समरेखण नं. 1 अनुसार

क्र.सं.	मद का नाम	समरेखण (1) लाल रंग में	समरेखण (2) हरा रंग में
1	2	3	4
21.	वन सम्पदा का उपयोग	जड़ी बूटी एवं अन्य वन सम्पदा का संरक्षण हो सकेगा।	समरेखण नं. 1 अनुसार
22.	खनिज सम्पदाओं का उपयोग।	खनिज सम्पदाओं का पता लगाने में मदद मिलेगी तथा खनिज का निर्यात होने से क्षेत्रीय जनता को लाभ मिलेगा।	समरेखण नं. 1 अनुसार
23.	लाभ व हानि	8. कठोर चट्टान कम पड़ेगी। 9. ग्राम वासियों के मकानों एवं विभागीय परिसम्पत्तियों को कोई क्षति नहीं होगी। 10. तकनीकी दृष्टि से यह संरेखण उपयोगी है। 11. इस संरेखण से ग्रामवासी भी पूर्ण रूप से सहमत है। 12. भूस्खलन क्षेत्र नहीं है। 13. स्वास्थ्य चिकित्सा क्षेत्र में स्थानीय जनता को लाभ मिलेगा। 14. हानि-मार्ग न बनने से स्वास्थ्य चिकित्सा क्षेत्र में स्थानीय जनता को लाभ नहीं मिलेगा।	6. कठोर चट्टान अधिक पड़ेगी। 7. ग्राम वासियों के मकानों के क्षति होने की सम्भावना है। 8. नाप भूमि अधिक पड़ने, मकानों के ऊपर मलवा आने की सम्भावना के कारण स्थानीय जनता इस संरेखण से सन्तुष्ट नहीं है। 9. भूस्खलन होने की सम्भावना के कारण मार्ग तकनीकी दृष्टि से भी उपयोगी नहीं है। 10. भूस्खलन क्षेत्र है।

कनिष्ठ अभियन्ता
निर्माण खण्ड, लो. नि. वि.,
ऊखीमठ (रुद्रप्रयाग)

सहायक अभियन्ता
निर्माण खण्ड, लो. नि. वि.,
ऊखीमठ (रुद्रप्रयाग)

सहायक अभियन्ता
निर्माण खण्ड लो. नि. वि.
ऊखीमठ (रुद्रप्रयाग)

अधिशर्सी अभियन्ता
निर्माण खण्ड, लो. नि. वि.,
ऊखीमठ (रुद्रप्रयाग)

क्र.सं.	मद का नाम	समरेखण (1) लाल रंग में	समरेखण (2) हरा रंग में
1	2	3	4
21.	वन सम्पदा का उपयोग	जड़ी बूटी एवं अन्य वन सम्पदा का संरक्षण हो सकेगा।	समरेखण नं. 1 अनुसार
22.	खनिज सम्पदाओं का उपयोग।	खनिज सम्पदाओं का पता लगाने में मदद मिलेगी तथा खनिज का निर्यात होने से क्षेत्रीय जनता को लाभ मिलेगा।	समरेखण नं. 1 अनुसार
23.	लाभ व हानि	8. कठोर चट्टान कम पड़ेगी। 9. ग्राम वासियों के मकानों एवं विभागीय परिसम्पत्तियों को कोई क्षति नहीं होगी। 10. तकनीकी दृष्टि से यह संरेखण उपयोगी है। 11. इस संरेखण से ग्रामवासी भी पूर्ण रूप से सहमत है। 12. भूस्खलन क्षेत्र नहीं है। 13. स्वास्थ्य चिकित्सा क्षेत्र में स्थानीय जनता को लाभ मिलेगा। 14. हानि-मार्ग न बनने से स्वास्थ्य चिकित्सा क्षेत्र में स्थानीय जनता को लाभ नहीं मिलेगा।	6. कठोर चट्टान अधिक पड़ेगी। 7. ग्राम वासियों के मकानों के क्षति होने की सम्भावना है। 8. नाप भूमि अधिक पड़ने, मकानों के ऊपर मलवा आने की सम्भावना के कारण स्थानीय जनता इस संरेखण से सन्तुष्ट नहीं है। 9. भूस्खलन होने की सम्भावना के कारण मार्ग तकनीकी दृष्टि से भी उपयोगी नहीं है। 10. भूस्खलन क्षेत्र है।

कनिष्ठ अभियन्ता
निर्माण खण्ड, लो.नि.वि.,
ऊखीमठ (रुद्रप्रयाग)

सहायक अभियन्ता
निर्माण खण्ड, लो.नि.वि.,
ऊखीमठ (रुद्रप्रयाग)

सहायक अभियन्ता
निर्माण खण्ड लो.नि.वि.
ऊखीमठ (रुद्रप्रयाग)

अधिशर्सी अभियन्ता
निर्माण खण्ड, लो.नि.वि.,
ऊखीमठ (रुद्रप्रयाग)

सारांश

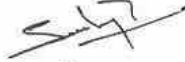
संलग्न तुलनात्मक विवरण से स्पष्ट है कि संरेखण संख्या (1) जो कि लाल रंग से दर्शाया गया है, आर्थिक, भौगोलिक एवं तकनीकी रूप से उपयोगी है तथा इस प्रस्तावित संरेखण से जनता सन्तुष्ट है।

अतः प्रस्तावित समरेखण नं. (1) जो मानचित्र में लाल रंग से दर्शाया गया है, संस्तुति सहित स्वीकृति हेतु प्रेषित है। मार्ग केवल 4.40 किमी. लम्बाई में निर्मित होना है, निर्माण कार्य कृषि भूमि आदि में किया जाना है।

अतः प्रस्तावित समरेखण नं. 1 जो कि लाल रंग से अंकित है, अनुमोदन करने की कृपा करें।



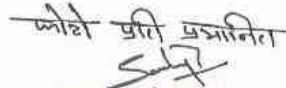
कनिष्ठ अभियन्ता
निर्माण खण्ड, लो. नि. वि.,
ऊखीमठ (रुद्रप्रयाग)



सहायक अभियन्ता
निर्माण खण्ड, लो. नि. वि.,
ऊखीमठ (रुद्रप्रयाग)



अधिश्रेणी अभियन्ता
निर्माण खण्ड, लो. नि. वि.,
ऊखीमठ (रुद्रप्रयाग)



सहायक अभियन्ता
निर्माण खण्ड, लो. नि. वि.,
ऊखीमठ (रुद्रप्रयाग)

सारांश

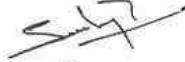
संलग्न तुलनात्मक विवरण से स्पष्ट है कि संरेखण संख्या (1) जो कि लाल रंग से दर्शाया गया है, आर्थिक, भौगोलिक एवं तकनीकी रूप से उपयोगी है तथा इस प्रस्तावित संरेखण से जनता सन्तुष्ट है।

अतः प्रस्तावित समरेखण नं. (1) जो मानचित्र में लाल रंग से दर्शाया गया है, संस्तुति सहित स्वीकृति हेतु प्रेषित है। मार्ग केवल 4.40 किमी. लम्बाई में निर्मित होना है, निर्माण कार्य कृषि भूमि आदि में किया जाना है।

अतः प्रस्तावित समरेखण नं. 1 जो कि लाल रंग से अंकित है, अनुमोदन करने की कृपा करें।



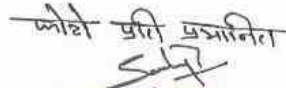
कनिष्ठ अभियन्ता
निर्माण खण्ड, लो. नि. वि.,
ऊखीमठ (रुद्रप्रयाग)



सहायक अभियन्ता
निर्माण खण्ड, लो. नि. वि.,
ऊखीमठ (रुद्रप्रयाग)



अधिश्रमणी अभियन्ता
निर्माण खण्ड, लो. नि. वि.,
ऊखीमठ (रुद्रप्रयाग)



सहायक अभियन्ता
निर्माण खण्ड, लो. नि. वि.,
ऊखीमठ (रुद्रप्रयाग)

प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त सभी वैकल्पिक समरंखण को कार्य स्थल पर मेरे द्वारा दर्शायी गयी तिथि को निरीक्षण के समय देख लिया गया है। तथा प्रस्तावित समरंखण कार्य स्थल की तकनीकी दृष्टि से उचित है।

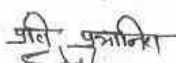
- 1-कनिष्ठ अभियन्ता द्वारा निरीक्षण की तिथि
- 2-सहायक अभियन्ता द्वारा निरीक्षण की तिथि.....
- 3-अधिशाली अभियन्ता द्वारा निरीक्षण की तिथि..... 9/04/2015

अतः प्रस्तावित समरंखण नं. 1 जो मानचित्र में लाल रंग से दर्शाया गया है, का अनुमोदन करने की कृपा करें।


कनिष्ठ अभियन्ता
निर्माण खण्ड, लो.नि.वि.,
ऊखीमठ (रुद्रप्रयाग)


सहायक अभियन्ता
निर्माण खण्ड, लो.नि.वि.,
ऊखीमठ (रुद्रप्रयाग)


अधिशाली अभियन्ता
निर्माण खण्ड, लो.नि.वि.,
ऊखीमठ (रुद्रप्रयाग)


कनिष्ठ अभियन्ता
निर्माण खण्ड, लो.नि.वि.,
ऊखीमठ (रुद्रप्रयाग)

~~समरंखण नं. 1~~

प्रपत्र-13

परियोजना का नाम:- जनपद रुद्रप्रयाग में राज्य योजना के अन्तर्गत नागजगई-फेगू-बरम्वाड़ी मोटर मार्ग का विस्तार सेतु सहित निर्माण हेतु वन भूमि का लो०नि०वि० को हस्तान्तरण।

विभिन्न विकल्पों का तुलनात्मक विवरण उसके निरस्त किये जाने का कारण का प्रमाण पत्र

संरेखण नम्बर	प्रभावित वन भूमि (है.में)	प्रभावित वृक्षा की संख्या	मार्ग की लम्बाई (कि०मी. में)	अन्य कारण (एच.पी.बैण्ड व अन्य भू-गर्भीय कारण)
संरेखण-1	1.451	159	1625	---
संरेखण-2	2.063	180	2500	वनभूमि अधिक प्रभावित हो रही

उक्त तीनों संरेखणों में से संरेखण 1 उपयुक्त है।


कनिष्ठ अभियन्ता
निर्माण खण्ड, लो.नि.वि.
ऊखीमठ, (रुद्रप्रयाग)


सहायक अभियन्ता
निर्माण खण्ड, लो.नि.वि.
ऊखीमठ, (रुद्रप्रयाग)


अधिशाली अभियन्ता
निर्माण खण्ड, लो.नि.वि.
ऊखीमठ, (रुद्रप्रयाग)


यूनिट अधिकारी, गुप्तकाशी
यूनिट गुप्तकाशी


उपप्रभारी, गुप्तकाशी
उप वन प्रभाग
रुद्रप्रयाग


उप वन संरक्षक
रुद्रप्रयाग वन प्रभाग
प्रमाणित वन अधिकारी
रुद्रप्रयाग

परियोजना का नाम:- जनपद रुद्रप्रयाग में राज्य योजना के अन्तर्गत नागजगई-फेगू-बरम्वाड़ी मोटर मार्ग का विस्तार सेतु सहित निर्माण हेतु वन भूमि का लो०नि०वि० को हस्तान्तरण।

वैकल्पिक भूमि उपलब्ध न होने व वन भूमि की मांग न्यूनतम होने का प्रमाण- पत्र।

प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त परियोजन हेतु आवेदित वन भूमि के अतिरिक्त अन्य कोई वैकल्पिक भूमि उपलब्ध नहीं है व चयनित भूमि पर ही परियोजना का निर्माण किया जा सकता है। आवेदित 1.451 है। वन भूमि की मांग न्यूनतम है व इससे कम वन भूमि पर परियोजना का निर्माण कार्य किया जाना सम्भव नहीं है।


कनिष्ठ अभियन्ता
निर्माण खण्ड, लो.नि.वि.
ऊखीमठ, (रुद्रप्रयाग)


सहायक अभियन्ता
निर्माण खण्ड, लो.नि.वि.
ऊखीमठ, (रुद्रप्रयाग)


अधिशोषी अभियन्ता
निर्माण खण्ड, लो.नि.वि.
ऊखीमठ, (रुद्रप्रयाग)


यूनिट अधिकारी, गुप्तकारी
वन भूमि अधिकारी
यूनिट गुप्तकारी


उपप्रभारी वन अधिकारी
जखाली उप वन प्रभाग
रुद्रप्रयाग


उप वन संरक्षक
उपप्रभारी वन प्रभाग
रुद्रप्रयाग


A. S. Bhatnagar
सहायक उपनिरीक्षक
ऊखीमठ
जखाली उप वन प्रभाग
रुद्रप्रयाग


सहायक उपनिरीक्षक
ऊखीमठ
जखाली उप वन प्रभाग
रुद्रप्रयाग


उपनिरीक्षक
ऊखीमठ
जखाली उप वन प्रभाग
रुद्रप्रयाग


जिल्लाधिकारी
रुद्रप्रयाग

लैन्ड शेड्यूल
(आरक्षित वन विभाग)

परियोजना का नाम:- जनपद रुद्रप्रयाग में राज्य योजना के अन्तर्गत नागजगई-फेगू-बरम्वाड़ी मोटर मार्ग का विस्तार सेतु सहित निर्माण हेतु वन भूमि का लो०नि०वि० को हस्तान्तरण।

जिला	वन प्रभाग का नाम	वन राजि का नाम	वन ब्लॉक का नाम	परियोजना की लम्बाई (मीटर में)	चौड़ाई (मीटर में)	क्षेत्रफल (है.)
रुद्रप्रयाग	रुद्रप्रयाग वन प्रभाग, रुद्रप्रयाग	-	- रिक्टा -	-	-	-


कनिष्ठ अभियन्ता
निर्माण खण्ड, लो०नि०वि०
ऊखीमठ, (रुद्रप्रयाग)


सहायक अभियन्ता
निर्माण खण्ड, लो०नि०वि०
ऊखीमठ, (रुद्रप्रयाग)


अधिशोषी अभियन्ता
निर्माण खण्ड, लो०नि०वि०
ऊखीमठ, (रुद्रप्रयाग)


यूनिट अधिकारी, गुप्तकाशी
यूनिट गुप्तकाशी


उपसमन्वीय अधिकारी
खसाली उप वन प्रभाग
रुद्रप्रयाग


उप वन संरक्षक
रुद्रप्रयाग वन प्रभाग
प्रभागिक उप वन अधिकारी

लैन्ड शेड्यूल

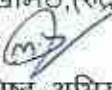
परियोजना का नाम:- जनपद रुद्रप्रयाग में राज्य योजना के अन्तर्गत नागजगई-फेगू-बरम्वाड़ी मोटर मार्ग का विस्तार सेतु सहित निर्माण हेतु वन भूमि का लो०नि०वि० को हस्तान्तरण।

भूमि की श्रेणी:-

जिला	तहसील	ब्लाक	खसरा संख्या	कुल रकबा	परियोजना की लम्बाई (मीटर में)	चौड़ाई (मीटर में)	आवेदित क्षेत्रफल (है.)
रुद्रप्रयाग	ऊखीमठ	ऊखीमठ	1137	21.304 30.1138	1625	7	1.138+ 0.315 (wa)


अमीन,

निर्माण खण्ड, लो०नि०वि०
ऊखीमठ, (रुद्रप्रयाग)


कनिष्ठ अभियन्ता
निर्माण खण्ड, लो०नि०वि०
ऊखीमठ, (रुद्रप्रयाग)


S. Bartwal
राजस्व संचालक
निसेश्वर


सहायक अभियन्ता
निर्माण खण्ड, लो०नि०वि०
ऊखीमठ, (रुद्रप्रयाग)


केशरी
ऊखीमठ
जनपद रुद्रप्रयाग


अधिसासी अभियन्ता
निर्माण खण्ड, लो०नि०वि०
ऊखीमठ, (रुद्रप्रयाग)


उपजिलाधिकारी
जिला सचिव
रुद्रप्रयाग

परियोजना का नाम:- जनपद रुद्रप्रयाग में राज्य योजना के अन्तर्गत नागजगई-फेगू-बरम्वाड़ी मोटर मार्ग का विस्तार सेतु सहित निर्माण हेतु वन भूमि का लो०नि०वि० को हस्तान्तरण।

परियोजना की लम्बाई चौड़ाई का विवरण

क्र.सं.	भूमि की श्रेणी	लम्बाई (मीटर में)	चौड़ाई (मीटर में)	कुल क्षेत्रफल (हे० में)
1	आरक्षित वन भूमि	शून्य	शून्य	शून्य
2.	राज्य भूमि	1625	7	1.138 + 0.313 (मन् हेर)
3.	वन पंचायत भूमि अन्य श्रेणी की वन भूमि (यदि लागू हो)	शून्य	शून्य	शून्य
	वन भूमि का योग:-	1625	7	1.451
4.	नाप भूमि	2775	9	2.498
	कुल योग:-	4400	-	3.949


कनिष्ठ अभियन्ता
निर्माण खण्ड, लो.नि.वि.
ऊखीमठ, (रुद्रप्रयाग)


सहायक अभियन्ता
निर्माण खण्ड, लो.नि.वि.
ऊखीमठ, (रुद्रप्रयाग)

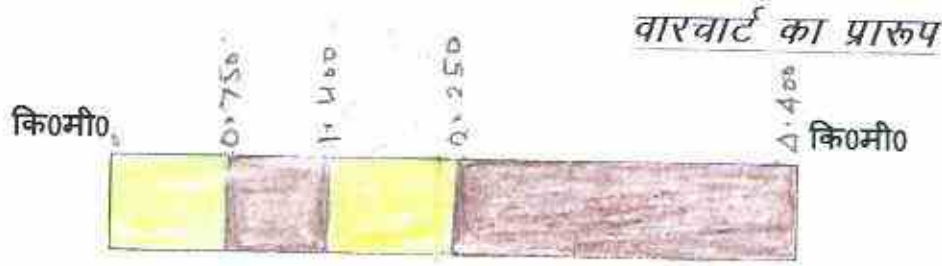

अधिशाली अभियन्ता
निर्माण खण्ड, लो.नि.वि.
ऊखीमठ, (रुद्रप्रयाग)


उपप्रभारी वन अधिकारी
जखाली उप वन प्रभाग
रुद्रप्रयाग


उप वन संरक्षक
रुद्रप्रयाग वन प्रभाग
रुद्रप्रयाग

प्रपत्र-17

परियोजना का नाम:- जनपद रुद्रप्रयाग में राज्य योजना के अन्तर्गत नागजगई-फेगू-बरम्वाड़ी मोटर मार्ग का विस्तार सेतु सहित निर्माण हेतु वन भूमि का लो०नि०वि० को हस्तान्तरण।



क्र.सं.	भूमि की श्रेणी	रंग	क्षेत्रफल (हे. में)
1.	आरक्षित वन भूमि		शून्य
2.	राज्य भूमि		1.138 + 0.32 (मै०)
3.	वन पंचायत भूमि		शून्य
4.	नाप भूमि		2.498


अमीन,

निर्माण खण्ड, लो०नि०वि०
ऊखीमठ, (रुद्रप्रयाग)


सहायक अभियन्ता,
निर्माण खण्ड, लो०नि०वि०
ऊखीमठ, (रुद्रप्रयाग)

(A. S. Bartwal)
R.S.I.

राज्य वन प्रभाग
Thaeshel...

वन क्षेत्र अधिकारी
यूनिट अधीक्षक, गुप्तकाशी
यूनिट गुप्तकाशी

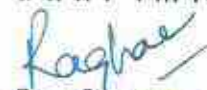
उपप्रभागीय वन अधिकारी
जिला वन प्रभाग
रुद्रप्रयाग


कनिष्ठ अभियन्ता,
निर्माण खण्ड, लो०नि०वि०
ऊखीमठ, (रुद्रप्रयाग)


अधिशाली अभियन्ता,
निर्माण खण्ड, लो०नि०वि०
ऊखीमठ, (रुद्रप्रयाग)

तहसील विकास
ऊखीमठ
रुद्रप्रयाग

उपजिलाधिकारी
ऊखीमठ
जनपद रुद्रप्रयाग

प्रभागीय वनाधिकारी

जिला अधिकारी
रुद्रप्रयाग

उपवन संरक्षक
रुद्रप्रयाग वन प्रभाग
रुद्रप्रयाग

कार्य प्रारम्भ न होने का प्रमाण-पत्र

परियोजना का नाम:- जनपद रुद्रप्रयाग में राज्य योजना के अन्तर्गत नागजगई-फेव
बरम्वाड़ी मोटर मार्ग का विस्तार सेतु सहित निर्माण हेतु व
भूमि का लो०नि०वि० को हस्तान्तरण।

प्रमाणित किया जाता है कि प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा आवेदित
भूमि पर अभी तक कोई निर्माण कार्य प्रारम्भ नहीं किया गया है। भारत सरकार से वन
संरक्षण अधिनियम 1980 के अन्तर्गत स्वीकृति प्राप्त होने के उपरान्त ही निर्माण कार्य
प्रारम्भ किया जायेगा।


कनिष्ठ अभियन्ता,
निर्माण खण्ड, लो.नि.वि.,
ऊखीमठ (रुद्रप्रयाग)


सहायक अभियन्ता,
निर्माण खण्ड, लो.नि.वि.,
ऊखीमठ (रुद्रप्रयाग)


अधिशासी अभियन्ता,
निर्माण खण्ड, लो.नि.वि.,
ऊखीमठ (रुद्रप्रयाग)

परियोजना का नाम:- जनपद रुद्रप्रयाग में राज्य योजना के अन्तर्गत नागजगई-फेगू-बरम्वाड़ी मोटर मार्ग का विस्तार सेतु सहित निर्माण हेतु वन भूमि का लो०नि०वि० को हस्तान्तरण।

परियोजना के निर्माण में प्रभावित होने वाले वृक्षों का सारांश

प्रश्नगत परियोजना के निर्माण हेतु दिनांक 2/04/2015 को किये गये संयुक्त निरीक्षण के अनुसार आवेदित वन भूमि तथा नाप भूमि पर प्रभावित होने वाले वृक्षों की गणना की गई व निरीक्षण के दौरान प्रभावित होने वाले वृक्षों की निम्नानुसार गणना की गई :-

क्र. सं.	भूमि का प्रकार	व्यास वर्ग										योग
		0-10	10-20	20-30	30-40	40-50	50-60	60-70	70-80	80-90	90 से अधिक	
1	आरक्षित वन भूमि	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
2	राज्य वनभूमि	30	59	51	07	03	03	0	-	-	-	159
3	वन पंचायत	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	योग	30	59	51	07	03	03	0	-	-	-	159
4	नाप भूमि	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	कुल योग	30	59	51	07	03	03	0	-	-	-	159

(A. S. Bantwal)
राजस्व उपनिरीक्षक
Sarcile.....
Thaesheel.....
वन प्रभारी
यूनिट अधिकारी, गुप्तकाशी
यूनिट गुप्तकाशी

वहमीनदार
वहसीलदार
ऊखीमठ
जनपद रुद्रप्रयाग

सुपरिजिलाधिकारी
ऊखीमठ
जनपद रुद्रप्रयाग

प्रभागीय वनाधिकारी

रुद्रप्रयाग
जखाली 30 वन प्रभाग
रुद्रप्रयाग

उप वन संरक्षक
रुद्रप्रयाग वन प्रभाग
रुद्रप्रयाग

प्रपत्र-20

परियोजना का नाम:- जनपद रुद्रप्रयाग में राज्य योजना के अन्तर्गत नागजगई-फेगू बरम्वाड़ी मोटर मार्ग का विस्तार सेतु सहित निर्माण हेतु वन भूमि का लो०नि०वि० को हस्तान्तरण।

प्रभावित होने वाले वृक्षों का विवरण

प्रश्नगत परियोजना के निर्माण हेतु दिनांक 2/04/2015 को किये गये संयुक्त निरीक्षण के अनुसार आवेदित वन भूमि पर प्रभावित होने वाले वृक्षों की गणना की गई व निरीक्षण के दौरान प्रभावित होने वाले वृक्षों की निम्नानुसार गणना की गई :-

आरक्षित वन भूमि पर प्रभावित पेड़

क्र.सं.	वन क्षेत्र का नाम	प्रजाति	व्यस वर्ग									योग
			10.20	20.30	30.40	40.50	50.60	60.70	70.80	80.90	90 से अधिक	
	←					शून्य					→	

उपरोक्तानुसार गणना किये गये वृक्षों का पातन किया जाना अपरिहार्य है।

A. S. Bartwal
राजस्व सहायक निरीक्षक
Sarcile.....
Inaeshel.....

तहसीलदार
रुद्रप्रयाग
जनपद रुद्रप्रयाग

उपजिलाधिकारी
रुद्रप्रयाग
जनपद रुद्रप्रयाग

यूनिट अधिकारी, गुप्तकाशी
यूनिट अधिकारी

यूनिट अधिकारी
रुद्रप्रयाग
जनपद रुद्रप्रयाग 27

प्रभागिय सहायक
रुद्रप्रयाग वन प्रभाग
रुद्रप्रयाग

नरसिंह टकरिया, केदार मार्ग के कोठे का डेरा सी मजदूर बूनी

टकरिया, दिनेश

वि का २२५५ - जखीमठ

मिना - लक्ष्मण

अवकाश बूनी

क्र. सं.	पदनाम, नाम	वर्षाव की									कुल
		०-१०	१०-२०	२०-३०	३०-४०	४०-५०	५०-६०	६०-७०	७०-८०	८०-९०	
१	बोर्ड	१	१२	११	१						२६
२	बोर्ड				१						१
३	बोर्ड		१	१							३
४	बोर्ड		१	२							३
५	बोर्ड		२	१							३
६	बोर्ड		२	१			१				४
७	बोर्ड				१						१
८	बोर्ड		१								१

आनादेव जेई
को रजिस्ट्रार



जे-६/२० व २१ के इतिहास को अस्तित्व में
ले लिया है,
अर्थात् २०२०
अर्थात् २०२०
वर्ष के
वर्ष के

अर्थात् २०२०
वर्ष के
वर्ष के



कोठी प्री प्रजापति
सहायक प्रजापति
विभाप संघ लो० वि० वि०
अखीमठ (अप्रधान)

वरमवाडी हेमिरमा मोटर मार्ग पे कौन कौन बूछे की गणना हुन्थी

वरमवाडी

वि.सं. २०५५ अखीमठ

जिला - रुकुमा

गणना हुन्थी

क्र.सं.	पलातिका तम	०-१०	१०-२०	२०-३०	३०-४०	४०-५०	५०-६०	६०-७०	७०-८०	८०-९०	योग
१	खण्डिक						१				१
२	जहुका		८	१५			१				२४
३	महका		५	७							१२
४	अभार		३	४							७
५	मोफल		१	०							१
६	गोडी			२							२
७	रोहरी		४	४	१						९
८	केशु गौतम	५	४								९
९	वाङ्गरी	१	२		३						६
१०	गुन		१	१		२					४
११	कोमल			१		१					२
१२	सौरा			१							१
१३	चौड	२३	१०	६							३९

योग - ११७ ५५

मो.सं. १०८६
जो.सं. १३०००



मो.सं. १०८६
जो.सं. १३०००



मो.सं. १०८६
जो.सं. १३०००

५३

परियोजना का नाम:— जनपद रुद्रप्रयाग में राज्य योजना के अन्तर्गत नागजगई-फेगू-बरम्वाड़ी मोटर मार्ग का विस्तार सेतु सहित निर्माण हेतु वन भूमि का लो०नि०वि० को हस्तान्तरण।

राज्य वनभूमि पर प्रभावित होने वाले पेड़ों का विवरण

प्रश्नगत परियोजना के निर्माण हेतु दिनांक 2/04/2015 को किये गये संयुक्त निरीक्षण के अनुसार आवेदित वन भूमि पर प्रभावित होने वाले वृक्षों की गणना की गई व निरीक्षण के दौरान प्रभावित होने वाले वृक्षों की निम्नानुसार गणना की गई :-

क्र.सं.	क्षेत्र का नाम	प्रजाति	व्यास वर्ग										योग
			0-10	10-20	20-30	30-40	40-50	50-60	60-70	70-80	80-90	90 से अधिक	
1	राज्यभूमि बरम्वाड़ी	खड़ीक	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1
2	-	महुवा	-	08	15	-	-	01	-	-	-	-	24
3	-	मेहल	-	05	07	-	-	-	-	-	-	-	12
4	-	अंयार	-	03	04	-	-	-	-	-	-	-	07
5	-	काफल	-	01	-	-	-	-	-	-	-	-	01
6	-	गैंठी	-	-	02	-	-	-	-	-	-	-	02
7	-	रोहणी	-	04	04	01	-	-	-	-	-	-	09
8	-	दाल चीनी	01	02	-	03	-	-	-	-	-	-	06
9	-	तुन	-	01	01	-	02	-	-	-	-	-	04
10	-	सीरस	-	-	01	-	-	-	-	-	-	-	01
11	-	चीड़	23	10	06	-	-	-	-	-	-	-	39
12	-	लमपतिया	-	-	01	-	01	-	-	-	-	-	02
13	-	मणिपुरी बाँज	05	04	-	-	-	-	-	-	-	-	09
	-	योग	29	38	41	04	03	02	-	-	-	-	117
1.	राज्यभूमि टेमरिया	चीड़	01	13	11	01	-	-	-	-	-	-	26
2.	-	सेमल	-	-	-	01	-	-	-	-	-	-	01
3.	-	आम	-	02	01	-	-	-	-	-	-	-	03

	वनभूमि टेमरिया												
2.	-	सेमल	-	-	-	01	-	-	-	-	-	-	01
3.	-	आम	-	02	01	-	-	-	-	-	-	-	03
4.	-	मेहल	-	01	02	01	-	-	-	-	-	-	04
5.	-	तुन	-	02	01	-	-	-	-	-	-	-	03
6.	-	महुआ	-	02	01	-	-	01	-	-	-	-	04
7.	-	बाज	-	01	-	-	-	-	-	-	-	-	01
		योग	01	21	16	03	-	01	-	-	-	-	42

451-159

(A. S. Bartwal)
R.S.I.
सहायक उपनिरीक्षक
Thaeshel...

तहसीलदार
तहसीलदार
तहसीलदार
तहसीलदार

उपजिलाधिकारी
उपजिलाधिकारी
उपजिलाधिकारी
उपजिलाधिकारी

यूनिट अधिकारी
यूनिट अधिकारी
यूनिट अधिकारी
यूनिट अधिकारी

प्रभागीय वनाधिकारी

उपप्रभागीय वनाधिकारी
उपप्रभागीय वनाधिकारी
उपप्रभागीय वनाधिकारी
उपप्रभागीय वनाधिकारी

उपनिरीक्षक
उपनिरीक्षक
उपनिरीक्षक
उपनिरीक्षक

परियोजना का नाम:- जनपद रुद्रप्रयाग में राज्य योजना के अन्तर्गत नागजगई-फेगू-बरम्वाड़ी मोटर मार्ग का विस्तार सेतु सहित निर्माण हेतु वन भूमि का लो०नि०वि० को हस्तान्तरण।

वन पंचायत भूमि पर प्रभावित होने वाले वृक्षों का विवरण

प्रश्नगत परियोजना के निर्माण हेतु दिनांक 2/04/2015 को किये गये संयुक्त निरीक्षण के अनुसार आवेदित वन भूमि पर प्रभावित होने वाले वृक्षों की गणना की गई व निरीक्षण के दौरान प्रभावित होने वाले वृक्षों की निम्नानुसार गणना की गई :-

क्र.सं.	वन क्षेत्र का नाम	प्रजाति	व्यास वर्ग									योग
			10.20	20.30	30.40	40.50	50.60	60.70	70.80	80.90	90 से अधिक	
						शून्य						


A. S. Bartwal
R.S.I.
मार्चिले.....
रुद्रप्रयाग उपनिरीक्षक


ज.स.सर्दार
ऊर्जीमठ
जनपद रुद्रप्रयाग


उपजिलाधिकारी
ऊर्जीमठ
जनपद रुद्रप्रयाग


यूनिट वन सहायिका
यूनिट नुतकाशी


उपजिलाधिकारी
ऊर्जीमठ
जनपद रुद्रप्रयाग


प्रभारी वन सहायिका
रुद्रप्रयाग वन प्रभाग
रुद्रप्रयाग

परियोजना का नाम:- जनपद रुद्रप्रयाग में राज्य योजना के अन्तर्गत नागजगई-फेगू-बरम्वाड़ी मोटर मार्ग का विस्तार सेतु सहित निर्माण हेतु वन भूमि का लो०नि०वि० को हस्तान्तरण।

नाप भूमि पर प्रभावित होने वाले वृक्षों का विवरण

प्रश्नगत परियोजना के निर्माण हेतु दिनांक 2/04/2015 को किये गये संयुक्त निरीक्षण के अनुसार नाप भूमि पर प्रभावित होने वाले वृक्षों की गणना की गई व निरीक्षण के दौरान प्रभावित होने वाले वृक्षों की निम्नानुसार गणना की गई :-

क्र.सं.	क्षेत्र का नाम	प्रजाति	व्यास वर्ग									योग
			10-20	20-30	30-40	40-50	50-60	60-70	70-80	80-90	90 से अधिक	
						शून्य						

(A. S. Bartwal)
R.S.I.
राजस्थान उपनिरीक्षक
Thaeshel.....

तहसीलदार
जनपद रुद्रप्रयाग

उपजिलाधिकारी
जनपद रुद्रप्रयाग

यूनिट अधिकारी, पुस्तकाशी
वन क्षेत्राधिकारी
यूनिट गुप्तकाशी

उपनिरीक्षक
जनपद रुद्रप्रयाग

उप वन सहायक
सहायक वन अधिकारी
रुद्रप्रयाग

प्रपत्र-21

परियोजना का नाम:- जनपद रुद्रप्रयाग में राज्य योजना के अन्तर्गत नागजगई-फेगू-बरम्वाड़ी मोटर मार्ग का विस्तार सेतु सहित निर्माण हेतु वन भूमि का लो०नि०वि० को हस्तान्तरण।

परियोजना क्षेत्र में विद्यमान वृक्षों में से वास्तविक रूप से काटे जाने वाले वृक्षों का विवरण

प्रमाणित किया जाता है कि परियोजना निर्माण से प्रभावित होने वाले 159 वृक्षों का पातन किया जाना है।


कनिष्ठ अभियन्ता,
निर्माण खण्ड, लो.नि.वि.,
ऊखीमठ (रुद्रप्रयाग)


सहायक अभियन्ता,
निर्माण खण्ड, लो.नि.वि.,
ऊखीमठ (रुद्रप्रयाग)


अधिशाली अभियन्ता
निर्माण खण्ड, लो.नि.वि.,
ऊखीमठ (रुद्रप्रयाग)


A. S. Bartwal
R.S.I.
राजिस्व उपनिरीक्षक
नासहेल
ऊखीमठ


तहसीलदार
ऊखीमठ
जनपद रुद्रप्रयाग


उपजिलाधिकारी
ऊखीमठ
जनपद रुद्रप्रयाग


यूनिट अधिकारी
वन क्षेत्राधिकारी
यूनिट गुप्तकाशी


यूनिट अधिकारी
जसराज उप वन प्रभाग
रुद्रप्रयाग


यूनिट अधिकारी
प्रसादीय वन प्रभाग
रुद्रप्रयाग

वृक्षों की मूल्य सूची

परियोजना का नाम:— जनपद रुद्रप्रयाग में राज्य योजना के अन्तर्गत नागजगई-फेगू-बरम्वाड़ी मोटर मार्ग का विस्तार सेतु सहित निर्माण हेतु वन भूमि का लो०नि०वि० को हस्तान्तरण।

क्र० सं०	ब्लाक /ग्राम	वृक्षों की प्रजाति	वृक्षों का वानस्पतिक नाम	वृक्षों की संख्या	ब्यास से०मी०	दर प्रति पेड़	कुल धनराशी	टिप्पणी
1	राज्यभूमि बरम्वाड़ी	चीड़	Pinus roxburgii	01	0-10	90.00	90.00	
	-	-	-	13	10-20	240.00	3120.00	
	-	-	-	11	20-30	600.00	6600.00	
	-	-	-	01	30-40	2320.00	2320.00	
2	-	सेमल	Bombax ceiba	01	30-40	3320.00	3320.00	
3	-	आम	Mangifera indica Linn.	02	10-20	500.00	1000.00	
	-	-	Pyrus pashia	01	20-30	500.00	500.00	
4	-	मेहल	Andromeda	01	10-20	80.00	80.00	
	-	-	Buch ham.	02	20-30	160.00	320.00	
	-	-	-	01	30-40	390.00	390.00	
5	-	तुन	Cedrela toona	02	10-20	190.00	380.00	
6	-	महुआ	Andromeda	02	10-20	80.00	160.00	
	-	-	-	01	20-30	160.00	160.00	
	-	-	-	01	50-60	780.00	780.00	
7	-	बाँज	Quercus	01	10-20	145.00	145.00	
8	राज्यभूमि टेमरिया	खड़ीक	Andromeda Celtis-erioearpa decaisme	01	50-60	780.00	780.00	
9	-	महुआ	Andromeda	08	10-20	80.00	640.00	
	-	-	-	15	20-30	160.00	2400.00	
	-	-	Pyrus pashia	01	50-60	780.00	780.00	
10	-	मेहल	Andromeda Buch ham.	05	10-20	80.00	400.00	

	-	-	<i>Lyonia</i>	07	20-30	160.00	1120.00	
11	-	अंयार	Rhododendron <i>ovalifolia</i>	03	10-20	80.00	240.00	
	-	-	<i>Myrica esculenta</i>	04	20-30	160.00	640.00	
12	-	काफल	Andromeda	01	10-20	80.00	80.00	
13	-	गैठी	Andromeda <i>Boehmeria rugulosa wald</i>	02	20-30	160.00	320.00	
14	-	रोहणी	Andromeda <i>Mallotus philippensis</i>	04	10-20	80.00	320.00	
	-	-	<i>Maell - Arge</i>	04	20-30	160.00	640.00	
	-	-	-	01	30-40	390.00	390.00	
15	-	मणिपुरी बाँज	<i>Quercus</i>	05	0-10	50.00	250.00	
	-	-	<i>Cinnabrium</i>	04	10-20	80.00	320.00	
16	-	दाल चीनी	Andromeda <i>Lamela Nces</i>	01	0-10	50.00	50.00	
	-	-	-	02	10-20	80.00	160.00	
	-	-	-	03	30-40	160.00	480.00	
17	-	तुन	<i>Cedrela toona</i>	01	10-20	190.00	190.00	
	-	-	-	01	20-30	1160.00	1160.00	
	-	-	<i>Litsea-lanuzimosa</i>	02	40-50	4750.00	9500.00	
18	-	लम्बपत्तिया	Andromeda <i>Nces</i>	01	20-30	160.00	160.00	
	-	-	<i>Albizia-lebbek</i>	01	40-50	630.00	630.00	
19	-	सीरस	Andromeda <i>Benth</i>	01	20-30	160.00	160.00	
20	-	चीड़	<i>Pinus roxburgii</i>	23	0-10	90.00	2070.00	
	-	-	-	10	10-20	240.00	2400.00	
	-	-	-	06	20-30	600.00	3600.00	
	योग	-	-	159	-	-	49245.00	

यूनिट अधिकारी, गुप्तकाशी
वन विभाग
यूनिट गुप्तकाशी

उपप्रमुख वनाधिकारी
जखाली उप वन प्रभाग
रुद्रप्रयाग

उप वन संरक्षक
रुद्रप्रयाग वन प्रभाग
रुद्रप्रयाग

परियोजना का नाम:- जनपद रुद्रप्रयाग में राज्य योजना के अन्तर्गत नागजगई-फेगू-बरम्वाड़ी मोटर मार्ग का विस्तार सेतु सहित निर्माण हेतु वन भूमि का लो०नि०वि० को हस्तान्तरण।

परियोजना से प्रभावित होने वाले वृक्षों की मूल्य सूची

प्रमाणित किया जाता है कि विषयगत परियोजना के अन्तर्गत काटे जाने पेड़ों का कुल मूल्य रुपये 49245.00 आंकलित किया जाता है

(A. S. Bhatwal)
R.S.I.
Sarcile.....
Thaesheel.....
राजस्व-उपनिरीक्षक

तहसीलदार
ठसलीमठ
जनपद रुद्रप्रयाग

उपजिलाधिकारी
उपजिलाधिकारी
ऊर्ध्वगत
जनपद रुद्रप्रयाग

यूनिट अधिकारी, शादपुरा
यूनिट गुप्तकाशी

उपपरमार्ग विकास अधिकारी
जखाली उप वन प्रभाग
रुद्रप्रयाग

उप वन संरक्षक
प्रभुगुप्त वनाधिकारी
रुद्रप्रयाग

प्रपत्र-22

परियोजना का नाम:- जनपद रुद्रप्रयाग में राज्य योजना के अन्तर्गत नागजगई-फेगू-बरम्वाड़ी मोटर मार्ग का विस्तार सेतु सहित निर्माण हेतु वन भूमि का लो०नि०वि० को हस्तान्तरण।

बांज वृक्षों के पातन का प्रमाण पत्र

प्रश्नगत परियोजना के निर्माण हेतु आवेदित वनभूमि के गैर वानिकी कार्यों हेतु प्रत्यावर्तन के लिये मेरे द्वारा दिनांक.....को स्थलीय निरीक्षण किया गया स्थलीय निरीक्षण के दौरान परियोजना के निर्माण से प्रभावित होने वाले बांज वृक्षों की निम्नानुसार गणना की गई

क्र० सं०	ब्लाक/ग्राम प्रजाति	व्यास वर्ग											योग
		0-10	10.20	20.30	30.40	40.50	50.60	60.70	70.80	80.90	90 से अधिक		

उपरोक्तानुसार गणना किये वृक्षों का पातन परियोजना के निर्माण हेतु किया जाना अपरिहार्य है

वन संरक्षक
गढ़वाल वृत्त

प्रपत्र-23

परियोजना का नाम:- जनपद रुद्रप्रयाग में राज्य योजना के अन्तर्गत नागजगई-फेगू बरम्वाड़ी मोटर मार्ग का विस्तार सेतु सहित निर्माण हेतु वन भूमि का लो०नि०वि० को हस्तान्तरण।

प्रस्तावित परियोजना में वृक्ष प्रभावित न होने की दशा में प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा प्रदत्त प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि प्रस्तावित परियोजना के निर्माण से आवेदित वन भूमि पर ¹⁵⁹ वृक्ष प्रभावित हो रहे हैं।


कनिष्ठ अभियन्ता,
निर्माण खण्ड, लो.नि.वि.,
ऊखीमठ (रुद्रप्रयाग)


सहायक अभियन्ता,
निर्माण खण्ड, लो.नि.वि.,
ऊखीमठ (रुद्रप्रयाग)


अधिशाली अभियन्ता
निर्माण खण्ड, लो.नि.वि.,
ऊखीमठ (रुद्रप्रयाग)


यूनिट अभियन्ता प्रमुख,
यूनिट गुप्तकाशी


उपप्रभागीय वनाधिकारी
जखाली उप वन प्रभाग
रुद्रप्रयाग


उप वन संरक्षक
रुद्रप्रयाग वन प्रभाग
प्रभागीय वनाधिकारी
रुद्रप्रयाग

प्रपत्र-24

परियोजना का नाम:- जनपद रुद्रप्रयाग में राज्य योजना के अन्तर्गत नागजगई-फेगू-बरम्वाड़ी मोटर मार्ग का विस्तार सेतु सहित निर्माण हेतु वन भूमि का लो०नि०वि० को हस्तान्तरण।

न्यूनतम वृक्षों के पातन किये जाने का प्रमाण-पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि उक्त परियोजना के निर्माण हेतु प्रभावित होने वाले वृक्षों की संख्या न्यूनतम है व भारत सरकार से परियोजना के निर्माण की स्वीकृति प्राप्त होने के उपरान्त आवश्यक न्यूनतम वृक्षों का ही पातन किया जायेगा।


कनिष्ठ अभियन्ता,
निर्माण खण्ड, लो.नि.वि.,
ऊखीमठ (रुद्रप्रयाग)


सहायक अभियन्ता,
निर्माण खण्ड, लो.नि.वि.,
ऊखीमठ (रुद्रप्रयाग)


अधिशायी अभियन्ता
निर्माण खण्ड, लो.नि.वि.,
ऊखीमठ (रुद्रप्रयाग)


वन विभाग, रुद्रप्रयाग
वन विभाग, रुद्रप्रयाग


अधिशायी अधिकारी
जखाली उप वन प्रभाग
रुद्रप्रयाग


उप वन संरक्षक
प्रभागीय वन अधिकारी
रुद्रप्रयाग

प्रपत्र-25

परियोजना का नाम:- जनपद रुद्रप्रयाग में राज्य योजना के अन्तर्गत नागजगई-फेगू-बरम्वाड़ी मोटर मार्ग का विस्तार सेतु सहित निर्माण हेतु वन भूमि का लो०नि०वि० को हस्तान्तरण।

परियोजना स्थल किसी राष्ट्रीय पार्क/ वन्यजीव अभ्यारण का हिस्सा न होने का प्रमाण-पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि प्रश्नगत परियोजना के निर्माण हेतु आवेदित वन भूमि किसी राष्ट्रीय पार्क/ वन्य जीव अभ्यारण का हिस्सा नहीं है।


 जिला अधिकारी
 रुद्रप्रयाग


 उपप्रभाग वन्यजीव वन्यजीव
 जखाली उप वन्य प्रभाग
 रुद्रप्रयाग


 उप वन्य अधिकारी
 रुद्रप्रयाग वन्य प्रभाग
 रुद्रप्रयाग

प्रपत्र-26

परियोजना का नाम:- जनपद रुद्रप्रयाग में राज्य योजना के अन्तर्गत नागजगई-फेगू-बरम्वाड़ी मोटर मार्ग का विस्तार सेतु सहित निर्माण हेतु वन भूमि का लो०नि०वि० को हस्तान्तरण।

राष्ट्रीय पार्क/ वन्यजीव अभ्यारण से दूरी का प्रमाण-पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि प्रश्नगत परियोजना के निर्माण हेतु आवेदित वन क्षेत्र की समीपस्थ राष्ट्रीय पार्क/ वन्य जीव अभ्यारण की सीमा से दूरी ...4.0 Km. कि०मी० है।
(चार कि०मी०)


मुनिर (जि०) की
जि० का० की
उपप्रभारी वन अधिकारी
जखली उप वन प्रभाग
रुद्रप्रयाग


उप वन अधिकारी
प्रभारी वन प्रभाग
रुद्रप्रयाग

परियोजना का नाम:- जनपद रुद्रप्रयाग में राज्य योजना के अन्तर्गत नागजगई-फेगू-बरम्वाड़ी मोटर मार्ग का विस्तार सेतु सहित निर्माण हेतु वन भूमि का लो०नि०वि० को हस्तान्तरण।

मुख्यजीव प्रतिपालक उत्तराखण्ड का अनापत्ति प्रमाण पत्र

मुख्यजीव प्रतिपालक
उत्तराखण्ड

अनापत्ति प्रमाण पत्र

मोटरमार्ग का नाम-

सेवा में,

श्रीमान अधिशासी अभियन्ता महोदय
लो0नि0वि0 गुप्तकाशी जनपद रुद्रप्रयाग (उत्तराखण्ड)

महोदय,

उपरोक्त मोटरमार्ग पर पड़ने वाली समस्त नाप भूमि ग्राम टेमरिया वल्ला (राजस्व ग्राम) ग्राम टेमरिया पल्ला (पोखरी) की पड़ती है। राजस्व अभिलेखों के अनुसार मार्ग निर्माण में पड़ने वाली समस्त भूमि उपरोक्त दोनों ग्राम के ग्रामवासी आपसी सहमति से देने को तैयार हैं। मोटरमार्ग निर्माण से हम ग्रामवासियों को कोई आपत्ति नहीं है। विभागीय सर्वेक्षण/समरेखण से हम सब ग्रामवासी सहमत हैं।

अतः हम निम्न हस्ताक्षरकर्ता अपनी-अपनी अनापत्ति प्रमाण पत्र बिना किसी दबाव के, बिना किसी बहकावे अपने स्वस्थ मन से दे रहे हैं।

(शुभकामनाओं सहित सादर)

हस्ताक्षर समस्तग्रामवासी टेमरिया वल्ला-पल्ला

भवदीय

समस्त ग्रामवासी एवं प्रधान/सरपंच
वनपंचायत/अध्यक्ष महिला मंगलदल ग्राम पंचायत टेमरिया
तहसील ऊखीमठ जनपद रुद्रप्रयाग (उत्तराखण्ड)



19 कमल देवी

20 बलापती देवी

21 पल्लु देवी

22 सवित्री देवी

23 दिनेश कुमार

24 श्रीधर कुमार

25 पित्रेन्द्र कुमार

26 रघुवीर सिंह नेगी

27 सुशीला नेगी

28 सुधीर कुमार

29 सुधीर कुमार

जोगी प्रीति प्रभाकर

A-E

सुनील

सुनील

सुनील

सुधीर कुमार

सुधीर कुमार

सुधीर कुमार

सुधीर कुमार

का नाम:-

सेवा में:

आधीवाली आजीयता
लो.न. वि. गुरतकाशी

गीत किया जाता है, की उपरोक्त मोटरमार्ग पर पड़ने वाली समस्त
गुप्त आदि आदि- हेमरीया, हेमरीया वल्ला एकर पल्ला की पड़ती है,
में पड़ने वाली समस्त आदि हम आदिवासी आपली सहमति से
को तैयार है- मार्ग निर्माण से हमें कोई आपत्ति नहीं है,
है। हम अनापत्ति प्रमाण पत्र दे रहे हैं, तथा किये गये विज्ञापन
/समरोपण से हम सब सहमत हैं,

शिवन-द सेमवाल
(वन पंचायत संप्रदाय) शिवन-द सेमवाल

सूर्य सेमवाल - श्री

भाषाराम सेमवाल भाषाराम सेमवाल

महेन्द्रल सेमवाल

महेन्द्र सेमवाल

महेन्द्र सेमवाल

महेन्द्र सेमवाल

महेन्द्र सेमवाल

महेन्द्र सेमवाल

महेन्द्र सेमवाल

महेन्द्र सेमवाल

महेन्द्र सेमवाल

महेन्द्र सेमवाल

महेन्द्र सेमवाल

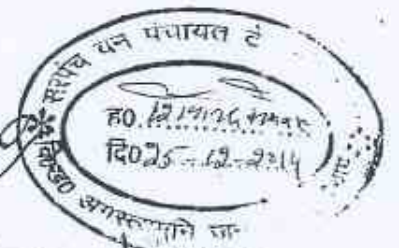
महेन्द्र सेमवाल

महेन्द्र सेमवाल

महेन्द्र सेमवाल

महेन्द्र सेमवाल

अवधीय समस्त आदिवासी



सूर्य सेमवाल

भाषाराम सेमवाल

महेन्द्रल सेमवाल

महेन्द्र सेमवाल

महेन्द्र सेमवाल

महेन्द्र सेमवाल

महेन्द्र सेमवाल

महेन्द्र सेमवाल

महेन्द्र सेमवाल

अनापत्ति प्रमाण पत्र

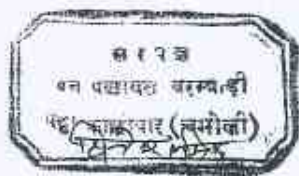
लो.न. वि. गुरतकाशी

अधीवाली आजीयता
लो.न. वि. गुरतकाशी

अनापत्ति प्रमाण पत्र

60

प्रमाणित किया जाता है कि गिवाड़ी गांव रेमरिया होते हुए ग्राम बरम्बाड़ी मोटर मार्ग में ग्राम बरम्बाड़ी वाले का किसी भी प्रकार से कोई भी आपत्ति नहीं है, अतः महोदय से निवेदन है यथा वीथ मोटर मार्ग का निर्माण कार्य जो कि सका हुआ है उसे यथाशीघ्र कार्य करने की महति कृपा कीजियेगा



ग्राम सभा बरम्बाड़ी

रेशमसिंह	हनुमान सिंह
विके लाल	नरका देवी
विरे कुरावत	हरलासीह
परवानसिंह	आशुष-सिंह
नरामणीविह	आजिला रावल
मोहनसिंह	मोगेरारवल
लक्ष्मणसिंह	रूपालासिंह
सिताजीसिंह	दमयन्ति
मनेलसिंह	ललित सिंह
कालव नरसिंह	तरुण रावल
मोहनसिंह	रागवी रावल
शमपुनिसिंह	मोहनसिंह
	होमतारसिंह
	सजय शर्मा
	सीताक्षी राणा

कोसे प्रो. प्रमोद
 २५/१२
 ग्राम सभा बरम्बाड़ी
 निर्माण खण्ड २५० २५० २५०
 अमीमठ (अदम्यमान)

प्रपत्र-30

Form-I

(For linear projects)

Government of uttarakhand

Office of the District collector- Rudraprayag

No..106..

Dated...19/11/15

To WHOMSOEVER IT MAY CONCERN

In compliance of the ministry of Environment and Forests (MoEF), Government of india's letter No. 11-9/98-FC(Pt) dated 3rd August 2009 wherein the MoEF issued guidelines on submission of evidences for having initiated and completed the process of settlement of rights under the scheduled Tribes and Other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Forest Rights) Act, 2006 ('FRA' for short) on the forest land proposed to be diverted for non-forest purposes read with MoEF's letter dated 5th February 2013 wherein MoEF issued certain relaxation in respect of linear projects, it is certified that (1.451) hectares of forest land proposed to be diverted in favour of Construction Division, P.W.D. Ukhimath, Rudraprayag (name of user agency) for Construction of Naagjagai Phegu Barmwadi Motor Road. in Rudraprayag - district falls within jurisdiction of Phegu Barmuwadi, Timriya, villages in Ukhimath tehsil.

It is further certified that:

- The complete process for identification and settlement of rights under the FRA has been carried out for the entire (1.451) Hectares of forest area proposed for diversion. A copy of records of all consultations and meetings of the forest Rights committee(s), Gram Sahha(s) Sub-Division Level Commtee(s) and the District Level committee are enclosed as annexure 23, 23.1, 23.2 and annexure 23.3.
- The diversion of forest land for facilities managed by the Government as required under section 3 (2) of the FRA have been completed and Grama Sabhas have given their consent to it.
- The proposal does not involve recognized rights of primitive Tribal Group and pre-agricultural communities.

Encl As above.

Raghar
 रजिस्ट्रार

(Dr. Raghar Langar)
 District Magistrate
 Rudraprayag

प्रपत्र-30.1

ANNEXUR-23.3

**OFFICE OF THE DISTRICT COLLECTOR
DISTRICT RUDRAPRAYAG (U.K.)**

Proceeding of the meeting of the district level committee constituted under schedule tribes & other Traditional forest Dwellers (recognition of forest rights) act (FRA) 2006.

A meeting of the district level committee of Rudraprayag district, constituted under FRA, 2006 was held under the chairmanship of Mr. Dr. Raghav Langar (I.A.S) District Magistrate Rudraprayag on date ..19.11.2015.... at time ..3.00 P.M. at Rudraprayag in which application claiming rights in Forest area measuring 1.451 hect for Transfer of Naagjagai Phegu Barmwadi Motor Road. of forest land under FRA, 2006 of the following applicant duly processed and recommended by the sub division level committee of Ukhimath Tehsil sub division were discussed to consider the same for admission by the district level committee.

After scrutiny of the documents and detailed discussions, no objection/claims were found to have been made & hence District level committee recommend the above case for diversion of land for the said purpose.

Place : Rudraprayag

Dated:..19.11.15


लिला अधिकारी
उखिमठ

(Dr. Raghav Langar)
District Magistrate-cum-
Chairman, District Level
Committee, Rudraprayag

परियोजना का नाम:- जनपद रुद्रप्रयाग के विधान सभा क्षेत्र केदारनाथ में जुगासू मोटर मार्ग से बुरवा मोटर मार्ग का निर्माण।

जिलाधिकारी द्वारा प्रदत्त प्रमाण-पत्र

जनपद रुद्रप्रयाग में राज्य योजना के अन्तर्गत नागजगई-फेगू- बरम्वाड़ी मोटर मार्ग का विस्तार सेतु सहित निर्माण हेतु वन भूमि का लो०नि०वि० को हस्तान्तरण हेतु 1.451 है.
वनभूमि लोक निर्माण विभाग, ऊखीमठ को प्रत्यावर्तित किये जाने हेतु प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है। भारत सरकार पर्यावरण एवं वन मंत्रालय के पत्र सं. 11-9/98-एफ.सी., दिनांक 05-02-2013 के द्वारा सड़क निर्माण, नहर निर्माण, पारेषण लाईन, रोपवे, ओ.एफ.सी., केबिल, पाईप लाईन बिछाने आदि प्रयोजनों को भारत सरकार द्वारा वन अधिनियम 2006 के प्राविधानों से मुक्त कर दिया गया है। भारत सरकार के उक्त आदेश के क्रम में प्रमाणित किया जाता है कि परियोजना विशेष के निर्माण हेतु आवेदित राज्य वन भूमि व कृषि भूमि पर आदिकालीन जनजाति समूह (Primitive Tribal Groups) व आदिकालीन कृषि समुदाय (Primitive Agricultural Tribal Groups) प्रभावित नहीं हो रहे हैं।


जिला अधिकारी
जिलाधिकारी,
रुद्रप्रयाग।

प्रपत्र-30.2

परियोजना का नाम:- जनपद रुद्रप्रयाग में राज्य योजना के अन्तर्गत नागजगई-फेगू-बरम्वाड़ी मोटर मार्ग का विस्तार सेतु सहित निर्माण हेतु वन भूमि का लो०नि०वि० को हस्तान्तरण।

कार्यालय उप जिलाधिकारी.- ऊखीमठ

अनुसूचित जनजाति और परम्परागत वनवासी अधिनियम 2006 के तहत प्रमाण- प्रत्र

उपखण्ड स्तरीय समिति, - ऊखीमठ

उपखण्ड ऊखीमठ परिक्षेत्र जनपद रुद्रप्रयाग में राज्य योजना के अन्तर्गत नागजगई-फेगू-बरम्वाड़ी मोटर मार्ग का विस्तार सेतु सहित निर्माण हेतु वन भूमि का लो०नि०वि० को हस्तान्तरण हेतु राज्य भूमि 1451 है० अर्थात् कुल (1451) है० वन भूमि का लो.नि.वि. के पक्ष में हस्तान्तरित किये जाने हेतु अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वनवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत उपखण्ड स्तरीय समिति, (तहसील -ऊखीमठ) की दिनांक 11/10/15 को सम्पन्न बैठक की कार्यवाही का विवरण:-

अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 एवं नियम 2008 के अन्तर्गत उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति की अध्यक्षता श्री-उत्तमसिंह चौहान उप जिलाधिकारी एवं अध्यक्ष उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति की अध्यक्षता में आयोजित की गयी। बैठक में माननीय सदस्यों की उपस्थिति निम्नानुसार है।

- | | | | |
|---------------------------------|---------------------------|--------------------|------------|
| 1- श्री- <u>उत्तमसिंह चौहान</u> | उपजिलाधिकारी | <u>ऊखीमठ</u> | अध्यक्ष |
| 2- श्री- <u>रोहन लाल</u> | उप प्रभागीय वनाधिकारी | <u>रुद्रप्रयाग</u> | सदस्य |
| 3- श्री- <u>संजीव पाण्डे</u> | सहायक समाज कल्याण अधिकारी | <u>ऊखीमठ</u> | सदस्य/सचिव |
| 4- श्री- <u>सुमन लिवारी</u> | बी.डी.सी. क्षेत्र | <u>फेगू</u> | सदस्य |

उपखण्ड सचिव द्वारा माननीय सदस्यों का बैठक में स्वागत करते हुए उपजिलाधिकारी की अनुमति से बैठक की कार्यवाही प्रारम्भ की गयी माननीय सदस्यों को अवगत कराया गया कि जनपद रुद्रप्रयाग में राज्य योजना के अन्तर्गत नागजगई-फेगू-बरम्वाड़ी मोटर मार्ग का विस्तार सेतु सहित निर्माण हेतु वन भूमि का लो०नि०वि० को हस्तान्तरण परियोजना हेतु (1451) है० राज्य वन भूमि का लो०नि०वि० के पक्ष में हस्तान्तरित किये जाने हेतु प्रस्ताव माननीय सदस्यों के समक्ष रखा गया। ग्राम सभा के अन्तर्गत वनाधिकार का कोई मामला लम्बित नहीं है। उक्त भूमि का सम्बन्धित ग्राम द्वारा सर्वसम्मति से पारित प्रस्ताव के आधार पर सार्वजनिक उपयोग हेतु प्रत्यावर्तन की अनुशंसा की गयी है।

सम्बन्धित उप प्रभागीय वनाधिकारी, रुद्रप्रयाग द्वारा अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वनवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 एवं

तत्सम्बन्धी नियम 2008 को स्पष्ट करते हुये जानकारी से माननीय सदस्यों को अवगत कराया कि वन अधिनियम 2006 के अन्तर्गत किसी भी दावेदार का दावा/आवेदन पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है। इस सम्बन्ध में ग्राम सभा / पंचायत द्वारा अनापत्ति जारी की जा चुकी है अतः प्रकरण में उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति अनापत्ति जारी की जा चुकी है अतः प्रकरण में उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति द्वारा अनापत्ति जारी की जा सकती है।

बैठक में सर्वसम्मति से उपखण्ड - ऊखीमठ परिक्षेत्र जनपद रुद्रप्रयाग में राज्य योजना के अन्तर्गत नागजगई-फेगू- बरम्वाडी मोटर मार्ग का विस्तार सेतु सहित निर्माण हेतु वन भूमि का लो०नि०वि० को हस्तान्तरण हेतु (1.4.51) हे० राज्य वनभूमि का लो०नि०वि० को जनहित में सक्षम प्राधिकारी से अनुमति प्राप्त कर प्रत्यावर्तित किये जाने पर सहमति व्यक्त की गयी।

1. उप प्रभारी वनाधिकारी
उप प्रभारी वनाधिकारी
रुद्रप्रयाग

2. सहायक समाज कल्याण अधिकारी
सहायक समाज कल्याण अधिकारी
ऊखीमठ (रुद्रप्रयाग)

3. बी.डी.सी. सदस्य सुमन तिवारी
सुमन तिवारी
उप प्रभारी वनाधिकारी
रुद्रप्रयाग

उपजिलाधिकारी / अध्यक्ष
उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति
तहसील ऊखीमठ
जनपद - रुद्रप्रयाग

No. R-32/ST-विनिध/2015 दि 11/10/2015
प्रतिलिपि :- जिलाधिकारी रुद्रप्रयाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

उपजिलाधिकारी / अध्यक्ष
उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति
तहसील - ऊखीमठ
जनपद - रुद्रप्रयाग

प्रपत्र -30.3

परियोजना का नाम:- जनपद रुद्रप्रयाग में राज्य योजना के अन्तर्गत नागजगई-फेगू-बरम्वाड़ी मोटर मार्ग का विस्तार सेतु सहित निर्माण हेतु वन भूमि का लो०नि०वि० को हस्तान्तरण।

वन अधिकार अधिनियम 2006 के अन्तर्गत अनापत्ति प्रमाण- पत्र

ग्राम पंचायत का नाम - बरम्वाड़ी

तहसील - ऊखीमठ , जिला - रुद्रप्रयाग

अनापत्ति प्रमाण-पत्र

उत्तराखण्ड में जनपद रुद्रप्रयाग में राज्य योजना के अन्तर्गत नागजगई-फेगू-बरम्वाड़ी मोटर मार्ग का विस्तार सेतु सहित निर्माण हेतु वन भूमि का लो०नि०वि० को हस्तान्तरण। हेतु राज्य भूमि 1.451 है। अर्थात् कुल 1.451 है। राज्य वन भूमि का लो.नि.वि. के पक्ष में भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा प्रत्यावर्तित करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया। उक्त प्रकरण के विषय में ग्राम पंचायतबरम्वाड़ी..... द्वारा दिनांक 04/10 /2015 को सम्पन्न ग्राम सभा / ग्राम पंचायत की बैठक में लो.नि.वि. द्वारा आवेदित वन भूमि के सम्बन्ध में अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत करने हेतु विस्तृत चर्चा की गई। यह कि वन अधिकार अधिनियम 2006 के प्राविधानों के तहत आवेदित वन भूमि में आदिवासी अथवा किसी गैर आदिवासी का कब्जा / कृषि कार्य है अथवा नहीं। उपस्थित सभी ग्रामवासियों द्वारा स्पष्ट किया गया कि उक्त वन भूमि में किसी भी आदिवासी अथवा गैर आदिवासी का कब्जा / कृषि कार्य नहीं किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त परियोजना के निर्माण हेतु आवेदित वन भूमि पर ग्रामवासियों के परम्परागत अधिकारों हनन नहीं हो रहा है।

चर्चा के उपरान्त ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया /प्रस्ताव पारित किया गया कि ग्राम बरम्वाड़ी के ग्रामवासियों को उक्त वन भूमि उक्त परियोजना हेतु लो.नि.वि. को परियोजना के निर्माण हेतु दिये जाने पर कोई आपत्ति नहीं है।

प्रमाणित किया जो सत्य एवं सही है।

ग्राम प्रधान



प्रपत्र - 30.4

परियोजना का नाम:- जनपद रुद्रप्रयाग में राज्य योजना के अन्तर्गत नागजगई-फेगू-बरम्वाड़ी मोटर मार्ग का विस्तार सेतु सहित निर्माण हेतु वन भूमि का लो०नि०वि० को हस्तान्तरण।

दिनांक- ०४/१०/२०१५ को ग्राम / सभा की सम्पन्न बैठक की उपस्थिति

ग्राम पंचायत - बरम्वाड़ी

क्र.स.	ग्राम सभा में उपस्थित वरिष्ठ ग्राम वासियों के नाम	हस्ताक्षर
1	सेतु सिंह	3
1	दिगम्बर सिंह	
2	शापाल सिंह	
3	मनेज सिंह	
4	प्रदीप सिंह	
5	जसपाल सिंह	
6	मानवेंद्र सिंह	
7	पवन कुमार	
8	राजेश्वर प्रसाद	
9	वसुदेव सिंह	
10		

ग्राम प्रधान



परियोजना का नाम:- जनपद रुद्रप्रयाग में राज्य योजना के अन्तर्गत नागजगई-फेगू-बरम्वाड़ी मोटर मार्ग का विस्तार सेतु सहित निर्माण हेतु वन भूमि का लो०नि०वि० को हस्तान्तरण

वन अधिकार अधिनियम 2006 के अन्तर्गत अनापत्ति प्रमाण- पत्र

ग्राम पंचायत का नाम - लेरिया

तहसील - कडुवा, जिला - रुद्रप्रयाग

अनापत्ति प्रमाण-पत्र

उत्तराखण्ड में जनपद रुद्रप्रयाग में राज्य योजना के अन्तर्गत नागजगई-फेगू-बरम्वाड़ी मोटर मार्ग का विस्तार सेतु सहित निर्माण हेतु वन भूमि का लो०नि०वि० को हस्तान्तरण हेतु राज्य भूमि 1.451 है। अर्थात् कुल 1.451 है। वन भूमि का लो.नि.वि. के पक्ष में भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा प्रत्यावर्तित करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया। उक्त प्रकरण के विषय में ग्राम पंचायत, लेरिया द्वारा दिनांक 8/05/2017 को सम्पन्न ग्राम सभा / ग्राम पंचायत की बैठक में लो.नि.वि. द्वारा आवेदित वन भूमि के सम्बन्ध में अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत करने हेतु विस्तृत चर्चा की गई। यह कि वन अधिकार अधिनियम 2006 के प्राविधानों के तहत आवेदित वन भूमि में आधिवासी अथवा किसी गैर आधिवासी का कब्जा / कृषि कार्य है अथवा नहीं। उपस्थित सभी ग्रामवासियों द्वारा स्पष्ट किया गया कि उक्त वन भूमि में किसी भी आधिवासी अथवा गैर आधिवासी का कब्जा / कृषि कार्य नहीं किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त परियोजना के निर्माण हेतु आवेदित वन भूमि पर ग्रामवासियों के परम्परागत अधिकारों हनन नहीं हो रहा है।

चर्चा के उपरान्त ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया / प्रस्ताव पारित किया गया कि ग्राम लेरिया वलापला के ग्रामवासियों को उक्त वन भूमि उक्त परियोजना हेतु लो.नि.वि. को परियोजना के निर्माण हेतु दिये जाने पर कोई आपत्ति नहीं है।

प्रमाणित किया जो सत्य एवं सही है।



परियोजना का नाम:- जनपद रुद्रप्रयाग में राज्य योजना के अन्तर्गत नागजगई-फेगू-बरम्वाड़ी मोटर मार्ग का विस्तार सेतु सहित निर्माण हेतु वन भूमि का लो0नि0वि0 को हस्तान्तरण।

दिनांक- 8-08- /2017 को ग्राम / सभा की सम्पन्न बैठक की उपस्थिति

ग्राम पंचायत - टेमरिया

क्र.स.	ग्राम सभा में उपस्थित वरिष्ठ ग्रामवासियों के नाम	हस्ताक्षर
1	2	3
1	श्री नागदत्त सेमवाल	Hanul
2	श्री रामेश्वरदत्त सेमवाल	रामेश्वर
3	श्री माथाराम सेमवाल	माथाराम
4	श्री शिवानन्द सेमवाल संपन्न वन पंचायत	12/8/17 दे
5	श्री विशालभरणी सेमवाल	विशालभरणी
6	श्री बसुदेव सेमवाल	बसुदेव
7	श्री सुदर्शन सेमवाल	सुदर्शन
8	श्री सन्तोष सेमवाल	सन्तोष
9	श्री सत्मानन्द सेमवाल	सत्मानन्द
10	श्रीमती वज्रती जे. अपरदेव	वज्रती

ग्राम प्रधान
टेमरिया

अनापत्ति प्रमाण पत्र

मोटरमार्ग का नाम- नाग/जगई - फेरु घुग्गई रोडर मार्ग विस्तार सेतु छहिल

सेवा में,

श्रीमान अधिशासी अभियन्ता महोदय
लो0नि0वि0 गुप्तकाशी जनपद रुद्रप्रयाग (उत्तराखण्ड)

महोदय,

उपरोक्त मोटरमार्ग पर पड़ने वाली समस्त नाप भूमि ग्राम टेमरिया वल्ला (राजस्व ग्राम) ग्राम टेमरिया वल्ला (पोखरी) की पड़ती है। राजस्व अभिलेखों के अनुसार मार्ग निर्माण में पड़ने वाली समस्त भूमि उपरोक्त दोनों ग्राम के ग्रामवासी आपसी सहमति से देने को तैयार हैं। मोटरमार्ग निर्माण से हम ग्रामवासियों को कोई आपत्ति नहीं है। विभागीय सर्वेक्षण/समरेखण से हम सब ग्रामवासी सहमत हैं।

अतः हम निम्न हस्ताक्षरकर्ता अपनी-अपनी अनापत्ति प्रमाण पत्र बिना किसी दबाव के, बिना किसी बहुकाये अपने स्वस्थ मन से दे रहे हैं।

(शुभकामनाओं सहित सादर)

हस्ताक्षर समस्तग्रामवासी टेमरिया वल्ला-पल्ला

भवदीय

समस्त ग्रामवासी एवं प्रधान/सरपंच

जनपंचायत/अध्यक्ष महिला मंगलदल ग्राम पंचायत टेमरिया
विशालमती निमवाल तहसील ऊखीमठ जनपद रुद्रप्रयाग (उत्तराखण्ड)

- 1- सुखीला नेरी / श्री 5 धारा
- 2- सुखीला नेरी / श्री 5 धारा
- 3- शिवानन्द निमवाल
- 4- महेन्द्र दत्त
- 5- रामचन्द्र निमवाल
- 6- श्री 5 धारा
- 7- सुलेका

विशालमती निमवाल
रघुनन्दन सेमवाल
सर्वेन्द्रनन्दन सेमवाल



विजयप्रकाश निमवाल
महाराज

(Signature)

कार्यालय प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष
उत्तराखण्ड लोक निर्माण विभाग,
देहरादून।

भू - गर्भीय निरीक्षण आख्या एस0जी0-785/सड़क/पुल समरेखण/ गढ़वाल/2015

Geological Assessment of the 4.00 km long alignment corridor
proposed for Naagjagai Phegu Barmwadi motor road, Distt.
Rudraprayag.

09-मई-2015

69

**Geological Assessment of the 4.00 km long alignment corridor
proposed for Naagjagai Phegu Barmwadi motor road, Distt.
Rudraprayag.**

Vijay Dangwal
09.05.2015

1- Introduction:- The Construction Division, Public Works Department Ukhimath been entrusted for the proposed the construction of 4.00 km long alignment corridor proposed for Naagjagai Phegu Barmwadi motor road, vide District Plan No. 2555/111(2) / (प्र०३१०) दिनांक 08.09.2006, Distt. Rudrapryag. In response to the request made by Er. Manoj Das, Executive Engineer, P.W.D. Ukhimath, I carried out the geological assessment of the proposed alignment on 21.04.2015 in presence of Er. Sandeep Semwal, Asst. Engineer and Er. Maan Singh, Jr. Engineer, P.W.D. Ukhimath.

2- Location:- The proposed alignment corridor of this road originates from km 10 HM 4-6 of Mayali Guptakahsi motor road and it connects villages Pheggua-Naag Jagai-Timriya and their surroundings to the National Highway No. 107.

3- Geological Assessment:- Naagjagai Phegu Barmuwadi villages and their surrounding area falls in a part of Lesser Himalayan Belt of Garwal region. Mostly the quartzites which are a places interbedded with the thin parting of phyllites/schists are exposed in this area. These rock masses are blocky/disturbed/seamy-folded with angular blocks sheared/shattered/disintegrated and formed of many intersecting discontinuities sets. The terrain containing this alignment is marked by the steeply inclined hill slopes which at places bears the signature of ancient landslide which by now looks stabilized naturally and do not manifest any signature related to re-activation. The entire alignment passes through the right bank slopes of river Mandakinin which during the unprecedented over flooding generated some fresh, landslides/landslips all along its river course especially down stream of the alignment slopes. Some fresh scars are marked on the hill slopes of this alignment. The entire alignment of the proposed road passes across the slope comprised of the river born material and the composite soils. The slope forming material exposed on and across this alignment is largely comprised of the rounded boulders, cobbles, gravels and pebbles which are embedded in the sandy silty matrix. It has been apprehended that the deep excavation on the hill slopes, especially at the toe part will lead the hill slope in-stability therefore, the lower two arm of the road must be constructed by the walling only. At places some small scars related to the sliding are visible along the Mandakini river. If excavated waste will be disposed on these scars may threat slope instability.

By and large the alignment slopes are stable and presently free from any active landslide/ mass wasting activities.

On the basis of the above and the study carried at the site the following recommendations are being made for the construction of the proposed road, failing to these the report will be treated as cancelled, -

4- Recommendations:-

- 1- Construct the lower arms of the road by walling only. Any type of excavation on the hill slope will threat the hill slope instability.
- 2- Do not dispose the excavated waste on the lower slopes.
- 3- Protect the either side hill slopes by constructing properly designed retaining and breast walls.
- 4- The road must have adequate long and cross drainage arrangements and the drain water must be disposed off on the stable ground.
- 5- Protect the hill slope by green engineering solutions/plantation.
- 6- All the construction activity must be carried out as per the standard codes of practice laid by the BIS and MORTH.

5- Conclusion:- On the basis of the geological/geotechnical studies carried at the site and with the above recommendations, the site was found geologically suitable for the construction of 4.00 km long alignment corridor proposed for Naagiagai Phegu Barmwadi motor road, Distt. Rudrapur.

Vijay Dangwal
9/5/14
(Vijay Dangwal)

Sr. Geologist

Office of the Engineer in Chief,
PWD, Dehradun.

मोहो प्रती प्रमाणित
Singh
A.F.
रुद्रप्रियंका
विभागीय सचिव मो. वि.
म.म. (रुद्रप्रियंका)

प्रपत्र-34

परियोजना का नाम:- जनपद रुद्रप्रयाग में राज्य योजना के अन्तर्गत नागजगई-फेगू-बरम्वाड़ी मोटर मार्ग का विस्तार सेतु सहित निर्माण हेतु वन भूमि का लो०नि०वि० को हस्तान्तरण।

भू-वैज्ञानिक की संस्तुतियों/सुझावों का अनुपालन किये जाने का प्रमाण-पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि विषयगत परियोजना के निर्माण हेतु भू-वैज्ञानिक द्वारा दिये गये सुझावों/संस्तुतियों का अनुपालन किया जायेगा।



कनिष्ठ अभियन्ता,
निर्माण खण्ड, लो.नि.वि.,
ऊखीमठ (रुद्रप्रयाग)



सहायक अभियन्ता,
निर्माण खण्ड, लो.नि.वि.,
ऊखीमठ (रुद्रप्रयाग)



अधिशारी अभियन्ता,
निर्माण खण्ड, लो.नि.वि.,
ऊखीमठ (रुद्रप्रयाग)

प्रपत्र-35

परियोजना का नाम:- जनपद रुद्रप्रयाग में राज्य योजना के अन्तर्गत नागजगई-फेगू-बरम्वाड़ी मोटर मार्ग का विस्तार सेतु सहित निर्माण हेतु वन भूमि का लो०नि०वि० को हस्तान्तरण।

Task Force Certificate

- (i) Lay out of the Land-be followed as far as possible.
- (ii) Heavy cutting/filling be avoided-as far as possible. The technology of cut and fill method is to be adopted. Steep hill slopes also to be avoided.
- (iii) Unstable/slide-prone areas to be avoided. For identifying such areas the advice of Geotechnical engineers and geologists to be taken during the survey for alignment.
- (iv) Comparison of various possible alignments with reference to erosion potential be made and the alignment involving minimum erosion risks be preferred.

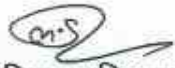
A part from the stage of planning the road alignment, effective steps are also required to be taken by ground engineer during the process of road construction for minimized ecological disturbance to the hill roads Broadly the measures to be taken have been identified as :-

- (i) Cut and fill method to be adopted while excavating for road formation and heavy earth cutting is to be avoided Box cutting is to be avoided to the extent possible.
- (ii) (ii) Blasting by explosives is to be restricted to the minimum. Lay out of holes to be drilled for blasting is to be planned keeping in view the line of least resistance and the existence of joints Controlled blasting should be repeated using low charge and care be taken to avoid activating slide zones or widening fissures and cracks in rock. Use of delay detonators in large scale blasting work is to be made for anaoline dispersion of chock waves, so that minimum disturbance is caused to the rock stratum as a result of the blasting process.
- (iii) (iii) All cut slopes, unusable hill side and slide prone erosion prone areas are to be provided with suitable correction measures by using one or the other of the techniques developed by CRRI. Several techniques have been sponsored by CRRI. like simple vegetative turning, bitumen much treatment and slide treatment by jute netting coir netting of these simple vegetative turning seems to be the most appropriate preventive measure in

many situations. This should be established in the denuded slopes immediately after the excavation is made

- (v) Adequate drainage measures and protective structures like intercepting catch water drains, longitudinal drains/culvers, breast walls, retaining and the walls are provided for purposes of establishing the slips Growth vegetative cover is stimulated in the disturbed hill slopes above the road level by planting suitable fast growing shrubs and plants. In certain selected unstable areas terraced afforestation has also been plasticized as a stabilizing measure with good results.
- (vi) Over the past few years the roads wing of the Ministry of Shipping and transport has issued instruction laying down broad guidelines and check list of the preparation of road construction projects which provide an inbuilt mechanism of tackling land slides/erosion control for the guidance and follow up action by engineers of state 'PWD' Border Roads Organization and other engaged in construction of hill roads these should be observed.

प्रमाणित किया जाता है कि योजना आयोग द्वारा गठित टास्क फोर्स द्वारा प्रदत्त उक्त संस्तुतियों का परियोजना के निर्माण के दौरान अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।


कनिष्ठ अभियन्ता,
निर्माण खण्ड, लो. नि. वि.,
ऊखीमठ (रुद्रप्रयाग)


सहायक अभियन्ता,
निर्माण खण्ड, लो. नि. वि.,
ऊखीमठ (रुद्रप्रयाग)


अधिसासी अभियन्ता,
निर्माण खण्ड, लो. नि. वि.,
ऊखीमठ (रुद्रप्रयाग)

प्रपत्र-36

परियोजना का नाम:— जनपद रुद्रप्रयाग में राज्य योजना के अन्तर्गत नागजगई-फेगू-बरम्वाड़ी मोटर मार्ग का विस्तार सेतु सहित निर्माण हेतु वन भूमि का लो०नि०वि० को हस्तान्तरण।

मानक शर्तों का मान्य होने का प्रमाण-पत्र

:मानक शर्तें:

1. वन भूमि हस्तान्तरण के बाद भी उसके उसके वैधानिक स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं होगा और वह भी पूर्व की भाँति रक्षित या आरक्षित वन भूमि बनी रहेगी।
2. प्रश्नगत भूमि का उपयोग केवल कथित प्रयोजन हेतु ही किया जायेगा अन्य प्रयोजन हेतु कदापि नहीं।
3. प्रयोक्ता ऐजेन्सी द्वारा प्रस्तावित भूमि अथवा उसके किसी भी भाग को किसी अन्य विभाग, संस्था अथवा व्यक्ति विशेष को हस्तान्तरित नहीं किया जायेगा।
4. वनभूमि का संयुक्त निरीक्षण करके सुनिश्चित कर लिया गया है कि आवेदित भूमि न्यूनतम है तथा इसके अतिरिक्त कोई अन्य वैकल्पिक भूमि उपलब्ध नहीं है।
5. प्रयोक्ता ऐजेन्सी उसके कर्मचारी, अधिकारी अथवा ठेकेदार वन भूमि को किसी प्रकार की क्षति नहीं पहुँचायेंगे और ऐसा किये जाने पर सम्बन्धित वनाधिकारी द्वारा निर्धारित प्रतिकर का भुगतान प्रयोक्ता ऐजेन्सी द्वारा किया जायेगा इस हेतु प्रयोक्ता ऐजेन्सी सहमत हैं।
6. परियोजना के निर्माण हेतु आवेदित भूमि का सीमांकन प्रयोक्ता ऐजेन्सी के दायरे से सम्बन्धित वनाधिकारी की रेख-देख में किया जायेगा तथा इस सम्बन्ध बनाय गये मुनारो रख-खाव किया जायेगा।
7. हस्तान्तरित वन भूमि पर वन विभाग के अधिकारियों/कर्मचारियों को निरीक्षण हेतु जाने पर प्रयोक्ता ऐजेन्सी को कोई आपत्ति नहीं होगी।
8. बहुमूल्य वन सम्पदा से आवेदित एवं वन जन्तुओं से भरपूर वन क्षेत्रों का हस्तान्तरण यथासम्भव प्रस्तावित न किया जाय। केवल अपरिहार्य कारणों से ही ऐसा किया जाना सम्भव होगा, परन्तु प्रतिबन्ध यह होगा कि वन सम्पदा की क्षतिपूर्ति एवं अन्य जन्तुओं के स्वच्छन्द विवरण की व्यवस्था सुनिश्चित करने के बाद ही भूमि हस्तान्तरित की जायेगी।
9. सिंचाई विभाग/जल निगम द्वारा वन विभाग की नहरसरियों को एवं वन विभाग के कर्मचारियों की निःशुल्क जल की सुविधा उपलब्ध करायी जायेगी।
10. प्रयोक्ता ऐजेन्सी द्वारा हस्तान्तरित वन भूमि का उपयोग अन्य प्रयोजन हेतु करने अथवा अन्य विभाग संस्था या व्यक्ति विशेष की हस्तान्तरित करने पर वन भूमि स्वतः बिना किसी प्रतिकर के भुगतान किये वन विभाग को वापस हो जायेगी। वन भूमि की आवश्यकता प्रयोक्ता ऐजेन्सी को न रहने पर हस्तान्तरित भूमि तथा उस पर निर्मित भवन आदि स्वतः बिना किसी प्रतिकर का भुगतान किये वन विभाग को प्राप्त हो जायेगी।
11. सड़क निर्माण के प्रस्तावों पर संरेखण तय होते समय स्थानीय स्तर पर वन विभाग का परामर्श लो०नि०वि० द्वारा प्राप्त किया जायेगा तथा इस सम्बन्ध में प्रमुख अभियन्ता, लो०नि०वि० को सम्बोधित पत्र संख्या 608 सी० दिनांक 10-2-82 में निहित आदेशों का पालन भी लो०नि०वि० द्वारा किया जायेगा कि वन

- भूमि पर अश्वमार्ग बनाना अथवा वन मार्गों का सुदृढीकरण/चोड़ीकरण कार्य करन हेतु वन संरक्षण अधिनियम 1980 के अन्तर्गत भारत सरकार पर्यावरण एवं वन मंत्रालय की स्वीकृति की जानी अनिवार्य है को फेर बदल कर पक्का करना याचक विभाग के खर्च से पर्याप्त न होना और नई सड़क का निर्माण ही आवश्यक है।
12. प्रयोक्ता ऐजेन्सी के वन भूमि का मूल्य सम्बन्धित जिलाधिकारी द्वारा वर्तमान बाजार दर के अनुसार राज्य सरकार के पक्ष में जमा किया जायेगा
 13. वन भूमि पर खड़े वृक्षों का निस्तारण वन विभाग उत्तराखण्ड वन विकास निगम द्वारा किया जायेगा
 14. हस्तान्तरित भूमि पर पड़ने वाले वृक्षों के प्रतिकार में प्रयोक्ता ऐजेन्सी द्वारा हस्तान्तरित भूमि के समतुल्य वृक्षारोपण का भुगतान अथवा समतुल्य गैर वानिकी भूमि उपलब्ध न होने पर प्रस्तावित भूमि के दुगने गैर वानिकी क्षेत्रफल में वृक्षारोपण तथा 3 वर्ष तक परिपोषण व्यय जो भी वन विभाग द्वारा तय किया जाय का भुगतान प्रयोक्ता ऐजेन्सी वन विभाग को किया जायेगा। 1000 मीटर एवं 30 डिग्री से अधिक ढाल पर खड़े वृक्षों का पातन भी निषिद्ध है, इसी प्रकार बांज के पेड़ों पर पातन भी वर्जित है। ऐसे वृक्षों के पातन का निरीक्षण वन संरक्षक स्तर पर ही होगा।
 15. वन भूमि पर प्रस्तावित विद्युत पारेषण लाईन के कोरीडोर के नीचे यथासम्भव पेड़ों का पातन नहीं किया जायेगा व पारेषण लाईन के खम्भों को ऊँचा कर अधिक से अधिक संख्या में पेड़ों को बचाया जायेगा यदि फिर भी पेड़ों का पातन अनिवार्य प्रतीत होता है तो न्यूनतम पेड़ों की संख्या संयुक्त स्थल निरीक्षण करके सम्बन्धित उप वन संरक्षक द्वारा निश्चित की जायेगी।
 16. यदि नहर आदि निर्माण में भू-संरक्षण की सम्भावना होती है और नहर की दोनों पट्टीयों को पक्का करना आवश्यक समझा जाता है तो प्रयोक्ता ऐजेन्सी उक्त कार्य स्वयं के व्यय से करायेगा।
 17. उपरोक्त मानक शर्तों के अतिरिक्त यदि भारत सरकार अथवा वन विभाग द्वारा किसी विशिष्ट प्रकरण में कोई अन्य शर्तें लगाई जाती हैं तो प्रयोक्ता ऐजेन्सी द्वारा उसका पालन किया जाना अनिवार्य होगा।
 18. वन भूमि का वास्तविक हस्तान्तरण तभी किया जाय, जब उच्च शर्तों का पूरा पालन प्रयोक्ता ऐजेन्सी द्वारा किया गया हो अथवा उनका संक्षम स्तर से आश्वासन प्राप्त हो जाय।

प्रमाणित किया जाता है कि वन विभाग उत्तराखण्ड शासन तथा भारत सरकार द्वारा लगाई गई शर्तें प्रयोक्ता ऐजेन्सी को मान्य है।


कनिष्ठ अभियन्ता,
निर्माण खण्ड, लो.नि.वि.,
ऊखीमठ (रुद्रप्रयाग)


सहायक अभियन्ता,
निर्माण खण्ड, लो.नि.वि.,
ऊखीमठ (रुद्रप्रयाग)


अधिसासी अभियन्ता,
निर्माण खण्ड, लो.नि.वि.,
ऊखीमठ (रुद्रप्रयाग)

प्रपत्र-37

परियोजना का नाम:- जनपद रुद्रप्रयाग में राज्य योजना के अन्तर्गत नागजगई-फेगू-बरम्वाड़ी मोटर मार्ग का विस्तार सेतु सहित निर्माण हेतु वन भूमि का लो०नि०वि० को हस्तान्तरण।

धार्मिक/पौराणिक/ऐतिहासिक महत्व के स्थल न होने का प्रमाण-पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि आवेदित राज्य वन भूमि में किसी प्रकार का ऐतिहासिक स्थल, धार्मिक स्थल स्मारक, मन्दिर, मस्जिद, शमशान घाट, कब्रिस्तान आदि स्थित नहीं है।

यह भी प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त राज्य वन भूमि अन्य प्रयोजन हेतु किसी को आवंटित नहीं की गई है।


कनिष्ठ अभियन्ता,
निर्माण खण्ड, लो.नि.वि.,
ऊखीमठ (रुद्रप्रयाग)


सहायक अभियन्ता,
निर्माण खण्ड, लो.नि.वि.,
ऊखीमठ (रुद्रप्रयाग)


अधिशाली अभियन्ता,
निर्माण खण्ड, लो.नि.वि.,
ऊखीमठ (रुद्रप्रयाग)


जिला अधिकारी,
रुद्रप्रयाग।

प्रपत्र-38

परियोजना का नाम:- जनपद रुद्रप्रयाग में राज्य योजना के अन्तर्गत नागजगई-
फेगू-बरम्वाड़ी मोटर मार्ग का विस्तार सेतु सहित निर्माण
हेतु वन भूमि का लो०नि०वि० को हस्तान्तरण।

वन्य जीव /वनस्पतियों को क्षति न पहुँचाये जाने का प्रमाण-पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि प्रस्तावित परियोजना निर्माण कार्य/ रख-रखाव के
दौरान वन्यजीव /स्थानीय वनस्पतियों को कोई नुकसान नहीं पहुँचाया जायेगा।


कनिष्ठ अभियन्ता,
निर्माण खण्ड, लो.नि.वि.,
ऊखीमठ (रुद्रप्रयाग)


सहायक अभियन्ता,
निर्माण खण्ड, लो.नि.वि.,
ऊखीमठ (रुद्रप्रयाग)


अधिशाली अभियन्ता,
निर्माण खण्ड, लो.नि.वि.,
ऊखीमठ (रुद्रप्रयाग)

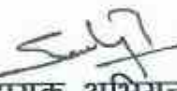
प्रपत्र-39

परियोजना का नाम:— जनपद रुद्रप्रयाग में राज्य योजना के अन्तर्गत नागजगई-
फेगू-बरम्वाड़ी मोटर मार्ग का विस्तार सेतु सहित निर्माण
हेतु वन भूमि का लो०नि०वि० को हस्तान्तरण।

**परियोजना में कार्यरत श्रमिकों को मिट्टी का तेल/रसोई गैस
उपलब्ध कराये जाने का प्रमाण-पत्र**

प्रमाणित किया जाता है कि जनपद रुद्रप्रयाग में राज्य योजना के
अन्तर्गत नागजगई-फेगू-बरम्वाड़ी मोटर मार्ग का विस्तार सेतु सहित निर्माण हेतु वन भूमि का
लो०नि०वि० को हस्तान्तरण के दौरान वन सम्पदा का प्रयोग भोजन पकाने में नहीं किया जायेगा
तथा रसोई गैस/कैरोसिन तैल का इस्तेमाल भोजन पकाने में किया जायेगा। जिसकी आपूर्ति
प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा की जायेगी।


कनिष्ठ अभियन्ता,
निर्माण खण्ड, लो०नि०वि०,
ऊखीमठ (रुद्रप्रयाग)


सहायक अभियन्ता,
निर्माण खण्ड, लो०नि०वि०,
ऊखीमठ (रुद्रप्रयाग)


अधिसासी अभियन्ता,
निर्माण खण्ड, लो०नि०वि०,
ऊखीमठ (रुद्रप्रयाग)

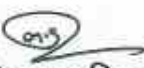
प्रपत्र-40

परियोजना का नाम:- जनपद रुद्रप्रयाग में राज्य योजना के अन्तर्गत नागजगई-फेगू-बरम्वाड़ी मोटर मार्ग का विस्तार सेतु सहित निर्माण हेतु वन भूमि का लो०नि०वि० को हस्तान्तरण।

लाभान्वित होने वाले ग्रामों/परिवारों/की जनसंख्या के सम्बन्ध में
प्रमाण-पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि प्रश्नगत परियोजना के निर्माण से निम्न प्रकार स्थानीय ग्रामों /परिवारों / जनसंख्या को लाभ प्राप्त होगा।

क्र.स.	ग्राम का नाम	परिवारों की संख्या	लाभान्वित होने वाली जनसंख्या
1	बरम्वाड़ी	105	431
2	टेमरिया	20	81


कनिष्ठ अभियन्ता,
निर्माण खण्ड, लो.नि.वि.,
ऊखीमठ (रुद्रप्रयाग)


सहायक अभियन्ता,
निर्माण खण्ड, लो.नि.वि.,
ऊखीमठ (रुद्रप्रयाग)


अधिसारी अभियन्ता,
निर्माण खण्ड, लो.नि.वि.,
ऊखीमठ (रुद्रप्रयाग)

प्रपत्र-41

परियोजना का नाम:- जनपद रुद्रप्रयाग में राज्य योजना के अन्तर्गत नागजगई-
फेगू-बरम्वाड़ी मोटर मार्ग का विस्तार सेतु सहित निर्माण
हेतु वन भूमि का लो०नि०वि० को हस्तान्तरण।

वन भूमि के मूल्य का प्रमाण-पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि प्रश्नगत प्रयोजन हेतु 1451 है० वन भूमि का वर्तमान
बाजार दर से मूल्य रु. 7.00 लाख प्रति है० है तथा राज्य भूमि का कुल मूल्य
10.15 लाख होता है।


A. S. Bartwal
R.S.I.
Sarcile.....
Tha.....
धटवारी, रुद्रप्रयाग


तहसीलदार
रुद्रप्रयाग
जनपद रुद्रप्रयाग


उप जिलाधिकारी,
रुद्रप्रयाग
जनपद रुद्रप्रयाग


जिलाधिकारी,
रुद्रप्रयाग।

भारतशक्ति वृक्षारोपण हेतु सजरा प्लान

ग्राम-फेरू पटवारीक्षेत्र-भेरी

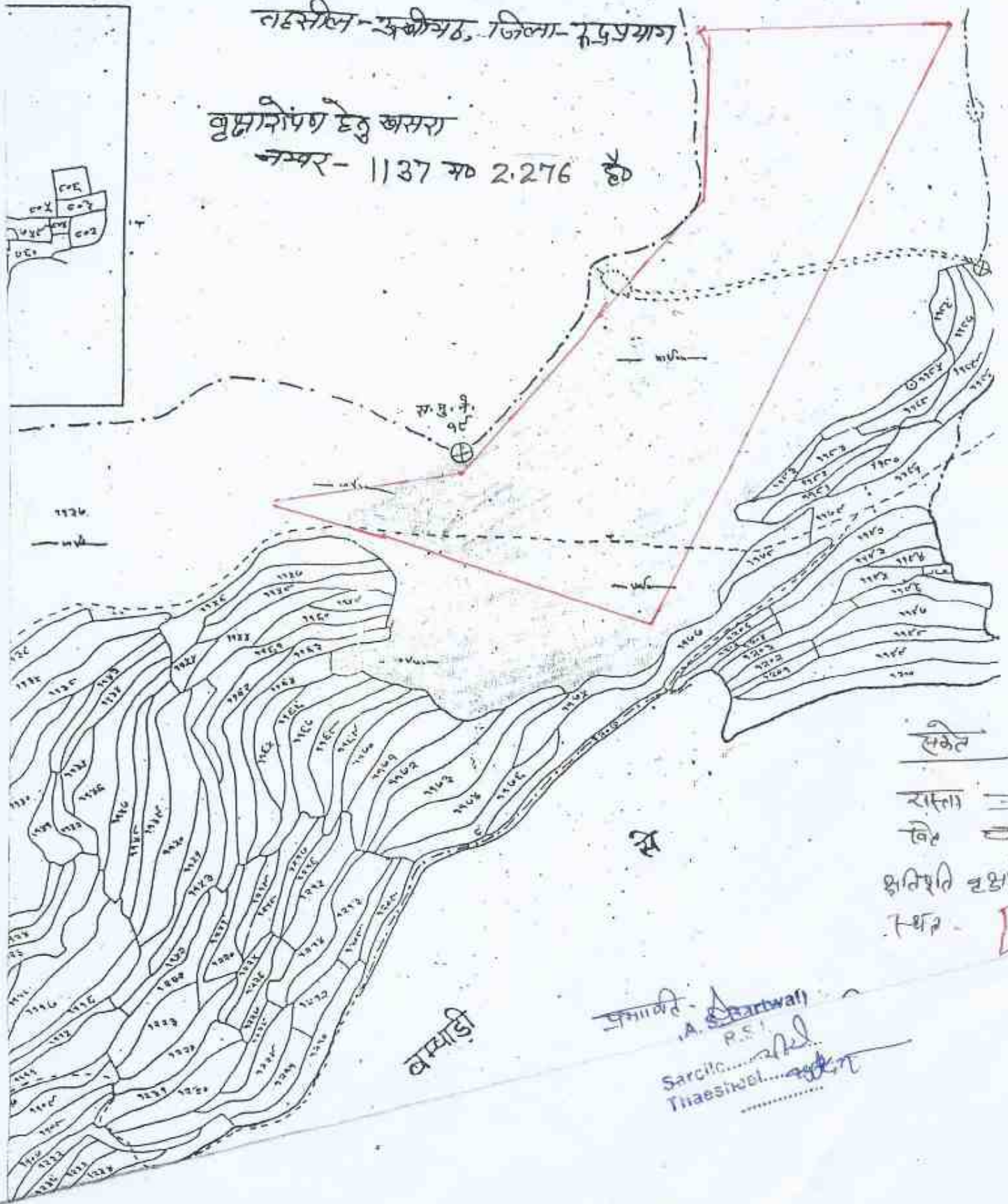
मि. शीट नं. १

तहसील-अकोयठ, जिला-रूपप्रयाग

वृक्षारोपण हेतु असरा

नम्बर- 1137 म 2.276 हे

लिन के लिए



सकल

रास्ता

विह

भारतशक्ति वृक्षारोपण

स्थल

वम्याड़ी

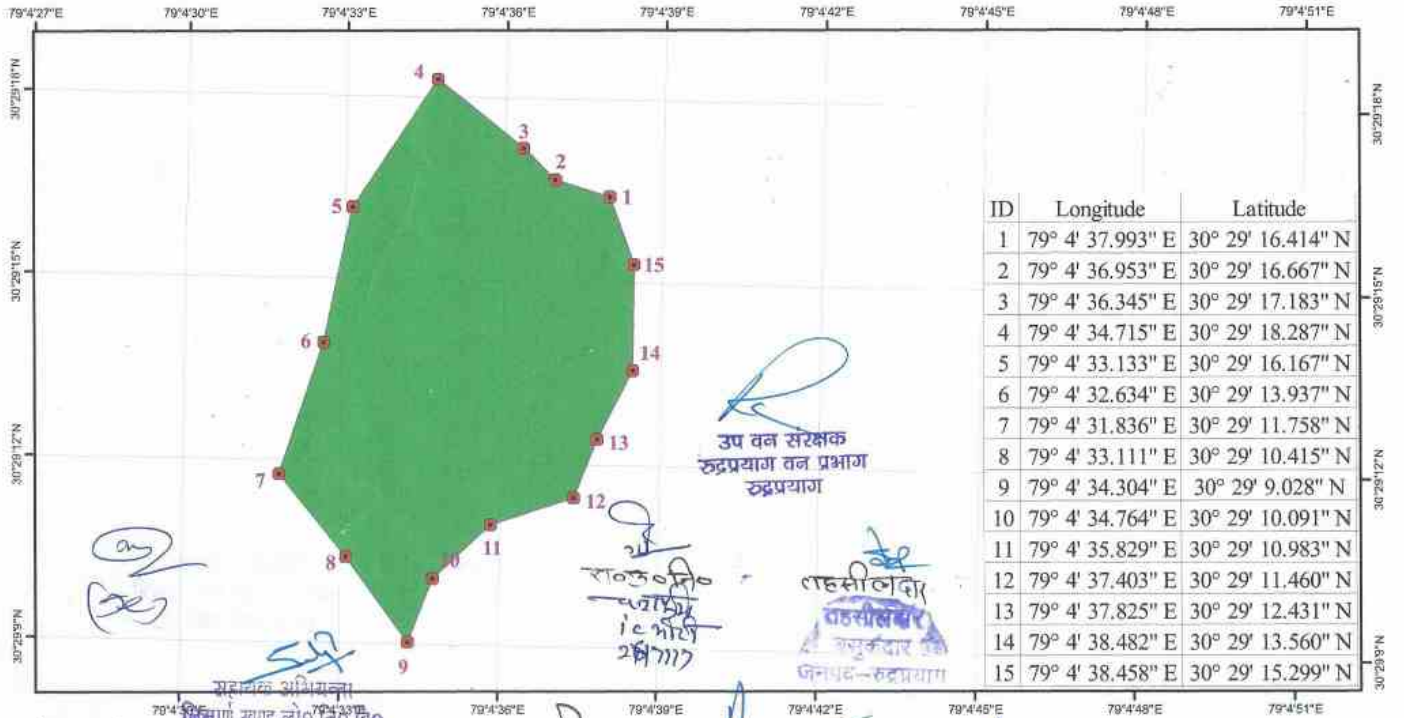
प्रभाकरि
A. S. Chawla
P.S.
Sarcil
Thaeshel

नकल खसरा प.क. 3 ग्राम- फेड़ पटवारी क्षेत्र- जोरी तहसील- ऊखीमठ
जनपद- न.प्र.प्रभाग फसली सन्- 1410 से फसली सन् 1414 तक

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
1137	21.304	5	3 ⁰ 8 ⁰ 6 ⁰ 4 ⁰ का (1314)														का (1314)	21.304		
नोट:- फेड़ पटवारी न.प्र.प्रभाग 1137 रकबा 21.304 हे.प्र. 2.276 हे.प्र. 5⁰ 8⁰ 6⁰ 4⁰ का (1314) से फसली सन् 1410 से फसली सन् 1414 तक राजस्व उपनिरीक्षक पटवारी 27/12/18																				

जियोरेफरेन्स मैप - जनपद रुद्रप्रयाग में राज्य योजना के अन्तर्गत नागजगई - फेगू - बरम्वाड़ी मोटर मार्ग का विस्तार सेतु सहित निर्माण हेतु चयनित क्षतिपूरक वृक्षारोपण स्थल

0 0.025 0.05 0.1 Km
Scale - 1:2,500



ID	Longitude	Latitude
1	79° 4' 37.993" E	30° 29' 16.414" N
2	79° 4' 36.953" E	30° 29' 16.667" N
3	79° 4' 36.345" E	30° 29' 17.183" N
4	79° 4' 34.715" E	30° 29' 18.287" N
5	79° 4' 33.133" E	30° 29' 16.167" N
6	79° 4' 32.634" E	30° 29' 13.937" N
7	79° 4' 31.836" E	30° 29' 11.758" N
8	79° 4' 33.111" E	30° 29' 10.415" N
9	79° 4' 34.304" E	30° 29' 9.028" N
10	79° 4' 34.764" E	30° 29' 10.091" N
11	79° 4' 35.829" E	30° 29' 10.983" N
12	79° 4' 37.403" E	30° 29' 11.460" N
13	79° 4' 37.825" E	30° 29' 12.431" N
14	79° 4' 38.482" E	30° 29' 13.560" N
15	79° 4' 38.458" E	30° 29' 15.299" N

Legend

- GPS CA
- CA Land

निर्माण खण्ड लो० नि० वि०
ऊखीमठ (रुद्रप्रयाग)
आयोजना अधिकारी
निर्माण खण्ड, लो० नि० विभाग
ऊखीमठ (रुद्रप्रयाग)
उप निरीक्षक
तहसीलदार
जनपद-रुद्रप्रयाग
तहसीलदार
तहसीलदार
जनपद-रुद्रप्रयाग

79°3'0"E 79°4'0"E 79°5'0"E 79°6'0"E 79°7'0"E



- सहायक अभियन्ता
नार्थ सुण्ड लो० वि० वि०
कलकत्ता (सहायक)

26/7/17

ताहसीलदार

उपनिषद्वाचक
गुरुदेव

निर्माण खण्ड, लाठानठावभाय

ऊखीमठ (रुद्रप्रसाग)

विश्वविद्यालयी
प्रणाली

परियोजना का नाम :- जनपद-रुद्रप्रयाग में राज्य योजना के अन्तर्गत नागजगई-फेगू-बरम्वाड़ी मोटर मार्ग का विस्तार सेतु सहित (1.451 है०) निर्माण हेतु लोक निर्माण विभाग को वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव।

क्षतिपूरक वृक्षारोपण स्थल - फेगू सिविल

क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु दस वर्षीय (एस० एस० पी०)

क्षतिपूरक वनीकरण का प्रस्तावित क्षेत्रफल 1.451 X 2 = 2.902 ha.		2.902	है०	वर्ष 2017-18
क्र. सं.	रोपित प्रजातियां	संख्या		
1	बांज	1304		
2	भीमल	1500		
3	अखरोट	1000		
4	कचनार	2000		
योग		5804		
रोपित कुल पौध		5804		

प्रथम चरण

क्र०	कार्य का विवरण	इकाई		इकाई दर प्रति रु०	व्यय
1	2	3		4	5
1	सर्वे व सीमांकन	2.9020	है०	115.00	333.73
2	क्षेत्र की सफाई कार्य (झाड़ी कटान आदि कार्य)	2.9020	है०	3730.00	10824.46
3	अग्रिम दीवालबन्दी कार्य (फेन्सिंग) कार्य	2.9020	है०	38637.00	112124.57
4	गड़ढो का खुदान (0.30x0x30x0.45cum) रेखांकन सहित	5804	प्र०ग०	7.95	46141.80
5	निरीक्षण बटिया का निर्माण करना (प्रति है० 100x0मी० लम्बी व 0.60मी० चौड़ी)	174.120	वर्ग मी०	18.00	3134.16
6	पौधों की कीमत प्रथम वर्ष उगाने का	5804	प्र० सं०	6.20	35984.80
7	अन्य व्यय जैसे यंत्र सयंत्र औजार तैज करना	2.9020	है०	915.00	2655.33
8	अन्य कार्य (जल संग्रहण एवं भूमि संरक्षण कार्य हेतु धनराशि का प्राविधान)	2.9020	है०	9150.00	26553.30
प्रथम चरण का योग					237752.15

द्वितीय चरण

1	गड़ढा भरण कार्य (0.30x0.30x0.45)Cum	5804	सं०	1.42	8241.68
2	पौधों की कीमत (द्वितीय वर्ष)	5804	सं०	1.80	10447.20
3	पौध दुलान कार्य	5804	सं०	9.00	52236.00
4	पौध रोपण कार्य व शावला बन्दी कार्य	5804	सं०	2.77	16077.08
5	निराई गुड़ाई करना प्रथम बार	5804	सं०	1.89	10969.56
6	निराई गुड़ाई करना मय मलचिंग कार्य द्वितीय बार	5804	सं०	1.63	9460.52
7	खाद व दवा पर व्यय	2.9020	है०	1200.00	3482.40
8	प्रथम वर्ष में वृक्षारोपण की देख रेख व रखरखाव पर व्यय (वाचर 1)	2.9020	प्र०है० / माह	685 प्रतिमाह / प्रति है०	23854.44
9	8.1 वृक्षारोपण क्षेत्रों के अन्तर्गत सूखीघास फूस एवं ज्वलनशील पदार्थों को हटाना प्रति है झाड़ी कटान (लेन्टना गाजर घास/काला बांसा)	2.9020	है०	1887.00/ हे०	5476.07
	8.2 वृक्षारोपण से लाभान्वित होने वाले ग्रामिणों को अग्नि सुरक्षा जागरूकता हेतु प्रशिक्षण तथा अग्नि सुरक्षा में उल्लेखनीय कार्य हेतु व्यक्तियों / समितियों को प्रोत्साहन देना	2.902		L.S	1506.14

कुल योग द्वितीय चरण					141751.09
तृतीय चरण					
1	वनीकरण चौकदार 12 माह	2.9020	₹0	685.00	23854.44
2	2.1 वृक्षारोपण क्षेत्रों के अर्न्तगत सूखीघास पूँस एवं ज्वलनशील पदार्थों को हटाना प्रति है झाड़ी कटान (लैन्टना गाजर घास/कालाबांसा)	2.9020	₹0	1887.00	5476.07
	2.3 वृक्षारोपण से लाभान्वित होने वाले ग्रामिणों को अग्नि सुरक्षा जागरूकता हेतु प्रशिक्षण तथा अग्नि सुरक्षा में उल्लेखनीय कार्य हेतु व्यक्तियों / समितियों को प्रोत्साहन देना	2.902		L.S	5223.60
	ब- प्रोत्साहन	2.902		L.S	2902.00
	पौधों की लागत कुल रोपण का 10 प्रतिशत	580	₹0 / पौध	8.00	4643.20
3	पुनः गडढा खोदना एवं रोपण करना	580	₹0 / पौध	4.40	2553.76
	पौधों का दुलान कार्य करना	580	₹0 / पौध	9.00	5223.60
	गडढों में गोबर खाद डालना मय दुलान सहित	580	₹0 / पौध	1.95	1131.78
	शीतकाल में मलचिग सहित कार्य	580	₹0 / पौध	1.63	946.05
तृतीय चरण का योग					51954.51
चतुर्थ चरण					
1	रोपण वर्ष के बाद द्वितीय वर्ष का रखरखाव व अनुरक्षण कार्य 12 माह	2.9020	₹0	685.00	23854.44
2	अन्य कार्य (अग्नि संबन्धी सुरक्षा कार्य)	2.9020	₹0	450.00	1305.90
चतुर्थ चरण का योग :-					25160.34
पंचम चरण					
1	रोपण वर्ष के बाद तृतीय वर्ष का रखरखाव व अनुरक्षण कार्य 12 माह	2.9020	₹0	685.00	23854.44
2	अन्य कार्य (अग्नि संबन्धी सुरक्षा कार्य)	2.9020	₹0	450.00	1305.90
पंचम चरण का योग :-					25160.34
छठवां चरण					
1	रोपण वर्ष के बाद तृतीय वर्ष का रखरखाव व अनुरक्षण कार्य 12 माह	2.9020	₹0	685.00	23854.44
2	अन्य कार्य (अग्नि संबन्धी सुरक्षा कार्य)	2.9020	₹0	450.00	1305.90
छठवें चरण का योग :-					25160.34
सातवां चरण					
1	रोपण वर्ष के बाद तृतीय वर्ष का रखरखाव व अनुरक्षण कार्य 12 माह	2.9020	₹0	685.00	23854.44
2	अन्य कार्य (अग्नि संबन्धी सुरक्षा कार्य)	2.9020	₹0	450.00	1305.90
सातवें चरण का योग :-					25160.34
आठवां चरण					
1	रोपण वर्ष के बाद तृतीय वर्ष का रखरखाव व अनुरक्षण कार्य 12 माह	2.9020	₹0	685.00	23854.44
2	अन्य कार्य (अग्नि संबन्धी सुरक्षा कार्य)	2.9020	₹0	450.00	1305.90
आठवें चरण का योग :-					25160.34
नवम चरण					
1	रोपण वर्ष के बाद तृतीय वर्ष का रखरखाव व अनुरक्षण कार्य 12 माह	2.9020	₹0	685.00	23854.44
2	अन्य कार्य (अग्नि संबन्धी सुरक्षा कार्य)	2.9020	₹0	450.00	1305.90
नवें चरण का योग :-					25160.34
दशम चरण					
1	रोपण वर्ष के बाद तृतीय वर्ष का रखरखाव व अनुरक्षण कार्य 12 माह	2.9020	₹0	685.00	23854.44
2	अन्य कार्य (अग्नि संबन्धी सुरक्षा कार्य)	2.9020	₹0	450.00	1305.90
दशवें चरण का योग :-					25160.34
5-कुल व्यय सांरास प्रति है0 व कुल व्यय					
क्र0	वर्ष का नाम	प्रति है0 व्यय			
1	प्रथम वर्ष	237752.15			
2	द्वितीय वर्ष	141751.09			

3	तृतीय वर्ष	51954.51
4	चतुर्थ वर्ष	25160.34
5	पंचम वर्ष	25160.34
6	छठवें वर्ष	25160.34
7	सातवां वर्ष	25160.34
8	आठवां वर्ष	25160.34
9	नवम् वर्ष	25160.34
10	दशम वर्ष	25160.34
कुल व्यय रुपये		607580.13
प्रमुख वन संरक्षक, उत्तराखण्ड, देहरादून के पत्रांक-596/3-5-2 दिनांक 19.08.2015 के अनुसार वसूली वर्ष 2017-18 हेतु देय दर/ 253332.00 रु०/है०		2.902 Ha. 735169.46

उप वन संरक्षक
रुद्रप्रयाग वन प्रभाग
रुद्रप्रयाग

एम.ओ.यू. / अन्डरटेकिंग

परियोजना का नाम:- जनपद रुद्रप्रयाग में राज्य योजना के अन्तर्गत नागजगई-फेगू-बरम्वाड़ी मोटर मार्ग का विस्तार सेतु सहित निर्माण हेतु वन भूमि का लो०नि०वि० को हस्तान्तरण।

प्रमाणित किया जाता है कि जनपद रुद्रप्रयाग में राज्य योजना के अन्तर्गत नागजगई-फेगू-बरम्वाड़ी मोटर मार्ग का विस्तार सेतु सहित निर्माण हेतु प्रत्यावर्तित होने वाली 1.451 है, वन भूमि के दुगने अवतन अर्थात् 2.902 है, सिविल सोयम भूमि जिसका विस्तार निम्नलिखित तालिका में वर्णित है, में वन विभाग द्वारा क्षतिपूरक वृक्षारोपण किये जाने पर राजस्व विभाग को कोई आपत्ति नहीं है।

क्र.सं.	खसरा नं.	कुल रकबा (हे.)	अर्जित रकबा (हे.)	खता खतोनी	भूनिर्वाह का नाम	भूमि किरम
1	2	3	4	5	6	7
1	1137	21.304	2.902	5	उ०प्र० सरकार	चारागाह
योग:-	-	21.304	2.902	-	-	-


कनिष्ठ अभियन्ता
निर्माण खण्ड, लो.नि.वि.
ऊखीमठ, (रुद्रप्रयाग)


सहायक अभियन्ता
निर्माण खण्ड, लो.नि.वि.
ऊखीमठ, (रुद्रप्रयाग)


अधिशासी अभियन्ता
निर्माण खण्ड, लो.नि.वि.
ऊखीमठ, (रुद्रप्रयाग)


राजस्व उपनिरीक्षक


तहसीलदार
ऊखीमठ, (रुद्रप्रयाग)


उपजिलाधिकारी
ऊखीमठ, (रुद्रप्रयाग)

प्रस्तावित मोटर मार्ग के रिक्त पड़े स्थलो पर वृक्षारोपण का कार्य

परियोजना का नाम :- जनपद-रूद्रप्रयाग में राज्य योजना के अन्तर्गत नागजगई-फेगू-बरम्वाड़ी मोटर मार्ग का विस्तार सेतु सहित (1.451 है०) निर्माण हेतु लोक निर्माण विभाग को वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव।

वृक्षारोपण स्थल का कुल क्षेत्रफल :- 1.625 किमी०

* रोपित किये जाने वाले पौधों की संख्या- (100 पौध / प्रति किमी०) 100X 1.625 = 163 पौध

रूद्रप्रयाग वन प्रभाग रेंज - गुप्तकाशी यूनिट

प्रथम चरण

क्र०सं०	कार्य का नाम	इकाई	इकाई दर (रु०)	योग-
1	सर्वे एवं सीमांकन	1.4510 है०	115.000	166.865
2	क्षेत्र की सफाई (झाड़ी कटान आदि)	1.4510 है०	3730.000	5412.230
3	ट्री गार्ड क्रय करना	163 संख्या	1500.000	244500.000
4	गड्डा खुदान (0.30x0.30x0.45)	163 गड्डा	7.950	1295.850
5	पौधों की कीमत प्रथम वर्ष	163 पौध	6.200	1010.600
6	अन्य व्यय जैसे यंत्र, संयन्त्र, औजार तेज कराना,	1.4510 है०	915.000	1327.665
	योग - प्रथम चरण			253713.210

द्वितीय चरण

1	गड्डा भरान कार्य (0.30x0.30x0.45) (प्रति 100)	163 पौध	1.42	231.46
2	पौधों की कीमत (द्वितीय वर्ष)	163 पौध	1.80	293.40
3	ट्री गार्ड डुलान करना	163 L.S.	200.000	32600.000
4	ट्री गार्ड गाढ़ना एवं फिक्स करना	163 L.S.	155.000	25265.000
5	50 बैग पौध का डुलान वाहन से 25 कि०मी०	163 पौध	9.00	366.75
6	पौधारोपण व थालाबन्दी	163 पौध	2.77	451.51
7	निराई गुड़ाई व मल्लिंग (दो बार)	163 पौध	1.63	265.69
8	खाद व दवा पर व्यय	1.4510 है०	1200.00	1741.20
9	प्रथम वर्ष में देख-रेख व रखरखाव पर व्यय (कम से कम 9 माह)	1.4510 है०	685 प्रतिमाह / प्रति है०	11927.22
10	अन्य व्यय साइन बोर्ड, पौध डुलान हेतु टोकरी, सुतली, गोरी आदि क्रय वृक्षारोपण के समय वर्षा से बचने हेतु पालीथीन सीट क्रय वर्ष में दो तीन बार	1.4510 है०	2500.00	3627.50
	योग- द्वितीय चरण			76769.73
	योग- प्रथम चरण+द्वितीय चरण			330482.94

तृतीय चरण

1	रोपण वर्ष के उपरान्त प्रथम वर्ष रखरखाव व अनुरक्षण कार्य 12 माह	1.4510 है०	685 प्रतिमाह / प्रति है०	11927.22
2	अन्य कार्य	1.4510 है०	450.00	652.95
	योग- तृतीय चरण			12580.17

चतुर्थ चरण

1	रोपण वर्ष के उपरान्त द्वितीय वर्ष रखरखाव व अनुरक्षण कार्य 12 माह	1.4510 है०	685 प्रतिमाह / प्रति है०	11927.22
2	अन्य कार्य	1.4510 है०	450.00	652.95
	योग- चतुर्थ चरण			12580.17

पंचम चरण					
1	रोपण वर्ष के उपरान्त द्वितीय वर्ष रख रखाव व अनुरक्षण कार्य 12 माह	1.4510	है०	685 प्रतिमाह / प्रति है०	11927.22
2	अन्य कार्य (अग्नि सम्बन्धी सुरक्षा कार्य)	1.4510	है०	450.00	652.95
योग- पंचम चरण					11927.22
छठवां चरण					
1	रोपण वर्ष के बाद तृतीय वर्ष का रखरखाव व अनुरक्षण कार्य 12 माह	1.4510	है०	685 प्रतिमाह / प्रति है०	11927.22
2	अन्य कार्य (अग्नि सम्बन्धी सुरक्षा कार्य)	1.4510	है०	450.00	652.95
छठवां चरण का योग :-					12580.17
सातवां चरण					
1	रोपण वर्ष के बाद तृतीय वर्ष का रखरखाव व अनुरक्षण कार्य 12 माह	1.4510	है०	685 प्रतिमाह / प्रति है०	11927.22
2	अन्य कार्य (अग्नि सम्बन्धी सुरक्षा कार्य)	1.4510	है०	450.00	652.95
सातवां चरण का योग :-					12580.17
आठवां चरण					
1	रोपण वर्ष के बाद तृतीय वर्ष का रखरखाव व अनुरक्षण कार्य 12 माह	1.4510	है०	685 प्रतिमाह / प्रति है०	11927.22
2	अन्य कार्य (अग्नि सम्बन्धी सुरक्षा कार्य)	1.4510	है०	450.00	652.95
आठवां चरण का योग :-					12580.17
नवां चरण					
1	रोपण वर्ष के बाद तृतीय वर्ष का रखरखाव व अनुरक्षण कार्य 12 माह	1.4510	है०	685 प्रतिमाह / प्रति है०	11927.22
2	अन्य कार्य (अग्नि सम्बन्धी सुरक्षा कार्य)	1.4510	है०	450.00	652.95
नवें चरण का योग :-					12580.17
दसवां चरण					
1	रोपण वर्ष के बाद तृतीय वर्ष का रखरखाव व अनुरक्षण कार्य 12 माह	1.4510	है०	685 प्रतिमाह / प्रति है०	11927.22
2	अन्य कार्य (अग्नि सम्बन्धी सुरक्षा कार्य)	1.4510	है०	450.00	652.95
दसवें चरण का योग :-					12580.17
कुल धनराशि		प्रथम चरण			253713.21
		द्वितीय चरण			76769.73
		तृतीय चरण			12580.17
		चतुर्थ चरण			12580.17
		पंचम चरण			11927.22
		षष्ठम चरण			12580.17
		सप्तम चरण			12580.17
		अष्टम चरण			12580.17
		नवम चरण			12580.17
		दशम चरण			12580.17
		कुल योग			430471.35
प्रमुख वन संरक्षक, उत्तराखण्ड, देहरादून के पत्रांक-596/3-5-2 दिनांक 19.08.2015 के अनुसार वसूली वर्ष 2017-18 हेतु देय दर / 379843.00 रु०/किमी०		1.625	K.M.	617244.88	

उप वन संरक्षक
रुद्रप्रयाग वन प्रभाग
रुद्रप्रयाग

प्रपत्र-43

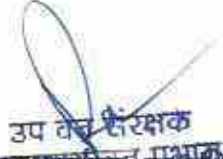
परियोजना का नाम:- जनपद रुद्रप्रयाग में राज्य योजना के अन्तर्गत नागजगई-
फेगू-बरम्वाड़ी मोटर मार्ग का विस्तार सेतु सहित निर्माण
हेतु वन भूमि का लो०नि०वि० को हस्तान्तरण।

क्षतिपूरक वृक्षारोपण स्थल उपयुक्तता प्रमाण-पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु चिन्हित सिबिल फेगू स्थल
वृक्षारोपण हेतु सर्वदा उपयुक्त है।


यूनिट अधिकारी/अधीक्षक,
यूनिट गुप्तकाशी


उपप्रमुख/अधीक्षक
जखाली उप वन प्रभाग
रुद्रप्रयाग


उप वन संरक्षक
रुद्रप्रयाग वन प्रभाग
रुद्रप्रयाग
रुद्रप्रयाग वन प्रभाग,
रुद्रप्रयाग।

दुग्ने अवनत वन भूमि पर क्षतिपूरक वृक्षारोपण की धनराशि जमा कराये जाने का प्रमाण-पत्र

परियोजना का नाम:- जनपद रुद्रप्रयाग में राज्य योजना के अन्तर्गत नागजगई-फेगू-बरम्वाड़ी मोटर मार्ग का विस्तार सेतु सहित निर्माण हेतु वन भूमि का लो०नि०वि० को हस्तान्तरण।

प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त प्रयोजन हेतु 1.138 है० राज्य भूमि के प्रत्यावर्तन के एवज में दुग्ने अवनत वन क्षेत्र अर्थात् 2.276 है० में देय क्षतिपूरक वृक्षारोपण की धनराशि वन विभाग को उनकी माँग के अनुसार उपलब्ध करा दी जायेगी।


कनिष्ठ अभियन्ता,
निर्माण खण्ड, लो० नि० वि०,
ऊखीमठ (रुद्रप्रयाग)


सहायक अभियन्ता,
निर्माण खण्ड, लो० नि० वि०,
ऊखीमठ (रुद्रप्रयाग)


अधिसर्वाधी अभियन्ता,
निर्माण खण्ड, लो० नि० वि०,
ऊखीमठ (रुद्रप्रयाग)

मार्ग के दोनों ओर रिक्त पड़े स्थानों पर उचित वृक्षारोपण की धनराशि
वहन किये जाने का प्रमाण-पत्र

परियोजना का नाम:- जनपद रुद्रप्रयाग में राज्य योजना के अन्तर्गत नागजगई-
 फेगू-बरम्वाड़ी मोटर मार्ग का विस्तार सेतु सहित निर्माण
 हेतु वन भूमि का लो०नि०वि० को हस्तान्तरण।

प्रमाणित किया जाता है कि मार्ग के दोनों ओर रिक्त पड़े स्थानों पर उचित
 वृक्षारोपण की धनराशि वन विभाग को उनकी माँग के अनुसार उपलब्ध करा दी जायेगी।


 कनिष्ठ अभियन्ता,
 निर्माण खण्ड, लो.नि.वि.,
 ऊखीमठ (रुद्रप्रयाग)


 सहायक अभियन्ता,
 निर्माण खण्ड, लो.नि.वि.,
 ऊखीमठ (रुद्रप्रयाग)


 अधिशासी अभियन्ता,
 निर्माण खण्ड, लो.नि.वि.,
 ऊखीमठ (रुद्रप्रयाग)

MUCK DISPOSAL PLAN

Name of Work: Extension of Nagjagai Fegu Barmwari Motor Road with Bridge Under State sector in District Rudraprayag.

Muck Received From Hill Side Cutting

Road length		Average Cutting Width	Average Cutting Height
Forest land	1625 m	4 m	4 m
Nap land	2775 m	2 m	1.5 m

Material Received from hill side Cutting

For Forest Land	$\frac{1}{2} \times 1625 \times 4 \times 4$	=	13000.00 Cum	
For Nap land	$1 \times 2775 \times 2 \times 1.5$	=	8325.00 Cum	
Total		=	21325.00 Cum	----- A
Assuming 40% swelling of muck so muck received (A+40%A)		=	29855.00 Cum	----- B

Material Utilized in the Project

Assume 40% boulders and 60% soil in the Muck

Quantity of Boulders received from muck (40% of B)		11942 Cum	----- C
Boulders used as :-	(a) RR Stone Masonary (60% of C)	7165.2 Cum	
	(b) HP Stone Filling (20% of C)	2388.4 Cum	
	(c) Wirecrates and parapits (10% of C)	1194.2 Cum	
	(d) Granular sub base/ base (10% of C)	1194.2 Cum	
Total Boulders utilized		11942 Cum	

Soil used in filling for Half cutting-Half filling method (assume 40% of 'B-C') 7165.2 Cum ----- D

Muck left for disposal (B-C-D) 10747.80 Cum

Disposal of Muck/loose soil in Dumping Zones

Sl. No.	Location	Size of Dumping yard			Type of Land/ Name of owner	Area (Ha.)	Capacity (Cum)	Latitude/ Longitude
		L(m)	B(m)	H(m)				
1	Ch. 0/0	20	10	2	Civil Land	0.020	400	79°04'47.05" E 30°29'06.68" N
2	Ch. 0/29	20	10	3	Civil Land	0.020	600	79°04'49.80" E 30°29'10.98" N
3	Ch. 2/14	30	20	4	Civil Land	0.060	2400	79°04'47.22" E 30°28'48.18" N
4	Ch. 4/02	40	25	3.5	Civil Land	0.100	3500	79°04'51.18" E 30°29'25.44" N
5	Ch. 4/04	45	25	3.5	Civil Land	0.113	3937.5	79°04'52.14" E 30°23'28.26" N

0.313 Ha

Total Capacity of Dumping Zones	-	10837.5 Cum
Total Muck need to be disposed	-	10747.8 Cum
Balance Debris	-	NIL

कनिष्ठ अभियन्ता
लो० नि० वि०
रुखीमठ

सहायक अभियन्ता
लो० नि० वि०
रुखीमठ

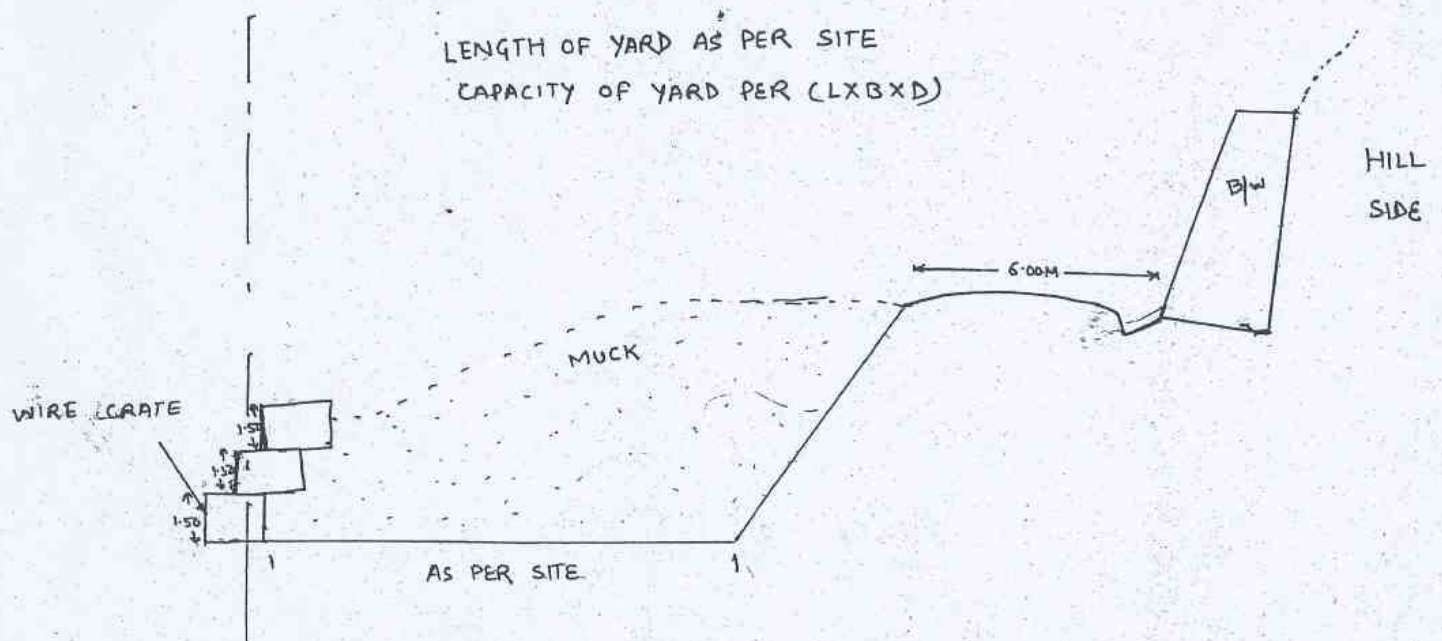
अभिशासी अभियन्ता
लो० नि० वि०
रुखीमठ

रुखीमठ

उपप्रभागीय सहायक अभियन्ता
रुखीमठ

उप-प्रभागीय सहायक अभियन्ता
रुद्रप्रयाग

कार्य का नाम - जनपद रुद्रप्रयाग में राज्य योजना के अन्तर्गत नागमण्ड-फेगू-बदामी मोटर मार्ग का विस्तार
 सेतु स्थित निर्माण हेतु वन भूमि का लो० नि० वि० की हस्तान्तरण।



TYPICAL SECTION OF MUCK DISPOSAL YARD

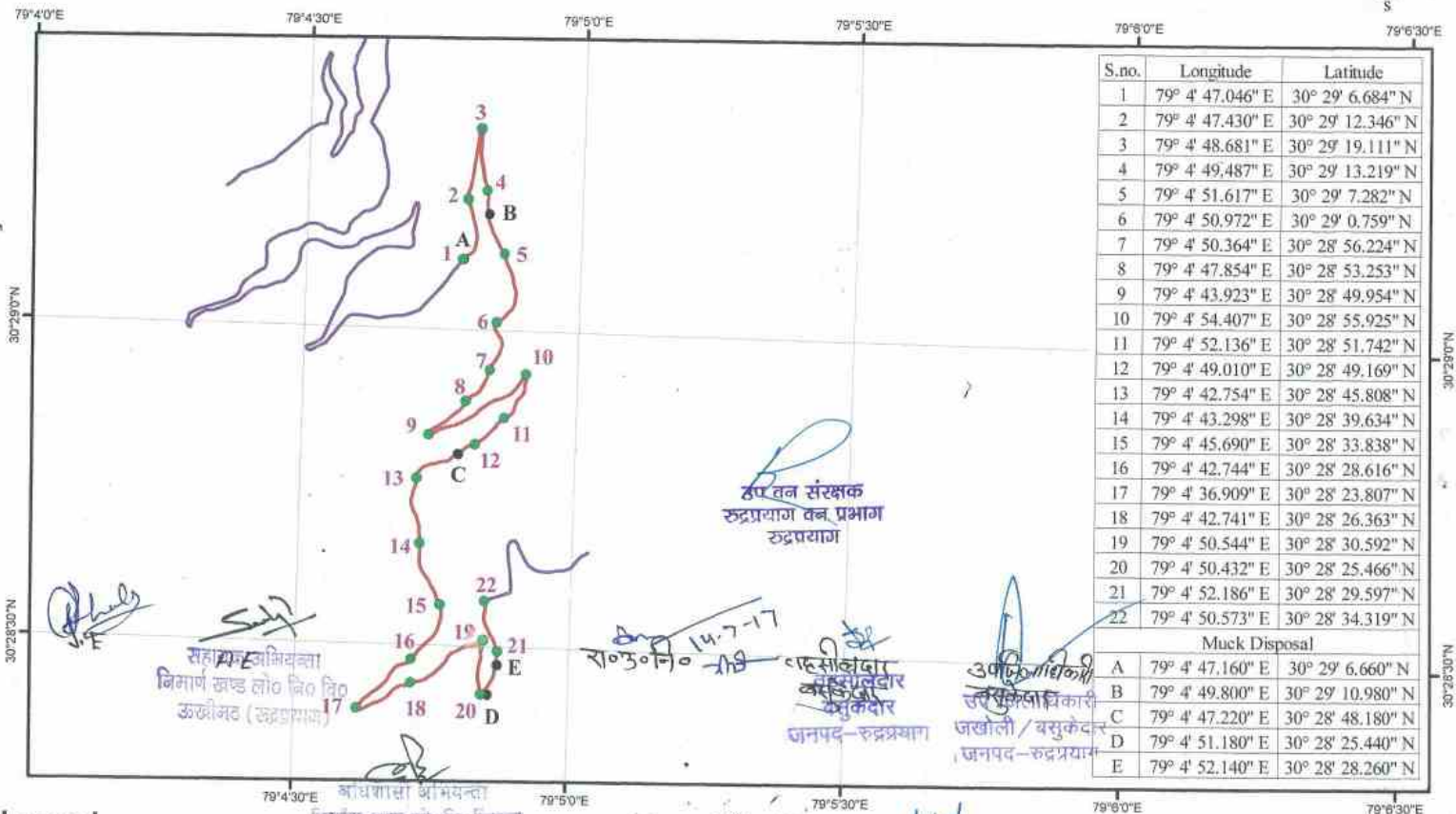
J.E

सहस्रक अभियन्ता
 निर्माण खण्ड लो० नि० वि०
 ऊखीमठ (रुद्रप्रयाग)

अधिसारी अभियन्ता
 निर्माण खण्ड, लो० नि० वि०
 ऊखीमठ (रुद्रप्रयाग)

जियोरेफरेन्स मैप - जनपद रुद्रप्रयाग में राज्य योजना के अन्तर्गत नागजगई
- फेगू - बरम्वाड़ी मोटर मार्ग का विस्तार सेतु सहित निर्माण हेतु

0 0.5 1.0 2.0 Km
Scale - 1:15,000

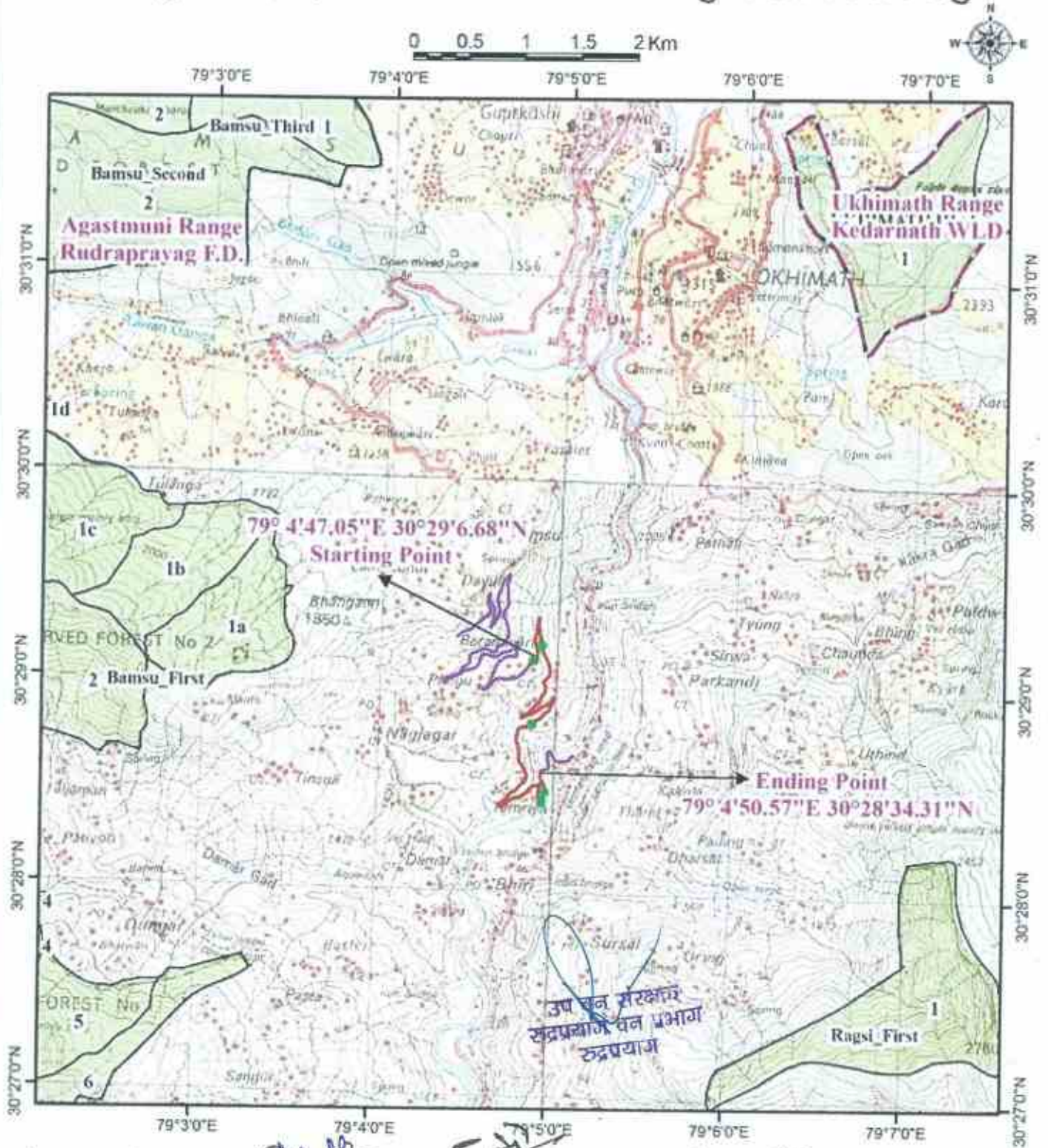


S.no.	Longitude	Latitude
1	79° 4' 47.046" E	30° 29' 6.684" N
2	79° 4' 47.430" E	30° 29' 12.346" N
3	79° 4' 48.681" E	30° 29' 19.111" N
4	79° 4' 49.487" E	30° 29' 13.219" N
5	79° 4' 51.617" E	30° 29' 7.282" N
6	79° 4' 50.972" E	30° 29' 0.759" N
7	79° 4' 50.364" E	30° 28' 56.224" N
8	79° 4' 47.854" E	30° 28' 53.253" N
9	79° 4' 43.923" E	30° 28' 49.954" N
10	79° 4' 54.407" E	30° 28' 55.925" N
11	79° 4' 52.136" E	30° 28' 51.742" N
12	79° 4' 49.010" E	30° 28' 49.169" N
13	79° 4' 42.754" E	30° 28' 45.808" N
14	79° 4' 43.298" E	30° 28' 39.634" N
15	79° 4' 45.690" E	30° 28' 33.838" N
16	79° 4' 42.744" E	30° 28' 28.616" N
17	79° 4' 36.909" E	30° 28' 23.807" N
18	79° 4' 42.741" E	30° 28' 26.363" N
19	79° 4' 50.544" E	30° 28' 30.592" N
20	79° 4' 50.432" E	30° 28' 25.466" N
21	79° 4' 52.186" E	30° 28' 29.597" N
22	79° 4' 50.573" E	30° 28' 34.319" N
Muck Disposal		
A	79° 4' 47.160" E	30° 29' 6.660" N
B	79° 4' 49.800" E	30° 29' 10.980" N
C	79° 4' 47.220" E	30° 28' 48.180" N
D	79° 4' 51.180" E	30° 28' 25.440" N
E	79° 4' 52.140" E	30° 28' 28.260" N

Legend

- Muck Disposal Point
- GPS Coordinates
- Proposed Road

डिजिटल मैप - जनपद रुद्रप्रयाग में राज्य योजना के अन्तर्गत नागजगई - फेगू - बरम्वाड़ी मोटर मार्ग का विस्तार सेतु सहित निर्माण हेतु



Legend

- Muck Disposal
- Proposed_Road
- Existing Road
- ▭ Reserve Forest Boundary
- ▭ Reserve Forest
- ▭ Forest Division Boundary

सहायक अभियन्ता
निर्माण खण्ड १०० मि० वि०
ऊखीमठ (रुद्रप्रयाग)

उपनिर्देशिका
उप निरीक्षिका
जखल/बसुकेदार
जनपद-रुद्रप्रयाग

रा० उ० नि० २४८

अधिकारी अभियन्ता
निर्माण खण्ड १०० मि० वि०
ऊखीमठ (रुद्रप्रयाग)

रा० उ० नि० २४८
जनपद-रुद्रप्रयाग

अधिकारी
जनपद-रुद्रप्रयाग

मक डिस्पोजल योजना के सापेक्ष वृक्षारोपण

परियोजना का नाम :- जनपद-रुद्रप्रयाग में राज्य योजना के अन्तर्गत नागजगई-फेगू-बरम्वाड़ी मोटर मार्ग का विस्तार सेतु सहित (1.451 है०) निर्माण हेतु लोक निर्माण विभाग को वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव।

वृक्षारोपण स्थल का कुल क्षेत्रफल :- 0.313 है०

रोपित किये जाने वाले पौधों की संख्या (कुल क्षेत्रफल X 2000 पौध) 626 पौध

प्रथम चरण

क्र०सं०	कार्य का नाम	इकाई	इकाई दर (रु०)	योग-
1	सर्वे एवं सीमांकन	0.3130 है०	115.000	35.995
2	स्थल सफाई कार्य	0.3130 है०	3730.000	1167.490
3	कुली दीवारबन्दी कार्य / फनिसंग (150 मी प्रति है० = 81 घ०मी० @ 172 /-घ०मी०	0.3130 है०	38637.000	12093.381
4	गड्ढा खुदान (0.30x0.30x0.45) रेखांकन चूना सहित	626 गड्ढा	7.950	4976.700
5	डी०ए०पी० खाद की लागत 25 ग्राम प्रति गड्ढा (25 ग्राम प्रति गड्ढा/1000)	15.7 किग्रा०	1400.000	21910.000
6	पौधों की कीमत प्रथम वर्ष	626 पौध	6.200	3881.200
7	भूमि संरक्षण एवं जल संरक्षण कार्य (10 है०) के आधार पर मानते हुए			
	1. वानस्पतिक / स्टोन चैकडेम 8 X 6725 = 53800.00	0.3130 है०	9150.000	2863.950
	3. वाटर हावेस्टिंग टैंक (3 x 2.50 x 1.0) 5x7540.00 = 37700.00			
	योग- 91500.00			
	योग - प्रथम चरण			46928.716

द्वितीय चरण

1	झाड़ी कटान (लैन्टाना गाजर घास / काला बांस)	0.3130 है०	1887.00	590.63
2	गड्ढा भरान कार्य (0.30x0.30x0.450)	626 गड्ढा	7.95	4976.70
3	पौध दुलान कार्य	626 पौध	9.00	5634.00
4	पौधारोपण व थालाबन्दी	626 पौध	2.77	1734.02
5	पौधों की प्रथम निराई गुड़ाई व मलचिंग कार्य	626 पौध	1.89	1183.14
6	पौधों की द्वितीय निराई गुड़ाई व मलचिंग कार्य	626 पौध	1.63	1020.38
7	पौध की कीमत द्वितीय वर्ष	626 पौध	1.80	1126.80
8	प्रथम वर्ष में देख-रेख व रखरखाव पर व्यय (कम से कम 9 माह)	0.3130 है०	685 प्रतिमाह / प्रति है०	1929.65
9	अन्य कार्य	0.3130 है०	450.00	140.85
	योग- द्वितीय चरण			18336.17
	योग- प्रथम चरण+द्वितीय चरण			65264.88

तृतीय चरण 10 प्रतिशत क्षतिपूर्ति (बीटिंग अप) प्रति है०

1	पौध की लागत	626 पौध	8.00	5008.00
2	पौध दुलान कार्य	626 पौध	9.00	5634.00
3	पुनः गड्ढे खोदना एवं रोपण कार्य	626 पौध	4.40	2754.40
4	गड्ढों में गोबर खाद डालना लागत सहित	626 पौध	1.95	1220.70
5	पौधों की शीतकालीन मलचिंग	626 पौध	1.63	1020.38
6	वनीकरण चौकीदार (12 माह)	0.3130 है०	685 प्रतिमाह/प्रति है०	2572.86
7	अग्नि सम्बन्धी सुरक्षा कार्य	0.3130 है०	450.00	140.85
	योग- तृतीय चरण			18351.19

चतुर्थ चरण (रख रखाव कार्य)

1	वनीकरण चौकीदार का पारिश्रमिक 12 माह	0.3130 है०	685 प्रतिमाह/प्रति है०	2572.86
---	-------------------------------------	------------	------------------------	---------

2	अग्नि सम्बन्धी सुरक्षा कार्य	0.3130	है०	450.00	140.85
	योग- चतुर्थ चरण				2713.71
पंचम चरण (रख रखाव कार्य)					
1	वनीकरण चौकी दार का पारिश्रमिक 12 माह	0.3130	है०	685 प्रतिमाह / प्रति है०	2572.86
2	अग्नि सम्बन्धी सुरक्षा कार्य	0.3130	है०	450.00	140.85
	योग- पंचम चरण				2713.71
छठवां चरण					
1	रोपण वर्ष के बाद तृतीय वर्ष का रखरखाव व अनुरक्षण कार्य 12 माह	0.3130	है०	685 प्रतिमाह / प्रति है०	2572.86
2	अन्य कार्य (अग्नि सम्बन्धी सुरक्षा कार्य)	0.3130	है०	450.00	140.85
	छठवां चरण का योग :-				2713.71
सातवां चरण					
1	रोपण वर्ष के बाद तृतीय वर्ष का रखरखाव व अनुरक्षण कार्य 12 माह	0.3130	है०	685 प्रतिमाह / प्रति है०	2572.86
2	अन्य कार्य (अग्नि सम्बन्धी सुरक्षा कार्य)	0.3130	है०	450.00	140.85
	सातवां चरण का योग :-				2713.71
आठवां चरण					
1	रोपण वर्ष के बाद तृतीय वर्ष का रखरखाव व अनुरक्षण कार्य 12 माह	0.3130	है०	685 प्रतिमाह / प्रति है०	2572.86
2	अन्य कार्य (अग्नि सम्बन्धी सुरक्षा कार्य)	0.3130	है०	450.00	140.85
	आठवां चरण का योग :-				2713.71
नवां चरण					
1	रोपण वर्ष के बाद तृतीय वर्ष का रखरखाव व अनुरक्षण कार्य 12 माह	0.3130	है०	685 प्रतिमाह / प्रति है०	2572.86
2	अन्य कार्य (अग्नि सम्बन्धी सुरक्षा कार्य)	0.3130	है०	450.00	140.85
	नवें चरण का योग :-				2713.71
दसवां चरण					
1	रोपण वर्ष के बाद तृतीय वर्ष का रखरखाव व अनुरक्षण कार्य 12 माह	0.3130	है०	685 प्रतिमाह / प्रति है०	2572.86
2	अन्य कार्य (अग्नि सम्बन्धी सुरक्षा कार्य)	0.3130	है०	450.00	140.85
	दसवें चरण का योग :-				2713.71
कुल धनराशि					
	प्रथम चरण				46928.72
	द्वितीय चरण				18336.17
	तृतीय चरण				18351.19
	चतुर्थ चरण				2713.71
	पंचम चरण				2713.71
	षष्ठम चरण				2713.71
	सप्तम चरण				2713.71
	अष्टम चरण				2713.71
	नवम चरण				2713.71
	दशम चरण				2713.71
	कुल योग				102612.04

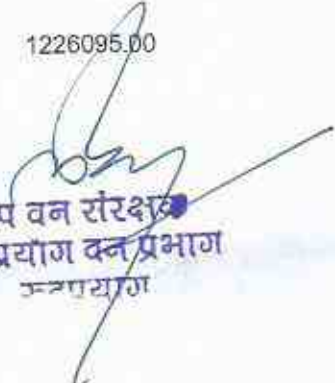
उप वन संरक्षक
रुद्रप्रयोग वन प्रभाग
रुद्रप्रयोग

परियोजना का नाम :- राज्य योजना के अन्तर्गत नागजगई-फेगू-बरम्वाड़ी मोटर मार्ग का विस्तार सेतु सहित (1.451 है०) निर्माण हेतु लो०नि०वि० को वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव।

एन०पी०वी० की धनराशि का आंकलन

प्रमाणित किया जाता है कि भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, नई दिल्ली के आदेश संख्या- 5-3/2007-एफ०सी० दिनांक 05.02.2009 में उल्लिखित व्यवस्था के अनुसार आवेदित वन भूमि हेतु एन०पी०वी० की देयता निम्नानुसार है :-

1.	ईको-क्लास श्रेणी	-	V th
2.	हरियाली का घनत्व	-	0.30 से 0.40
3.	एन०पी०वी० की दर प्रति है०	-	845000.00
4.	आवेदित वन भूमि का क्षेत्रफल	-	1.451 है०
5.	कुल देय एन०पी०वी० की धनराशि	-	1226095.00

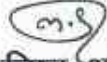

उप वन संरक्षक
रुद्रप्रयाग वन प्रभाग
रुद्रप्रयाग

प्रपत्र-51

परियोजना का नाम:- जनपद रुद्रप्रयाग में राज्य योजना के अन्तर्गत नागजगई-
फेगू-बरम्वाड़ी मोटर मार्ग का विस्तार सेतु सहित निर्माण
हेतु वन भूमि का लो०नि०वि० को हस्तान्तरण।

एन. पी.वी. की बढी दरों के अनुसार अतिरिक्त धनराशी जमा
कराये जाने का प्रमाण-पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि उक्त प्रकरण में एन०पी०वी० की
देय धनराशि लोक निर्माण विभाग द्वारा वन विभाग के पक्ष में जमा करायी जायेगी।
इसके अतिरिक्त यदि मा० उच्चतम न्यायालय द्वारा एन०पी०वी० की धनराशि में कोई
बढोतरी की जाती है तो एन०पी०वी० की अतिरिक्त धनराशि भी लोक निर्माण विभाग
द्वारा जमा करा दी जायेगी।


कनिष्ठ अभियन्ता,
निर्माण खण्ड, लो.नि.वि.,
ऊखीमठ (रुद्रप्रयाग)


सहायक अभियन्ता,
निर्माण खण्ड, लो.नि.वि.,
ऊखीमठ (रुद्रप्रयाग)


अधिशासी अभियन्ता,
निर्माण खण्ड, लो.नि.वि.,
ऊखीमठ (रुद्रप्रयाग)

परियोजना का नाम :- जनपद-रुद्रप्रयाग में राज्य योजना के अन्तर्गत नागजगई-फेगू-बरम्वाड़ी मोटर मार्ग का विस्तार सेतु सहित (1.451 है०) निर्माण हेतु लोक निर्माण विभाग को वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव।

प्रस्तावित परियोजना के लिये प्रत्यावर्तित की जाने वाली वन भूमि का आर०सी०सी० पिलरों द्वारा सीमांकन का प्राक्कलन।

प्रमाणित किया जाता है कि प्रस्तावित वन भूमि के सीमांकन/सर्वेक्षण हेतु आने वाले व्यय का भुगतान वन विभाग के पक्ष में जमा किया जायेगा।

न जमा किया जायेगा।

क्र०सं०		कार्य का विवरण	सं०			नपत मीटर में				इकाई	दर रू०	घनराशि रू०
						ल०	चौ०	ऊँचाई/ ग०	मात्रा			
1	2	3	4			5	6	7	8	9	10	11
1	P.W.D NO 11255 7-1	पिलर निर्माण एवं बुनियाद खुदान	1	x	1/2	1.000	0.500	0.700	0.175	cum	284.70	49.82
2		आर०सी०सी० पिलर के बेस पर चूना व कोयला डालना	1	x	1	L.S. 500.00						500.00
3	P.W.D NO 97321 11-4-3-2	1:2:4 सीमेंट मसाले में आर०सी०सी० पिलर निर्माण।	1	x	1	1.00	0.50	0.10	0.05	cum		
			1	x	1	0.30	0.30	1.20	0.11	cum		
Total									0.158		6687.50	1056.63
4	P.W.D NO 5.22A.6	आर०सी०सी० कार्य हेतु सरिया क्रय करना	0.158 X 78.50 X 1% = 0.124						0.1240	per qn	6810	844.64
5	P.W.D NO 13.1.2	पिलर में 1:4 मसाले में प्लास्टर कार्य।	1	X	4	0.30		1.20	1.44			
			1	X	1	0.30	0.30		0.09			
Total									1.53	sqm	149.45	228.66
6	पिलर पर सफेदी कार्य व पिलर संख्या लिखना	L.S.										500.00
7	पानी की बुलाई आदि	L.S.										500.00
Total :-											3679.75	
एक सीमा पिलर पर व्यय रुपये — 3680.00 (तीन हजार, छः सौ अस्सी मात्र) :-											3680.00	

उप वन संरक्षक
रुद्रप्रयाग वन प्रभाग
रुद्रप्रयाग

प्रस्तावित परियोजना के लिये ली गई वन भूमि के सीमांकन करने हेतु
आर०सी०सी० पिलरों का निर्माण

परियोजना का नाम:- जनपद रुद्रप्रयाग में राज्य योजना के अन्तर्गत नागजगई-
फेगू-बरम्वाड़ी मोटर मार्ग का विस्तार सेतु सहित निर्माण
हेतु वन भूमि का लो०नि०वि० को हस्तान्तरण।

प्रमाणित किया जाता है कि प्रस्तावित वन भूमि के सीमांकन /
सर्वेक्षण हेतु आने वाले व्यय का भुगतान वन विभाग के पक्ष में जमा किया जायेगा।


कनिष्ठ अभियन्ता,
निर्माण खण्ड, लो०नि०वि०,
ऊखीमठ (रुद्रप्रयाग)


सहायक अभियन्ता,
निर्माण खण्ड, लो०नि०वि०,
ऊखीमठ (रुद्रप्रयाग)


अधिशाली अभियन्ता,
निर्माण खण्ड, लो०नि०वि०,
ऊखीमठ (रुद्रप्रयाग)

प्रपत्र-54

परियोजना का नाम:- जनपद रुद्रप्रयाग में राज्य योजना के अन्तर्गत नागजगई-
फेगू-बरम्वाड़ी मोटर मार्ग का विस्तार सेतु सहित निर्माण
हेतु वन भूमि का लो०नि०वि० को हस्तान्तरण।

वन संरक्षण अधिनियम, 1980 का उल्लंघन न होने का प्रमाण-पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि प्रश्नगत परियोजना के निर्माण हेतु आवेदित
वन भूमि पर वन संरक्षण अधिनियम, 1980 का उल्लंघन नहीं हुआ है।


कनिष्ठ अभियन्ता,
निर्माण खण्ड, लो.नि.वि.,
ऊखीमठ (रुद्रप्रयाग)


सहायक अभियन्ता,
निर्माण खण्ड, लो.नि.वि.,
ऊखीमठ (रुद्रप्रयाग)


अधिशोषी अभियन्ता,
निर्माण खण्ड, लो.नि.वि.,
ऊखीमठ (रुद्रप्रयाग)


यूनिट कनिष्ठ अभियन्ता,
यूनिट गुप्तकारी


उपप्रभागिय वन अधिकारी
जखोली उप वन प्रभाग


उप वन संरक्षक
रुद्रप्रयाग वन प्रभाग
प्रभागिय वन अधिकारी,
रुद्रप्रयाग वन प्रभाग,
रुद्रप्रयाग।